अंक–129

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

(चयनित निर्णय एवं निबंध विशेषांक)

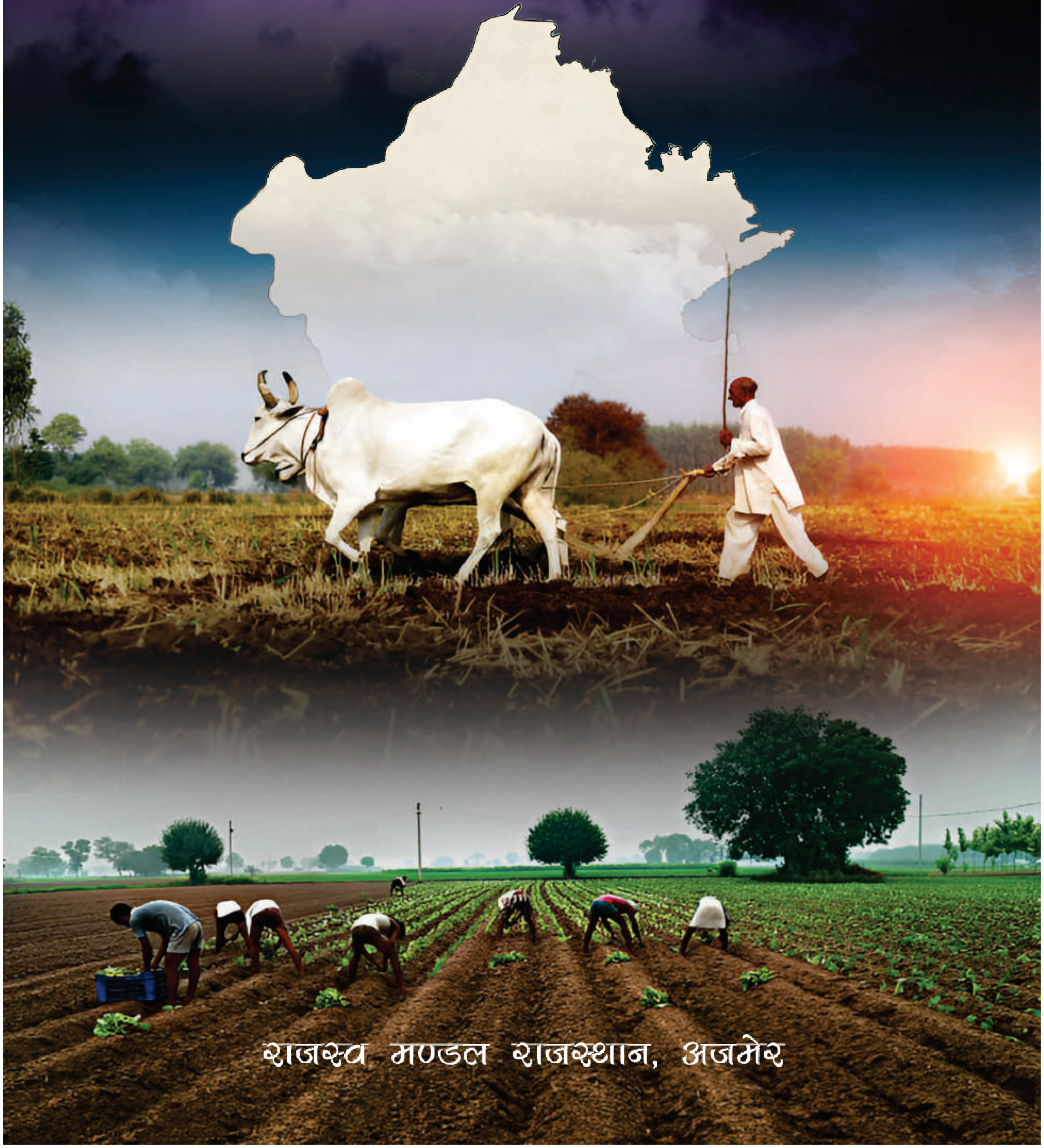

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कविता

'जीवन बोध'

–राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

जगत और जीवन का मूल है परम चैतन्य,
एक ही चेतना की व्याप्ति है चराचर में।
एक ही स्रोत से उत्पन्न सब जीव जन्तु
एक ही ज्योति ज्वलित चन्द्र और दिवाकर में।।
एक ही धुरी से चलायमान जीवन रथ,
एक सारथी के हाथ में ही बागडोर है।
व्यर्थ है कर्त्तृत्व का अभिमान अज्ञानी मन,
कर्ता कोई और, और दिखता कोई और है।।
यह तन है अधिष्ठान उस परम तत्व का,
साधन सकल कर्म का, इसलिए महत्व का।
तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ और सबल हो,
सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति प्रबल हो।।
जागृत हो विवेक बुद्धि, जनहित में काम हो,
काम, क्रोध, लोभ और मोह पर लगाम हो।
स्वार्थ, परमार्थ में जब भी संग्राम हो,
श्रेय का वरण हो, श्रेयस्कर परिणाम हो।।
पृथ्वी के प्राणियों में पारस्परिक प्रेम हो,
प्रकृति, पर्यावरण का योग और क्षेम हो।
लेश मात्र हिंसा न हो मन, कर्म, वचन में,
शील की सुगन्ध हो संयमित आचरण में।।
प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति चाहिए,
दुर्बल को संबल, दुःखी को प्रीति चाहिए।
सहयोग, समन्वय, सामंजस्य हो समाज में,
समरसता बढ़ाने वाली राजनीति चाहिए।।
मानव सामाजिक, समाज मानवीय हो,
एक दूसरे के सहयोग की प्रवृत्ति हो।
मिल जुल कर आगे बढ़ें, समरस समाज गढ़ें,
दूसरे के दुःख से दुःखी होने की वृत्ति हो।।
दुनिया यह दुःख का अनन्त महासागर है,
वास्तविक जरूरत है, लोभ का ज़हर है।
तह तक पहुँचने हेतु समझदार होना होगा,
विवेकशील, करुणामय, जिम्मेदार होना होगा।

संरक्षक
श्री राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री भँवर सिंह सांदू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री राकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

प्रधान संपादक
श्री महावीर प्रसाद
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, राविरा)
पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

ग्राफिक्स
दीपेन्द्र शर्मा एवं नीतेश मीणा

मुद्रक
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक-129 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. सम्पादकीय

लेख-सामग्री एवं विधिक जानकारी

3. राजस्व मंडल के विगत तीन वर्ष: प्रशिक्षण, प्रबोधन, नवाचार, निस्तारण, नवनियुक्ति व पदोन्नतियों को समर्पित कालखण्ड 5-9
4. राजस्व न्याय व्यवस्था में सुधार व उन्नयन का युग 10-15
5. राजस्थान में ई-गवर्नेंस से गुड-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते कदम 16-23
6. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 24-30
7. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तरीके, अधिकारियों के कर्तव्य, समस्याएं, उनके समाधान और न्यायालय के निर्णय 31-37

स्थायी स्तम्भ

8. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 38-52
9. राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2023
   (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि 53-56
   (ii) राजस्थान प्रशासनिक सेवा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि 57-61
   (iii) अधिवक्ता श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि 62-67
10. सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2022-23
   (i) राज्य स्तर पर चयनित निर्णय 68-82
   (ii) संभाग स्तर पर चयनित निर्णय 83-86
   (iii) जिला स्तर पर चयनित निर्णय 87-124
11. महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्र 125-127
12. राजस्व समाचार 128-133

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। राविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफलता की कहानियां आदि सामग्री ई-मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

अध्यक्ष की कलम से......

राज्य के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को लेकर राजस्व मण्डल के स्तर से विगत वर्षों में कई नवाचारों एवं प्रभावी कार्ययोजनाओं के माध्यम से न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के प्रयास किये गए हैं।

राजस्थान के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से पारित किये जाने वाले निर्णय पूर्ण गुणवत्ता, विधिक आधार व त्रुटिविहीन ढंग से पारित किए जाएं इसके लिए पीठासीन अधिकारियों से विगत तीन वर्षों के दौरान पारित निर्णयों में से सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन कर ऐसे निर्णयों को सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता में शामिल किया गया, इससे समूचे प्रदेश में निर्णय लेखन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गुणवत्ता का वातावरण बना। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों की बेहतरी के लिए मण्डल स्तर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन के माध्यम से भी न्यायिक कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने का कार्य किया गया। परिणामतः इसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं।

इसी कड़ी में विविध स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशालाओं के माध्यम से राजस्व न्यायालयों के संचालन की बारीकियों को पीठासीन अधिकारियों के साथ साझा किया गया। निर्णय लेखन के आधारभूत तत्वों एवं राजस्व व कृषि अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तार से रखा गया।

नवाचारों की श्रृंखला में विगत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार को लेकर राज्य के आई.ए.एस, आर.ए.एस, राजस्व अधिकारी व कार्मिक, अधिवक्ता एवं आम नागरिक श्रेणी में निबन्ध प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हुए। निबन्ध प्रविष्टियों में सभी का उत्साह सराहनीय रहा। इनमें मिले सुझाव भी राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में मील का पत्थर साबित होंगे। मण्डल स्तर से सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन व निबन्ध लेखन के लिए प्रतिभागियों के सम्मान की नवीन परंपरा भी आरंभ हुई।

न्यायालयों में प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं प्रशासनिक ढांचे में सुधार को लेकर राजस्व मंडल स्तर से सदस्यों को मनोनीत कर अन्य राज्यों की न्यायिक कार्यप्रणाली का अध्ययन कराया गया। सदस्यों के स्तर से प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर राज्य के लिये महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाये गये हैं।

न्यायालयों की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने की दिशा में राजस्व मंडल में पक्षकार एवं अभिभाषकों की सुविधार्थ जीसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकरण दर्ज करने की व्यवस्था सुलभ कराई गई है, वहीं “ई-समन” व “वर्चुअल हियरिंग” की सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी

प्रक्रियाधीन है।

राज्य में कृषक वर्ग की सुविधार्थ जमाबन्दी का सेग्रीगेशन करवा नक्शों का डिजिटलाइजेशन कर तहसीलों को ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसमें 426 में से 420 तहसीलों के ऑनलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसी प्रकार सरकार की मंशानुरूप कार्यालयों की कार्यप्रणाली को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में राजकाज के माध्यम से राजस्व मण्डल की 29966 पत्रावलियों को ऑनलाइन कर नोटशीट से लेकर सभी पत्रावलियों का आदान-प्रदान ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें पत्रावलियों का और त्वरित गति से निस्तारण संभव हो पा रहा है।

राजस्व मण्डल बार व बैंच के मध्य कार्य सुचारू एवं सुगम रूप से सम्पन्न हो सके इसके लिए समय-समय पर बैठकों एवं सामूहिक चर्चाओं में आए उपयोगी सुझावों को मूर्त रूप देने के प्रयास किये गये।

लोक राहत की दिशा में राजस्व मण्डल में प्रत्येक तिमाही मे लोक अदालत आयोजन की शुरुआत की गई जिनमें अब तक आयोजित 8 लोक अदालतों के माध्यम से कुल 865 प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव हुआ। विगत तीन वर्षों के दौरान मंडल व अधीनस्थ राजस्व अदालतों के माध्यम से कुल 7 लाख 26 हजार 186 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।

इन तीन वर्षों में राज्य में नवीन संभागीय आयुक्त कार्यालयों से लेकर पटवार मण्डल तक विविधस्तरीय राजस्व इकाइयों के सृजन से राजस्थान के मानचित्र को नया स्वरूप मिला, इनमें 3 संभागीय आयुक्त, 17 जिला कलक्टर, 14 अतिरिक्त जिला कलक्टर, 30 उपखण्ड, 87 तहसील एवं 126 उप तहसील कार्यालय तथा 1162 नवीन राजस्व ग्राम शामिल हैं।

आलोच्य अवधि में तहसीलदार के पद पर 311 तथा नायब तहसीलदार के पद पर 82 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया इसी प्रकार 5 हजार 600 नए पटवारियों की नियुक्ति, 1088 पटवारियों को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर, तहसील राजस्व लेखाकार से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-।। पर पर 28 तथा सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड।। से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-। के पदों पर 14 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। वहीं मंडल व मंडल के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न 233 कार्मिकों तथा निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सचिव स्तर तक के 17 पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की गई।

विवेक का पूर्ण उपयोग, तत्परता एवं पूर्ण कार्यक्षमतापूर्वक दायित्वों के निर्वहन से ही प्रदेश में लोककल्याणकारी परिवेश की स्थापना संभव है। न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैधानिक प्रावधानों, तथ्यात्मक स्थितियों, महत्वपूर्ण साक्ष्य तथा वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता का पूर्ण ध्यान रखकर निर्णय दें तो अनावश्यक अपीलें नहीं होगी और अदालतों में प्रकरणों की संख्या में आशानुरूप कमी दर्ज होगी।

आपको पूर्ण प्रशासनिक दक्षता एवं कर्तव्यनिष्ठापूर्वक दायित्व निर्वहन के लिये हार्दिक शुभकामनाएँ।

राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष

संपादकीय......

राजस्व मंडल के स्तर से राजस्व न्याय प्रणाली में सुधार को लेकर किये गए नवाचारों एवं कार्यक्रमों पर आधारित उपयोगी सामग्री के साथ ही राजस्व विषयक महत्वपूर्ण सामग्री को समाहित करते हुए ''चयनित निर्णय एवम् निबंध विशेषांक'' आपको प्रेषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

राविरा के इस अंक में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार को लेकर राजस्व मंडल स्तर से वर्ष 2023 के दौरान राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिए आयोजित सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता के तहत राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर चयनित प्रविष्टियां तथा पंचवर्गीय निबंध लेखन प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त रचनाओं को पाठ्य सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राजस्व न्यायालय एवं कार्यालयों का दीर्घकालिक अनुभव रखने वाले लेखकों के भू अभिलेख आधुनिकीकरण, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, अधिकारियों के कर्त्तव्य, समस्याओं का समाधान, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्व न्याय व्यवस्था में सुधार तथा राजस्थान में ई-गवर्नेंस विषयक आलेखों को भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।

राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए काश्तकार समुदाय को सहज व सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में जमाबंदी सेग्रीगेशन, खसरा नक्शों को डिजिटाइज्ड करते हुए 426 में से 420 तहसीलें ऑनलाइन की जा चुकी हैं। ऑटोम्युटेशन प्रक्रिया से आवेदनों का त्वरित निस्तारण संभव हो पा रहा है वहीं कृषक समुदाय को घर बैठे आवश्यक दस्तावेज सहज रूप से उपलब्ध होने लगे हैं।

राजस्व मंडल स्तर से विगत वर्षों से महत्वपूर्ण निर्णयों, निबंध एवं राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल स्तर से जारी परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं को समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। यह आपके लिए संदर्भ, कार्य निष्पादन एवं निर्णय लेखन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

राजस्व अधिकारी प्रशासनिक दायित्वों के साथ ही विविध रचनात्मक गतिविधियों एवं नवाचारों के लिए अलग पहचान बनाते हैं ऐसे में अपने फील्ड अनुभव एवं लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन के अपने अनुभवों को विशेष लेख व सफलता की कहानियों के रूप में अवश्य साझा किया जाय ताकि उन्हें राविरा पत्रिका में प्रकाशित किया जा सके। मैं आपको सरकार की सर्व कल्याणकारी सोच के अनुरूप पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा एवं जवाबदेही से कार्य निर्वहन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

महावीर प्रसाद

निबंधक

राजस्व मंडल के विगत तीन वर्ष

प्रशिक्षण, प्रबोधन, नवाचार, निस्तारण, नवनियुक्ति व पदोन्नतियों को समर्पित कालखण्ड

पवन शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) एवं संपादक (राविरा)
राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक व वित्तीय संसाधन सीमित हैं। रोजगार के रूप में यहां की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। राज्य में काश्तकार समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कई बार कोर्ट कचहरी तक का सामना करना पड़ता है। नामांतरण, बंटवारे, रास्ता विवाद सहित भूमि संबंधी कई प्रकरण राजस्व न्यायालयों में लंबित रहते हैं।

राजस्व अधिकारियों के स्तर से भी लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के हरसंभव प्रयास किये जाते हैं। इन सबके बावजूद न्यायालयों में वादों की संख्या में कमी लाना बड़ी चुनौती है। राजस्व मंडल के स्तर से विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व न्यायालयों के विवादों के न्यूनीकरण की दिशा में कई नवाचारी कदम उठाकर काश्तकार हित संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता जतायी गई है।

पूर्ण विधिक आधार, न्यायिक सिद्धान्तों के आधार से गुणावगुण का अवलोकन किये बगैर किये गये निर्णय अनावश्यक अपीलों का कारण बनते हैं। राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण, त्रुटिविहीन एवं पूर्ण विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किये जाने को लेकर राजस्व मंडल स्तर से विगत तीन वर्ष के काल खंड में की गई विशिष्ट पहल एवं अपनाए गए नवाचार अपने आप में अनन्य उदाहरण हैं। इससे न केवल निर्णय लेखन व न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हुआ वरन राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की अवधि में भी आशानुरूप परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है।

निर्णय लेखन कार्यशालाओं में दी न्यायिक कार्यप्रणाली की सीख

राजस्व मंडल स्तर से अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में संभाग स्तर से लेकर उपखंड स्तर तक के अधिकारियों की विविध स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाकर

निर्णयों के आधारभूत तत्वों एवं विधिक प्रावधानों, नियम एवं विनियमों पर गहन चर्चाएं, वैचारिक आदान–प्रदान, तकनीकी सत्रों में पीठासीन अधिकारियों ने विषय विशेषज्ञों के माध्यम के निर्णय के मूलभूत पहलुओं को समझा और जाना।

सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं से निर्णयों की परख

पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से प्रतिवर्ष पारित किए जाने वाले न्यायिक प्रकरणों की गुणवत्ता जांचने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर पीठासीन अधिकारियों से ही अपने स्तर से पारित निर्णयों में से सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन कर राजस्व मण्डल में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता में शामिल करवाया गया। निर्णयों के विविध पहलुओं यथा भाषा, तनकी, साक्ष्य, त्रुटिविहीनता, समुचित विधिक आधार, तथ्य, उद्धरणों का विषय विशेषज्ञों से परीक्षण करवाते हुए राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इन तीन वर्षों में संबंधित पीठासीन अधिकारियों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित भी किया गया।

राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता

राजस्व नियमों एवं न्यायालयों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार हेतु सुझावों को लेकर मंडल स्तर से तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पांच वर्गों की निबन्ध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें आईएएस, आरएएस, राजस्व अधिकारी/कर्मचारी, अधिवक्ता एवं आम नागरिक श्रेणी से लेखकों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी निभायी। रचनाओं में दीर्घ अनुभव प्राप्त लेखकों ने उपयोगी सुझाव प्रदान किये। इन रचनाओं का भी राजस्व मण्डल स्तर से गठित समिति ने मूल्यांकन कर प्रत्येक श्रेणी से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए चयन कर उन्हें राजस्व मण्डल स्तर से राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हेतु मंडल का मार्गदर्शन

राजस्व मण्डल के स्तर से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए समय–समय पर राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देश प्रदान किये गये। इन परिपत्रों में समयबद्धता, नियमों की पूर्ण पालना एवं न्यायिक प्रकरण निस्तारण के लिए आवश्यक एवं निर्णय के मूलभूत तत्वों का विस्तार से उल्लेख किया गया।

इसी प्रकार पुलिस अन्वेषण के प्रयोजन से मंडल अथवा अधीनस्थ राजस्व

न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था निर्बाध बनाये रखने संबंधी कारगर प्रक्रिया भी अपनायी गयी।

अन्य राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन

राज्य में राजस्व न्यायालयों की कार्यव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं प्रशासनिक ढांचे में सुधार को लेकर राजस्व मंडल स्तर से सदस्यों को मनोनीत कर देश के अन्य राज्यों की न्यायिक कार्यप्रणाली का अध्ययन कराया गया। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब उत्तराखंड एवं ओडिशा राज्यों की विविधस्तरीय कार्यप्रणाली यथा कोर्ट केस मेनेजमेन्ट सिस्टम, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में सुधार संबंधी नवाचारों, न्यायालयों की गुणवत्ता में सुधार आदि के संबंध में तैयार विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाये गये।

जीसीएमएस से प्रकरणों का पंजीयन

मंडल स्तर से जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन राजस्व प्रकरण दर्ज कराने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे अभिभाषक किसी भी स्थान से इन्टरनेट का उपयोग करते हुए प्रकरण दर्ज कर पंजीयन हेतु राजस्व मण्डल को अग्रेषित कर सकते हैं।

ई–समन व वर्चुअल हियरिंग भी प्रस्तावित

मंडल स्तर से जीसीएमएस पोर्टल से ई–समन की सुविधा भी आरंभ करने की महत्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तावित है इसमें वादी एवं प्रतिवादी को जीसीएमएस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन नोटिस भेजे जायेंगे तथा उनकी तलबी रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही प्राप्त हो सकेगी। इससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी व न्यूनतम समय में पूर्ण सुरक्षित ढंग से नोटिस तलब किये जा सकेंगे।

इसी प्रकार जीसीएमएस पोर्टल के जरिये वर्चुअल हियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। इस सुविधा से कॉजलिस्ट बनाते समय प्रत्येक प्रकरण अनुसार संबंधित अभिभाषक को व्यक्तिशः मोबाइल मैसेज अथवा ई–मेल के जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग लिंक (मीटिंग आईडी) भेजी जायेगी। लिंक क्लिक कर कम्प्यूटर, लेपटॉप अथवा स्मार्टफोन के जरिए न्यायालय, पक्षकार व अभिभाषक को जोड़कर प्रकरणों की ऑनलाइन सुनवाई किया जाना संभव होगा।

तीन वर्षों में 3.99 लाख प्रकरण निस्तारित

राजस्व न्यायालयों में काश्तकार एवं आमजन को राहत प्रदान करने की दिशा में उठाए गए प्रभावी कदम एवं नवाचारों के फलस्वरूप राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ वहीं वाद निस्तारण कार्य को भी गति मिली। विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व मण्डल सहित राज्य के संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), उपनिवेशन, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आदि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के माध्यम से कुल 3 लाख 99 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका। मंडल अध्यक्ष के स्तर से समय–समय पर आयोजित बैठकों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रकरणों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनके त्वरित निस्तारण के आदेश भी प्रदान किये गए।

लोक अदालतों से मिली राहत

राजस्व मण्डल में एक और नवाचार के तहत पक्षकारों को त्वरित न्याय सुलभ कराने की दिशा में लोक अदालत लगाने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2022 से लेकर अब तक कुल आठ लोक अदालतें लगायी जाकर कुल 865 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालतों की सफलता के लिये अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने स्वयं पूर्व बैठकें लेकर राजस्व बार–बैंच के बीच परस्पर समन्वय स्थापित किया। अभिभाषकगण ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वाद निस्तारण में पुनीत भागीदारी निभायी।

ऑनलाइन कार्य से राह हुई आसान

राजस्व मण्डल में प्रशासनिक कार्यों के शीघ्र सम्पादन के मद्देनजर ई–फाइल कार्य को पूर्ण प्राथमिकता से लागू किया गया। ई–फाइल प्रणाली से सभी दस्तावेज सुरक्षित, समयबद्धता एवं पारदर्शिता से भेजना और मंगवाना संभव हो पा रहा है। मंडल में अब तक 29966 फाइल्स ऑनलाइन की जा चुकी है।

इसी क्रम में राज्य में डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड्स माडर्नाइजेशन प्रोग्राम) के तहत जमाबंदी का सेग्रीगेशन (पृथक्करण) खसरा नक्शों का डिजिटलाइजेशन करते हुए सभी तहसीलों को ऑनलाइन करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अब तब राज्य की 426 में से 420 तहसीलें ऑनलाइन होकर कार्य कर रही हैं।

प्रदेश में राजस्व इकाइयों का सृजन

राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं की आमजन तक पहुंच को सहज व सुगम बनाने की दिशा में नवीन राजस्व ग्राम इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी गई। इनमें विगत तीन वर्षों के दौरान तीन संभागीय आयुक्त, 17 जिला कलक्टर, 14 अति. जिला कलक्टर, 30 उपखण्ड, 87 तहसील व 126 उप तहसील कार्यालयों के साथ ही 1162 नवीन राजस्व ग्रामों के सृजन की अधिसूचनाएं जारी की गईं।

पदोन्नतियॉ एवं नियुक्तियां

राजस्व मंडल स्तर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नतियों का समय पर लाभ दिलाने को लेकर नियमित रूप से पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गई। जिसमें विगत तीन वर्षों में 311 तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पद पर 82 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया। राज्य के 1088 पटवारियों को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर, तहसील राजस्व लेखाकार से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–।। पर पर 28 तथा सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड।। से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–। के पदों पर 14 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। वहीं मंडल व मंडल के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न 233 कार्मिकों तथा निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सचिव स्तर तक के 17 पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की गई।

आलोच्य अवधि में नायब तहसीलदार के पद पर 139 को चयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करवाते नियुक्ति प्रदान की गई वहीं 111 नायब तहसीलदारों को 2 वर्ष के परिवीक्षा काल के तहत नियुक्ति प्रदान की गई। इस अवधि में 5600 नए पटवारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करवाते हुए नियुक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती हेतु 292 पदों की अर्थना मंडल स्तर से राजस्व विभाग भिजवाना, वहीं 1963 नए पटवारियों की भर्ती के लिये अर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवाना भी उल्लेखनीय है। राज्य में नए 90 तहसील राजस्व लेखाकारों की भर्ती प्रस्तावित है जिसमें 40 पदों के लिये वित्तीय स्वीकृति सरकार से मिल चुकी है।

❑❑❑

राजस्व न्याय व्यवस्था में सुधार व उन्नयन का युग

रामनिवास जाट
पूर्व सदस्य, राजस्व मंडल अजमेर

राज्य में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पिछले कुछ दशकों में अनेक प्रयास किये गये हैं, परंतु इसके उपरांत भी अनेक सकारात्मक सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है जिससे संविधान में प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय नागरिकों को समय पर सुलभ हो सके। प्रत्येक भारतवासी यह अपेक्षा करता है कि उसे सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध हो।

राजस्थान राज्य में लम्बित मुकदमों की समस्याओं को शीघ्र निपटाने हेतु विधायिका, कार्यपालिका एवं अभिभाषकगण को कारगर कदम उठाने की आवश्कता रही है। पक्षकारों को सस्ता सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु इस दिशा में मन, वचन एवं कर्म से प्रयत्नशील होकर इसे अमलीजामा पहनाना होगा। राज्य के न्याय मंदिर रूपी न्यायालयों का जीर्णोद्धार किये जाने और नूतन व प्रायोगिक समन्वय शैली से समय की माँग के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित व सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में श्रीमान राजेश्वर सिंह (आई.ए.एस.) के माननीय अध्यक्ष के रूप में पदस्थापन के उपरांत उनके द्वारा प्रारंभ से ही इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण और बहुआयामी प्रयास किये गये। इनके द्वारा राजस्व मंडल में पदस्थापित आर.ए.एस., आई.ए.एस., आर.एच.जे.एस., अधिवक्ता श्रेणी के माननीय सदस्यों और राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण से अनेक बार विचार–विमर्श और बैठकों का आयोजन कर अपेक्षित सुधारों के लिये बहुआयामी व्यूह रचना तैयार कर तीन–चार वर्ष तक इसका संचालन किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सका और राजस्व अधिकारियों को राजस्व विधिक प्रक्रिया और राजस्व निर्णयों में कुशल उन्नयन संभव हो सका। इन वर्षों में किये गये बहुआयामी प्रयासों का एक विहंगम अवलोकन करना प्रेरणादायक होगा।

राजस्व मण्डल स्तर से राजस्व वादों के निस्तारण के क्रम में किए गए

महत्वपूर्ण प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार के कम में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के तत्वाधान में राजस्व अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिये 'राज्य स्तरीय निर्णय लेखन' विषयक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 12.08.2021 से 13.08.2021 तक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/राजस्व अपील प्राधिकारी/भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी 26.08.2021 से 27.08.2021 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर 02.09.2021 से 03.09.2021 तक सहायक कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी सतर के अधिकारियों ने भागीदारी निभायी।

इन कार्यशालाओं में राजस्व एवं विधिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। विषय विशेषज्ञों ने निर्णय लेखन के संदर्भ में जानकारी, निर्णय लेखन के संदर्भ में विवेचना, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 के अंतर्गत खातेदारी प्रदान किये जाने के विषय पर, निर्णय लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुझाव, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व राजस्थान राजस्व मंडल नियम 18 व 21 की विवेचना आदि पर विस्तार से चर्चा की।

इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री राजेश्वर सिंह, माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल राजस्थान, श्री हरिशंकर गोयल मा. सदस्य, श्री रामनिवास जाट मा. सदस्य, श्री बीएल मीणा निबंधक राजस्व मंडल अजमेर, श्री एचएसयू असनानी से.नि. आरएचजेएस, श्री बीएस राठौड़ आरएएस, श्री रामनिवास मेहता आरएएएस, श्री अशोक अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्व मंडल आदि विषय विशेषज्ञों ने पृथक–पृथक विधिक विषयों पर व राजस्व विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसी प्रकार वर्ष–2022 में दिनांक 23.11.2022 से 25.11.2022 तक आर.आर.टी.आई. अजमेर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्व मंडल नियम 17–18, 21 की विवेचना, निर्णय लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण घटक, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 की धारा 88 आदि विधिक विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में राज्य के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/राजस्व अपील प्राधिकारी/भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी संवर्ग के राजस्व व न्यायिक विधि व विधिक प्रकिया के संबंध में गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री राजेश्वर सिंह, माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल राजस्थान, श्री महावीर प्रसाद निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान, श्री खजान सिंह मा. सदस्य, श्री रामनिवास जाट मा. सदस्य, श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी मा. सदस्य, श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित मा. सदस्य, श्री एच.एस.यु. असनानी से.नि. आर.एच.जे.एस., श्री अशोक अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्व मंडल आदि विषय विशेषज्ञों ने पृथक–पृथक विधिक विषयों पर व राजस्व विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

राजस्व न्यायालयों की बेहतरी के लिये अन्य राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन

1. राजस्व मण्डल अजमेर एवं इसके अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, गुणवत्ता उन्नयन एवं नवाचारों के क्रियान्वयन के लिये अन्य राज्यों के राजस्व मण्डल यथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं उड़ीसा के राजस्व मण्डलों के अध्यक्ष महोदय/प्रशासनिक अधिकारियों से उनके यहां प्रचलित कार्यप्रणाली एवं न्यायिक व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर का प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निर्णय किया गया। उत्तराखण्ड, एवं पंजाब राजस्व मण्डल के अधिकारियों इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया, जिसमें कोविड जैसी महामारी के बावजूद राजस्व मण्डल, अजमेर से माननीय सदस्य, श्री पंकज नरूका ने उत्तराखण्ड राजस्व परिषद में एवं माननीय सदस्य, श्री सी.आर. मीणा ने पंजाब राजस्व मण्डल पहुंचकर वहां की कार्यप्रणाली, न्यायिक व्यवस्था एवं नवाचारों के संबंध में जानकारी ली गयी। शेष राजस्व मण्डल/राजस्व परिषद के अधिकारियों ने कोरोना महामारी के कारण अपने यहां राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रतिनिधि मण्डल को आने की इजाजत नहीं दी इसलिये वहां के अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग की गई और वहां की कार्यप्रणाली, कोर्ट केस मेनेजमेन्ट सिस्टम, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में किये जाने वाले नवाचार, प्रक्रियात्मक गुणवत्ता में किये जाने वाले सुधार, स्टाफिंग एवं लोजिस्टिक के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।

2. राजस्व मण्डल उड़ीसा में 26 पीठासीन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जिनमें

आई.ए.एस. स्तर के एवं 21 राज्य प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी हैं। वहां पर कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम (सी.सी.एम.एस.) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज होने से लेकर सुनवाई व निस्तारण होने तक डिजिटलाईजेशन की व्यवस्था है। कोई भी प्रकरण यथा अपील/निगरानी/रेफरेन्स कहीं से भी ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रकरण प्राप्त होने पर विपक्षी पक्षकार को प्रकरण की सूचना व तामील एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान की जाती है। उभय पक्षकारों के हाजिर होने के बाद बैंच द्वारा सुनवाई की जाती है और बैंच द्वारा पारित आदेश की प्रति ऑनलाइन अधीनस्थ न्यायालयों वो तुरन्त भेज दी जाती है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों को प्रकरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी हो जाती है और उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। राजस्व मण्डल, उड़ीसा में ऑनलाइन प्रकरण दर्ज होने के पश्चात प्रकरण के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का डिजिटाईजेशन किया जाता है। इस माध्यम से रिकार्ड की सॉफ्टकॉपी भी उपलब्ध रहती है जिससे रिकार्ड संधारण में सहूलियत मिलती है और रिकार्ड के नष्ट होने की संभावना खत्म हो जाती है। इस सिस्टम से ऑनलाइन नकल भी सभी को प्रदान की जाती है।

3. राजस्व मण्डल उड़ीसा में कोर्ट ऑफिसर की व्यवस्था है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की सहायता हेतु एक कोर्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो कि राजस्व प्रकरणों में होने वाली समस्त कार्यवाही को सुनिश्चित करते है जैसे नोटिस प्राप्त होने पर तामील करवाना, तामिल प्राप्त होने पर पत्रावली में लगाने की सुनिश्चितता करना, रिकार्ड मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित करना और रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली में संलग्न करवाने की सुनिश्चितता करना, उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को व्यवस्थित तरीके से पत्रावली में संलग्न करवाना आदि कार्य कोर्ट ऑफिसर द्वारा करवाया जाता है। ऑनलाइन प्रकरण दर्ज होने के साथ ही वहां पर कोर्ट फीस भी ऑनलाइन जमा करवाये जाने की व्यवस्था भी है जो कि डिजिटल मोड से जमा करवाई जाती है।

4. राजस्व मण्डल, उड़ीसा में प्रकरणों में तामील डिजिटल मोड से करवाई जाती है और स्थानीय स्तर पर प्रोसेस सरवर के माध्यम से करवाई जाती है। इससे समय और श्रम की बचत होती है।

5. राजस्व परिषद उत्तराखण्ड में कुल 800 प्रकरण विचाराधीन हैं जिनके निस्तारण के लिये राजस्व परिषद में दो सदस्य पदस्थापित हैं। जिनमें एक सदस्य मुख्यालय

देहरादून में एवं दूसरे सदस्य सर्किट बैंच नैनीताल में बैठते हैं। वहां पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष औसतन 30 प्रकरण सुनवाई के लिये रोजाना सुचीबद्ध होते हैं। चूंकि कोर्ट में कोरोना महामारी से बचने के लिये शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई इस कारण वकीलों की बहस सुनने में होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुये उन्होंने माइक सिस्टम की व्यवस्था कर रखी जिसमें पीठासीन अधिकारी और वकील माईक के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड व दस्तावेज वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हें सेनेटाइज मशीनों के द्वारा सेनेटाइज करने के पश्चात ही रिकॉर्ड में शामिल किये जाते।

6. राजस्व मंडल उत्तराखंड में भी ई–सम्मन की व्यवस्था लागू कर दी गयी है और इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाने के लिये भी ई–रिक्वीजेशन पत्र की व्यवस्था लागू है। भविष्य में ई–फाइलिंग किये जाने पर भी कार्य चल रहा है।

7. इसी प्रकार राजस्व परिषद, उत्तरप्रदेश की व्यवस्था की जानकारी ली गई तो वर्चुअल मीटिंग से जानकारी में यह आया है कि वहां पर नोटिस की तामील के लिये राजस्व परिषद के द्वारा नोटिस तहसील में ऑनलाइन भेजे जाते हैं। जहां पर नोटिस को प्रिन्ट करके तामीन कुनिन्दा के द्वारा तामील करवाई जाती है और तामील को स्कैन करके पुनः नोटिस पुनः राजस्व परिषद में भेजे जाते हैं।

8. राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ की कार्यवाही प्रणाली के संबंध में एक रिपोर्ट माननीय सदस्य, श्री रामनिवास जाट द्वारा तैयार की गयी छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व न्यायिक प्रकरणों का राज्य की राजस्व न्यायालय वेबसाइट पर सीधे ई–फाइलिंग करने की व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसी प्रकार न्यायालयों में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन अपडेशन करने व ऑनलाइन निर्णय किये जाने की व्यवस्था संचालित की जा रही है।

9. इसी प्रकार राजस्व मण्डल बिहार की कार्यप्रणाली और नवाचारों के बारे में भी एक रिपोर्ट माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार बुनकर द्वारा तैयार की गयी। वहीं राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर की कार्यप्रणाली के बारे में माननीय सदस्य, श्री रवि डांगी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है।

पंचवर्गीय निबंध लेखन एवं निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्ण भागीदारी

राजस्व मंडल में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार के क्रम

में ''राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव'' (Functioning of Revenue: Suggestions for improvement) विषयक राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता हेतु दिनांक 06.08.2021 से 30.09.2021 तक निबंध आमंत्रित किये गये। इस क्रम में उक्त प्रतियोगिता में संबंध में मंडल स्तर पर गठित समिति द्वारा श्रेणीवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु पीठासीन अधिकारीयों/अधिवक्तागण/राजस्व कर्मचारीयों/आम नागरिकों का चयन किया गया। इसी प्रकार राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि में पारित सर्वश्रेष्ठ एक–एक निर्णय दिनांक 06.08.2021 से 30.09.2021 तक आमंत्रित किये गये। उक्त द्वारा राज्य के समस्त पीठासीन अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुये राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं विधि अनुसार गुणवत्तापूर्वक निर्णय किये जाने हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया।

वर्ष 2021–22 में निबंध प्रतियोगिता व निर्णय लेखन प्रतियोगिता में राज्य के अलग–अलग जिलों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इन प्राप्त प्रविष्टियों में श्रेणीवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु राजस्व मंडल स्तर से पीठासीन अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया।

इसी प्रकार वर्ष–2022–23 में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार को लेकर आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता के लिये भी प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन उपरांत विभिन्न वर्ग एवं श्रेणियों में श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को भी राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया गया।

❑❑❑

राजस्थान में ई–गवर्नेंस से गुड–गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते कदम

ममता कुमारी तिवाड़ी, आर.ए.एस.
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व
अपील प्राधिकारी, कोटा, राजस्थान

परिचय

इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई–शासन आज के युग की आवश्यकता है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से राज्य में ई–गवर्नेंस के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक छोटी बड़ी व्यवस्थित पहल की गई है। नव निर्वाचित राज्य सरकार राजस्थान में ई–गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। यद्यपि राज्य में ई गवर्नेंस की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से राजस्थान को ई–गवर्नेंस की दिशा में मॉडल स्टेट बना सकते हैं।

राजस्थान में हाल में फरवरी 2024 में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटी कानपुर) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत लैब से लैंड तक और रिसर्च से रियल टाइम यूजेज तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर सुरक्षित और बेहतर सुशासन की दिशा में कार्य करेंगे। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से राज्य में प्रसार होगा जिससे स्वास्थ्य, भूमि पंजीकरण और वित्तीय लेनदेन के कार्यों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी देश–विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आज राजस्थान राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बेहतरीन आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूरे देश में अग्रणी है।

ई–गवर्नेंस की प्रमुख परियोजनाएं – आगे राज्य में संचालित ई गवर्नेंस की मुख्य परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है।

1. राजस्थान सिंगल साइन ऑन (RAJSSO) –

राजएसएसओ ई–गवर्नेंस डोमेन में अपनी तरह की एक अनूठी और पहली इन–हाउस पहल है जो "डिजिटल पहचान" का उपयोग करके सभी राज्य सरकार के अनुप्रयोगों/प्रणालियों तक केंद्रीकृत पहुँच प्रदान करती है और यह "सभी सरकारी अनुप्रयोगों/प्रणालियों के लिए एक डिजिटल पहचान" के सिद्धांत पर आधारित है, जो सभी सरकारी अनुप्रयोगों के साथ दोहराव वाले उपयोगकर्ता पंजीकरण को समाप्त करती है।

डिजिटल पहचान में शामिल हैं :– a) SSOID और पासवर्ड, b) सरकारी ईमेल खाता (yourname/rajasthan-in), c) eVault (डिजिटल लॉकर) और d) प्रत्येक अंतिम उपयोगकर्ता के लिए eSign सुविधा।

उद्देश्य –

a) सभी सरकारी अनुप्रयोगों/प्रणालियों तक केंद्रीकृत, निर्बाध और सुरक्षित पहुँच प्रदान करना।

b) सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक अनूठी और स्व–सेवा आधारित "डिजिटल पहचान" प्रदान करना।

c) सभी सरकारी अनुप्रयोगों/प्रणालियों तक पहुँचने के लिए एक एकल URL प्रदान करना।

2. राजकाज (एकीकृत राज ई–ऑफिस) –

राजकाज राजस्थान सरकार के सभी संगठनों को एक इलेक्ट्रॉनिक और सहयोगी कार्यस्थल प्रदान करने के लिए एक एकीकृत उद्यम मंच है।

उद्देश्य –

राजकाज का उद्देश्य अग्र प्रकार से कार्य करना है–

1. सभी कर्मचारियों के लिए सभी सामान्य कार्यों और भूमिकाओं के लिए एक ही स्थान उपलब्ध करवाना।
2. सरकारी प्रक्रियाओं और लेन–देन को 'पारंपरिक ऑफलाइन मैनुअल पेपर' से 'आधुनिक ऑनलाइन स्वचालित' प्रणाली में स्थानांतरित करने में सक्षम मंच।
3. 30 से अधिक कार्यालय प्रक्रियाओं और कर्मचारी विशिष्ट सेवाओं के ऑनलाइन अनुवाद का मंच।

लाभ –

1. इससे कर्मचारियों/सरकारी प्रक्रियाओं के बीच बेहतर दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता आई है।
2. राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पंचायत समिति/तहसील तक ई–फाइल व्यवस्था लागू की गई है। आज तक, राजकाज पर 15 लाख से अधिक फाइलें ऑनलाइन की जा चुकी हैं। राजस्थान में ई–फाइल सिस्टम के कार्यान्वयन का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना, दक्षता में सुधार करना और शासन में पारदर्शिता बढ़ाना है।
3. राजकाज के माध्यम से एपीआर जमा करने को अनिवार्य करने की राजस्थान सरकार की पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और अपने कर्मचारियों के बीच प्रदर्शन–संचालित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4. इस ऑनलाइन सिस्टम में लागू किए गए कई लोकप्रिय मॉड्यूल में शामिल हैं : आईपीआर (अचल संपत्ति रिटर्न), फाइल ट्रैकिंग, डाक प्रबंधन, एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट), एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र)। इन सभी प्रक्रियाओं/मॉड्यूल का उद्देश्य विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाना है।
5. इसमें हितधारक राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, अधिकारी हैं। इसका प्रशासनिक पर्यवेक्षण कार्मिक विभाग के पास है एवम् इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) है।

आज राजकाज राजस्थान सरकार की सबसे चर्चित योजना है। आने वाले समय हेतु इसका विजन अग्रलिखित है–

1. समस्त राजकीय विभागों में शत प्रतिशत कार्य एवं सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना।
2. कागज से लेकर 'कम कागज' और अंततः 'कागज–रहित' पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकारी प्रक्रिया सुधार।
3. ई–गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए KPI के रूप में कार्य करना।
4. नई तकनीक में उन्नयन करना।

3. आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली –

राजस्थान सरकार अपने अधीन विभागों और विभिन्न संगठनों में काम करने वाले कई हजार अधिकारियों – कर्मचारियों को नियुक्त करती है। कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रबंधन एक जटिल लेकिन आवश्यक कार्य है, क्योंकि कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सीधे उत्पादकता और दक्षता को प्रभावित करती है। परंपरागत रूप से, उपस्थिति को रजिस्टरों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था जहाँ अधिकारी कार्यालय में आने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे। बायोमैट्रिक प्रणाली विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और उनके कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग और इसके प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से निगरानी उपकरणों की सुविधा प्रदान करती है।

उद्देश्य –

यह प्रणाली कर्मचारियों को स्थापित बायोमेट्रिक उपकरणों में केवल अपने बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट) प्रस्तुत करके उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम बनाती है, जिसे यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) डेटाबेस में कर्मचारी के आधार नंबर के खिलाफ संग्रहीत बायोमेट्रिक विशेषताओं के साथ एक–से–एक मिलान के बाद ऑनलाइन प्रमाणित किया जाता है। यह प्रणाली विभागों/कार्यालयों की ऑन–बोर्डिंग, कर्मचारियों के पंजीकरण और उनकी उपस्थिति रिपोर्ट को केंद्रीकृत स्थान पर प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करती है।

लाभ –

इस प्रणाली ने उपस्थिति डेटा के आसान संकलन और जांच की अनुमति दी है जिससे बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी हो सके। उपस्थिति प्रणाली में 1500 से अधिक कार्यालय और 60 हजार से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं और प्रतिदिन 2500 लेन–देन किए जाते हैं। यह एप्लिकेशन विंडोज और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अभी यह योजना मुख्यतः ईमित्र प्लस परियोजना, कॉलेज शिक्षा और सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग में प्रभावी है।

4. सामान्यीकृत न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (जीसीएमएस) –

जीसीएमएस (सामान्यीकृत न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) एक उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है, जो आम जनता के लिए उनके मामलों के बारे में जानकारी देखने के लिए बनाया गया है, जिसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित निर्णय प्रतियाँ शामिल हैं।

इस पोर्टल में संदर्भ के लिए प्रकाशित मूल्यवान मामलों को खोजने और देखने का विकल्प है।

उद्देश्य –

जीसीएमएस एक सामान्य प्लेटफॉर्म है जिसमें विभिन्न न्यायालय कार्यों की मानक कार्यक्षमताएँ हैं जो राज्य में सभी प्रकार की अदालतों में समान हैं। यह न्यूनतम लीड समय के साथ अदालतों के स्वचालन और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण को सक्षम करेगा।

लाभ –

- इससे अधिवक्ता ई–फाइल अनुरोध कर सकते हैं ।
- वास्तविक समय केस सुनवाई स्थिति प्रदर्शन।
- उपयोगकर्ता के अनुकूल यूआई डिजाइन।
- कार्य उन्मुख उपयोगकर्ता डैशबोर्ड और सार्वजनिक पोर्टल।

इस योजना में प्रमुख हितधारक राजस्व बोर्ड (बीओआर) और इसके अधीनस्थ न्यायालय, कर बोर्ड, खान और भूविज्ञान विभाग (डीएमजी), चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरए) एवम् आम नागरिक है।

5. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऑनलाइन अनुमति अनुमोदन फॉर्म (17–ए) का डिजाइन, विकास और निगरानी –

''भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधिनियम, 2018'' में अंतिम संशोधन के अनुसार, विभाग को कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विभाग ने आगे की जांच के लिए संबंधित विभाग को शिकायत की सूचना देने के लिए 17–ए तैयार करने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता की कल्पना की है।

उद्देश्य –

- भ्रष्टाचार के आरोप पर किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से एसीबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना।
- प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न पीडीएफ पासवर्ड से सुरक्षित है।

- हितधारकों यानी गृह विभाग, एसीबी और सक्षम प्राधिकारी के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

लाभ –

- सुरक्षित नेटवर्क से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
- शिकायतों के संबंध में सभी जानकारी को भविष्य के संदर्भ के लिए संग्रहीत करना।
- कुशल निगरानी के लिए राजकैड टैब्लो टीम द्वारा डैशबोर्ड विकसित किए जा रहे हैं।
- मैनुअल हस्तक्षेप को कम करके प्रक्रिया को मजबूत करना।
- पूरी प्रक्रिया के लिए टर्नअराउंड समय को कम करना
- विभागों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार होगा।

इसके दूसरे चरण में, एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा, जहां सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं और स्वीकृत और लंबित आवेदनों की स्थिति के लिए एक डैशबोर्ड उपलब्ध होगा।

6. राज. ई साइन –

ई–साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, आधार ईकेवाईसी सेवाओं का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता को प्रमाणित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए एक अभिनव पहल है।

ई साइन सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1) एक ऐसी प्रणाली को डिजाइन और विकसित करना ताकि उपयोगकर्ता भौतिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन प्राप्त किए बिना दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सके।
2) प्रमाणन प्राधिकरण का लाइसेंस प्राप्त करना
3) राजस्थान में सच्चे सुशासन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुप्रयोगों, समाधानों और प्लेटफार्मों के लिए एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रणाली के रूप में कार्य करना।

लाभ –

1) इससे कागज रहित सेवा वितरण और कागज रहित कार्यालय का निर्माण संभव

हुआ है।

2) सार्वजनिक सेवा स्वचालन प्रणाली आरंभ हुई है। भविष्य में इससे अग्रलिखित कार्यों तक विस्तार हो सकता है –

- राजस्थान सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं को ई–साइन सेवाएँ प्रदान करना।
- निजी और सरकारी संगठनों को शुल्क के आधार पर ई–साइन और डीएससी सेवा प्रदान करके राजस्व उत्पन्न करना।
- नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करना।

निष्कर्ष –

सार्वजनिक सेवाओं में ई–शासन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आज इससे कम समय में काम हो जाता है चूंकि इसमें कार्य मशीन (कम्प्यूटर) द्वारा होता है। इसके अलावा काम कहीं से, कभी भी कराया जा सकता है। ई–शासन से कार्य या सेवा की दक्षता बढ़ जाती है। ई–शासन से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए सब्सिडी का सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जाने से यह सुनिश्चित होता है कि किसको लाभ मिल रहा है। ई–शासन से राज्य में भ्रष्टाचार में कमी आई है, इससे खुलापन आता है, सरकार में विश्वास बढ़ता है। बिचौलिये या दलाल बीच में नहीं आते। ई–शासन से प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा मिलता है। ई–शासन से पारदर्शिता बढ़ जाती है। सारी सूचना सामने होती है। उदाहरण के लिए टिकट बुक करने वाला लिपिक बर्थ उपलब्ध रहते यह नहीं कह सकता कि बर्थ उपलब्ध नहीं है। स्कूल–कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश हो तो सभी विद्यार्थियों को हर समय पता रहता है कि उन्हें किस जगह प्रवेश मिल सकता है। ई–शासन से कार्य के लागत में कमी आती है। सरकारों का अधिकांश खर्च कागजों (स्टेशनरी) पर होता था। इसके अलावा सामान्य जनता को अपने घर से किसी सरकारी कार्यालय में आने–जाने में बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। ई–शासन में सारे आंकड़े सदा उपलब्ध होते हैं। अतः कभी भी उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है और उसके आधार पर सही निर्णय लिया जा सकता है और सही नीतियाँ बनायी जा सकतीं हैं। ई–शासन से नए व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। ई–शासन के द्वारा एक सामान्य डेटाबेस बन जाता है जिसका उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। राजकीय कार्मिकों ने कुल

कितना काम किया, इसका पता सीधे ही चल जाता है। इससे कर्मचारियों को कार्य–वितरण अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है ताकि कोई कर्मचारी बहुत कम काम न करें और कोई बहुत अधिक काम न करें।

डिजिटल भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में राजस्थान में ई गवर्नेंस का विस्तार करते हुए जनवरी 2023 से कार्यालयों के सामान्य काम में ई फाइलिंग से कार्य की शुरुआत की गई है। इसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। वर्तमान (अप्रैल 2024) में राजस्थान में नई सरकार ने ई फाइलिंग को प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। निःसंदेह राज्य में ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की दिशा में ठोस एवं सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।

❑❑❑

भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

घनश्याम सिंह देवल
नायब तहसीलदार, प्रतापगढ़ अलवर

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मन्त्रालय में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो मौजूदा योजनाओं ''भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण'' तथा ''राजस्व प्रशासन का सुद्ढीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण'' को समेकित करके राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामित्व की गारण्टी के साथ निश्चायक भूमि स्वामित्वाधिकार प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से देश में आधुनिक, विस्तृत एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबन्धन प्रणाली विकसित करना था। इस कार्यक्रम का दायरा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के संघटकों एवं इसके अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा निम्नानुसार रही है–

1. भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण –

(क) नामान्तरण अभिलेखों तथा भूमि का ब्यौरा दर्शाने वाले अन्य डाटा सहित सभी लिखित अभिलेखों की डाटा प्रविष्टि/पुनः प्रविष्टि/डाटा का रूपान्तरण।
(ख) भू–कर मानचित्रों का डिजिटीकरण
(ग) लिखित तथा स्थानिक डाटा का समेकन
(घ) तहसील, उप मण्डल/जिला कम्प्यूटर केन्द्र
(ड.) राज्य स्तरीय डाटा केन्द्र
(च) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तः सम्बद्धता

2. आधुनिक प्रोद्योगिकी विकल्पों का प्रयोग करके (ग्राउण्ड कन्ट्रोल नेटवर्क तथा ग्राउण्ड ट्रुथिंग सहित) सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण एवं व्यवस्थापन अभिलेखों को अद्यतन करना–

(क) टोटल स्टेशन (TS) और विशिष्ट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) के प्रयोग

से पूर्णत जमीनी पद्धति

(ख) हवाई फोटोग्राफी का प्रयोग करके मिश्रित पद्धति तथा टीएस और डीजीपीएस के द्वारा ग्राउण्ड ट्रूथिंग।

(ग) टीएस और डीजीपीएस के द्वारा हाई रेजुलेशन सेटेलाइट इमेजरी (HRSI) और ग्राउण्ड ट्रूथिंग।

3. पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण –

(क) उप पंजीयन के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

(ख) मूल्यांकन ब्यौरों की डाटा प्रविष्टि

(ग) पैतृक ऋणभार सम्बन्धी डाटा की प्रविष्टि

(घ) पुराने दस्तावेजों की स्केनिंग एवं परीक्षण

(ड) राजस्व कार्यालयों के साथ उप पंजीयन के कार्यालय की सम्बद्धता

4. तहसील/तालुक/सर्किल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबन्धक केन्द्र

5. प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन –

(क) प्रशिक्षण कार्यशाला आदि।

(ख) सर्वेक्षण एवं राजस्व प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

6. कोर जीआईएस –

(क) कोर जीआईएस तैयार करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी सहित भू सन्दर्भित भू–कर मानचित्रों के द्वारा ग्राम अभिसूचक आधारमूलक मानचित्र

(ख) तीन स्तरीय डाटा का समेकन (1) हवाई फोटोग्राफी या हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी से प्राप्त स्थानिक डाटा, (2) भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र तथा (3) राजस्व अभिलेखों से प्राप्त जीआईएस सुलभ डिजीटीकृत भूकर मानचित्र। जब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्लाटवार मूल डाटा तैयार कर लिया जायेगा तो लघु एवं बड़ी आयोजना तथा अन्य सुसंगत अनुप्रयोगों के लिए अखण्ड समेकन संभव होगा।

7. विधिक परिवर्तन –

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन

(ख) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन

(ग) अन्य विधिक परिवर्तन

(घ) निश्चायक स्वामित्वाधिकार के लिए मॉडल कानून

8. कार्यक्रम प्रबन्धन –

(क) भूमि संसाधन विभाग में कार्यक्रम स्वीकृति एवं निगरानी समिति

(ख) भूमि संसाधन विभाग तथा राज्य क्षेत्रों में कोर तकनीकी परामर्शदाता समूह

(ग) भूमि संसाधन विभाग तथा राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

(घ) सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप

(ङ) मूल्यांकन

इस योजना को शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण के आधार डिजीटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड्स मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के रूप में पुनरूत्थान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मूख्य संघटकों को निम्न गतिविधियों में उपान्तरित कर दिया गया–

1. भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण,
2. कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजीटाइजेशन
3. अधिकार अभिलेख के शाब्दिक डाटा एवं स्थानीय केडस्ट्रल मैप का एकीकरण
4. सर्वेक्षण एवं पुनर्सर्वेक्षण
5. मॉडर्न रिकॉर्ड रूम
6. राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर तथा तहसील, उपखण्ड एवं जिला केन्द्रों पर कम्प्यूटर केन्द्र
7. राजस्व कार्यालयों के मध्य सम्बद्धता
8. पंजीयन कम्प्यूटराइजेशन का पंजीयन एवं तहसील कार्यालयों के मध्य सम्बद्धता
9. पंजीयन एवं भू अभिलेख रिकार्ड का एकीकरण

डिजीटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मोडिफिकेशन प्रोग्राम के प्राथमिक चरण में एकीकृत भू–सूचना प्रबन्ध प्रणाली को प्राप्त करना है। इसमें प्राथमिक चरण में निम्न कार्यवाही की जानी है–

1. पंजीकरण उप पंजीयक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण
2. पंजीकरण तथा भूमि अभिलेख अनुरक्षण प्रणालियों का समेकन
3. पंजीकरण के पश्चात् स्वतः नामान्तरकरण

4. नामान्तरण लम्बित मामलों को अद्यतन करना तथा उनका कम्प्यूटरीकरण
5. लिखित तथा स्थानिक डाटा का समेकन
6. ग्राउण्ड कन्ट्रोल नेटवर्कों तथा ग्राउण्ड ट्रूथिंग सहित सर्वेक्षण
7. प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना
8. तकनीकी संगठनों को सुदृढ़ बनाना
9. पंजीकरण/तहसील स्तरों पर अभिलेख
10. विकास प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध करना
11. विधिक परिवर्तन
12. एकीकृत भू सूचना प्रबन्ध प्रणाली

राजस्थान में वर्तमान में प्रथम चरण की कार्यवाही पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग समस्त स्थानों पर पंजीयन कार्यालय कम्प्यूटर सुविधायुक्त बन गये हैं। पंजीकरण तथा भूमि अभिलेख अनुरक्षण प्रणालियों का समेकन का कार्य चल रहा है। पंजीकरण के पश्चात् स्वतः नामान्तरकरण की कार्यवाही पर वर्तमान में पूर्ण जोर दिया जा रहा है। लिखित तथा स्थानिक डाटा का समेकन लगभग हर तहसील में पूर्ण कर लिया गया है।

विधिक प्रास्थितियों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस पर राज्य सरकार स्तर पर निरन्तर विमर्श एवं विचारों का आदान प्रदान करने, तथा अधिवक्तागण, समाजसेवकों, कार्मिकों, इस क्षेत्र से जुड़े आमजन से सुझावों को आमन्त्रित किया जा रहा है।

ग्राउण्ड कन्ट्रोल नेटवर्कों तथा ग्राउण्ड ट्रूथिंग सहित सर्वेक्षण पर कार्यवाही की जा रही है और अधिकांश कार्यवाही कर ली गई है।

वर्तमान में राजस्थान में भू अभिलेख कार्य हेतु 10 डिविजनल कमिश्नर न्यायालय, 50 जिला कलक्टर न्यायालय, 71 अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, 32 सहायक कलक्टर न्यायालय एवं 48 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक न्यायालय, 323 उपखण्ड, 426 तहसीलें, 232 उपतहसीलें, प्रशासनिक रूप से कार्यरत है।

पंजीयन एवं भू अभिलेख सूचना को एकीकृत करने के लिए भू–अभिलेख के तहसील एवं उप तहसील कार्यालय को पंजीयन अधिकार दिये जा रहे हैं। वित्त विभाग कर अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 10.02.2023 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की

धारा 5 की उपधारा 1 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों और उपजिलों का निम्नानुसार गठन और उनकी सीमाओं का अवधारण करने बाबत अधिसूचित किया गया है –

1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 के उपबन्धों के अधीन गठित राजस्व जिले को, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रयोजनों के लिए जिले के रूप में गठित किया गया है और ऐसे जिलों की सीमाएं समरूपी राजस्व जिले की सीमाओं के समवर्ती होंगी। तथा
2. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 के उपबन्धों के अधीन गठित राजस्व तहसील या उप तहसील को, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा उपजिले के रूप में गठित किया गया है और ऐसे उपजिले की सीमाएं समरूपी राजस्व तहसील या यथास्थिति उप तहसील की सीमाओं के समवर्ती होंगी।

इसी प्रकार वित्त विभाग कर अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 10.02.2023 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 6 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तालिका में दिये गये पदाभिधान के आधार पर उनके सम्मुख वर्णित रजिस्ट्रीकरण उपजिलों के लिए उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इस तालिका में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, शेष उपजिलों के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना द्वारा उपरजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

इस योजना के तहत मूख्य भू अभिलेख संघटकों भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजीटाइजेशन, अधिकार अभिलेख के शाब्दिक डाटा एवं स्थानीय केडस्ट्रल मैप का एकीकरण, मॉडर्न रिकार्ड रूम, राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर तथा तहसील, उपखण्ड एवं जिला केन्द्रों पर कम्प्यूटर केन्द्र, राजस्व कार्यालयों के मध्य सम्बद्धता पंजीयन कम्प्यूटराइजेशन का पंजीयन एवं तहसील कार्यालयों के मध्य सम्बद्धता, पंजीयन एवं भू अभिलेख रिकार्ड का एकीकरण के उद्देश्य से राजस्व रिकार्ड के अद्यतन के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 में नया अध्याय 7 ऑनलाइन भू अभिलेख को जोड़ते हुए नियम 169एच से लेकर 169एन तक नये नियम बनाये गये हैं।

इन नियमों के अनुसार ऑनलाइन भू अभिलेख संधारण किये जाने के लिए ऑनलाइन भू अभिलेख प्रबन्धन प्रणाली क्रियान्वित किये जाने, इस प्रणाली में एक केन्द्रीय भण्डार में इलेक्ट्रोनिक रूप में ऑनलाइन डाटा रखे जाने, ऐसे डाटा को इन्टरनेट पर आम व्यक्ति द्वारा देखने के लिए उपलब्ध रखने, जमाबन्दी, केडस्ट्रल मैप, खसरा गिरदावरी नामान्तरण एवं फर्दबदर द्वारा अभिलेख में परिवर्तनों पर तहसीलदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर करने वाले तहसील क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में जमाबन्दी के निर्माण की विधि निर्धारित की गई है एवं उसके समयकाल चौसाला के बजाय चिरस्थायी बनाया गया है।

अधिसूचित क्षेत्र के केडस्ट्रल मैप्स को डिजीटल वेक्टराज के रूप में रखने की व्यवस्था दी गई है।

अधिसूचित क्षेत्र में खसरा गिरदावरी के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा गिरदावरी मोबाइल उपयोग द्वारा करने तथा खसरा गिरदावरी के शेष प्रपत्र पी–14, पी–16, पी–16क, पी–17, पी–17क, पी–18, पी–19, पी–19क में निर्दिष्ट समस्त सुसंगत रिपोर्ट प्रणाली द्वारा स्वत– उत्पन्न किये जाने का तकनीकी समाधान किया गया है।

अधिसूचित क्षेत्र में नामान्तरकरण करने के लिए पी–21 में ऑनलाइन किये जाने, स्वामित्व में किसी भी रूप में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर नामान्तरकरण एकीकृत ऑनलाइन भू अभिलेख प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा स्वतः नामान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

इसी प्रकार अधिसूचित क्षेत्र में फर्दबदर की कार्यवाही पी–27 में नामान्तरकरण जैसे ही किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

ऑनलाइन रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन भू अभिलेखों (जमाबन्दी, नक्शा उद्धरण, खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण और फर्द बदर) की ऑनलाइन प्रतियां देखने और डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होने तथा ऑनलाइन भू अभिलेखों की डिजीटल हस्ताक्षरित अधिप्रमाणित प्रतियां, इन नियमों में यथाविहित फीस के संदाय पर ऑनलाइन, डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराये जाने एवं इन प्रतियां पर उनके उत्पन्न होने की तारीख और समय तथा साथ ही अद्वितीय क्रम संख्या अंकित होने, प्रत्येक की अधिप्रमाणिकता इस अद्वितीय क्रम संख्या के मार्फत किसी के भी द्वारा सत्यापित किये जा सकने योग्य होने बाबत नियमों में व्यवस्था दी गई

है। वर्तमान में राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि निःशुल्क कर दी गई है।

डाटा सुरक्षा–किसी भी भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली के लिए, सामग्री की सुरक्षा (डाटा सुरक्षा सहित) और डाटा की सत्यता मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कितनी की जा रही है, इस प्रयोजन के लिए नियमित तौर पर मूल्यांकन किया जाता है।

निष्कर्षतः भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के डिजीटल कार्यक्रम के पूर्ण होने पर आम जनता को उनके भू अभिलेख रिकार्ड पर आसान पहुंच होगी। रिकार्ड पारदर्शी एवं त्रुटिरहित तैयार होगा। अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी होगी। भू अभिलेख डाटा राज्य एवं केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए आधार समंकों के रूप में प्रयुक्त हो सकेगा। योजनाएं सही एवं सटीक हो सकेंगी। राजस्व न्यायालयों का कार्यभार कम होगा। आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। राजस्व का प्रशासन सहज हो सकेगा। बाजार का अनुमान सटीक हो सकेगा। किसानों को फसलों एवं उत्पादन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त रहेगा। बाजार के फसलों एवं अन्य उपभोग के उत्पादनों के मूल्यों पर नियन्त्रण एवं प्रेक्षण सम्भव रहेगा। भूमि अपराधों की रोकथाम हो सकेगी।

❑❑❑

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तरीके, अधिकारियों के कर्तव्य, समस्याएं, उनके समाधान और न्यायालय के निर्णय

श्री शंकरलाल बलाई
तहसीलदार, राजस्व मण्डल, अजमेर

1. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की आवश्यकता

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात राज्यों का गठन हुआ, सभी राज्यों ने अपने–अपने राज्यों के लिये राजस्व नियम बनाये। राजस्थान में भूमिहीन कृषकों, कृषि श्रमिकों व कृषि कार्य सहायकों को राजकीय कृषि भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का लोक कल्याणकारी कार्य आरम्भ किया गया। राजस्थान राज्य का गठन हो जाने के बाद राज्य की स्थिति, भूमि धारण की असमानता प्रकट कर रही थी अर्थात राज्य में भूमि धारण करने के क्षेत्रफल में असामान्य असमानता थी, राज्य सरकार ने इस असमानता को समाप्त करने के लिये एक लोक कल्याणकारी योजना लागू कर राज्य के भूमिहीन व्यक्तियों को राजकीय भूमि कृषि प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटन बाबत राजस्थान में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बनाये गये हैं इन नियमों के तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गयी इसलिये भूमिहीन, कृषि श्रमिकों एवं कृषि सहायकों को निःशुल्क कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की आवश्यकता हुई। नियम 1970 से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 थे।

2. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 की विवेचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 में राज्य के भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया, उक्त धारा में उपधारा 1 से 4 एवं उपधारा 4 के तहत खण्ड 1 से 3 बनाये गये जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भूमि किन– किन व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी और किन्हें नहीं। साथ ही आवंटन का क्रम किस प्रकार होगा आदि व्यवस्था की गई है।

3. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें

- आवंटन की जाने वाली भूमि काश्त योग्य होकर अनाधिवासित होनी चाहिये।

- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां नहीं हो।
- यदि आवंटन योग्य खसरा नम्बर बड़ा हो तो आवंटन से पूर्व उसका नक्शा ट्रेस बनाकर उसमें रास्ता निकाला जाकर अवशेष भूमि का विधिवत आवंटन किया जाना चाहिये।
- आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उसी ग्राम में होगी जिस ग्राम की भूमि आवंटित की जा रही है।
- कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन ग्राम की मजमे आम सभा में की जायेगी।

4. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन में राजस्व अधिकारियों के कर्तव्य

किसी ग्राम में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होने पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाता है, इसमें पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के निम्न कर्तव्य हैं।

पटवारी

- किसी पटवारी के हल्के में राजकीय भूमि जो कृषि योग्य उपलब्ध हो उस भूमि की रिपोर्ट कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के लिये निर्धारित प्रारूप 1 में तैयार कर सितम्बर माह से पूर्व तहसीलदार को भिजवायेगा।
- यदि इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रारूप 3 में प्रस्तुत करते हैं तो उपखण्ड अधिकारी इन आवेदन पत्रों पर पटवारी की रिपोर्ट एवं जांच हेतु तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पटवारी अभिलेख के आधार पर पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर भू अभिलेख निरीक्षक को जांच हेतु भेजता है।
- जब भी पटवारी के हल्के में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होती है तो उसमें पटवारी का उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त बैठक में पटवारी, आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विषय में भूमि के रेकार्ड को उपलब्ध कराना जिसमें पात्र व्यक्ति को भूमि आवंटित की जा सके और अपात्र को वंचित किया जा सके।
- आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की जाती है उनके आदेश तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त होने पर पटवारी संबंधित आवंटी को उस खसरा नम्बर में भूमि सुपुर्द करेगा जिस खसरा में भूमि आवंटित की गयी है। भूमि सुपुर्दगी के साथ पटवारी अपने नक्शे में आवंटित भूमि की तरमीम करेगा,

उसके पश्चात आवंटी के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करेगा, नामान्तरण स्वीकार हो जाने पर जमाबन्दी में अमल दरामद करेगा।

भू अभिलेख निरीक्षक

- कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत् उपलब्ध खसरान की सूची पटवारी से प्राप्त होने पर भू अभिलेख निरीक्षक उसकी जांच मौके व जमाबन्दी से करेगा, सूची उचित पाये जाने पर अपने हस्ताक्षर कर तहसीलदार को भिजवायेगा।
- जब भी भू अभिलेख निरीक्षक के वृत में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हो उसमें उपस्थित होकर अपने क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने में सहयोग करेगा।
- कमेटी द्वारा भूमि आवंटन कर देने के पश्चात उन व्यक्तियों को भूमि सुपुर्दगी की कार्यवाही करवाई जाती है इसमें पटवारी की आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। सुपुर्दगी के पत्रादि पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
- पटवारी द्वारा आवंटन का नामान्तरण दर्ज कर प्रस्तुत करने पर उसकी जांच कर उचित होने पर तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।
- तहसीलदार द्वारा नामान्तरण स्वीकार कर देने पर भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी के नक्शे में आवंटन की तरमीम को लाल स्याही से पुख्ता करेगा।

तहसीलदार

- कृषि प्रयोजनार्थ उपलब्ध भूमि की सूची प्राप्त होने पर तहसीलदार निर्धारित प्रारूप 1 में प्रतिवर्ष माह सितम्बर में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- तहसीलदार पटवारी से प्राप्त आवंटन योग्य खसरा नम्बर की सरसरी जाँच करेगा इसके पश्चात ही उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य होता है इसलिये वक्त आवंटन उसमें उपस्थित रहेगा।
- जब किसी व्यक्ति को भूमि आवंटित कर दी जाती है तो उपखण्ड अधिकारी इसकी पालना हेतु तहसीलदार को आदेश भिजवाते हैं इसके आधार पर तहसीलदार अपने कार्यालय में इसे दर्ज कर पटवारी को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने बाबत् भिजवाता है।
- जब पटवारी द्वारा आवंटन का नामान्तरण दर्ज कर तहसीलदार को स्वीकृति हेतु

प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात नामान्तरण को स्वीकार करेगा।

- यदि आवंटन छल, कपट और दुराशयपूर्ण किया गया तो निरस्त की कार्यवाही प्रस्तावित करेगा।

उपखण्ड अधिकारी

- उपखण्ड अधिकारी अपने उपखण्ड में स्थित तहसीलों में दर्ज बिलानाम काबिल काश्त भूमियों की सूची प्राप्त करने हेतु तहसीलदार को निर्देश देंगे और सितम्बर माह से पूर्व सूचियां प्राप्त करेंगे।
- उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार से प्राप्त अनाधिवासित भूमि की सूचियों की एक प्रति जिला वन अधिकारियों को भेजी जायेगी।
- तहसीलदार से प्राप्त सूची में से जो खसरा सार्वजनिक काम की भूमियों के हो उनके उपयोग के अनुसार आरक्षण कर लेना चाहिये।
- तहसीलदार से प्राप्त सूची में से अवशेष भूमि का उपखण्ड अधिकारी मौका निरीक्षण करेगा इसके पश्चात आवंटन करने हेतु उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें आवंटन की दिनांक व स्थान निश्चित किये जायेंगे।
- जब आवंटन का कार्य किया जाना हो तो उपखण्ड अधिकारी सलाहकार समिति की राय से भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन की कार्यवाही करेगा। किये गये आवंटन का राजस्व अभिलेखों में अंकन करने हेतु तहसीलदार को आदेशित करेगा।

5. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन संबंधित समस्याएं और समाधान

क्र.सं.	समस्याएं	समाधान
1	यदि ग्राम में अनाधिवासित भूमि उपलब्ध नहीं हो तो क्या अधिवासित भूमि आवंटन की जा सकती है?	यदि अनाधिवासित भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तो आवंटन नहीं किया जा सकता है।
2	यदि किसी राजपत्रित अधिकारी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करवाना हो तो कौन अधिकारी सक्षम है।	राज्य सरकार की स्वीकृति से ही आवंटन कमेटी कर सकती है।

3	क्या किसी अराजपत्रित कर्मचारी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की जा सकती है।	हाँ, की जा सकती है लेकिन जिला कलक्टर की स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
4	आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की कौरम पूर्ण नहीं होने पर भी किस व्यक्ति को भूमि आवंटन की जा सकती है।	सागड़ी प्रथा से विमुक्त कराये गये व्यक्ति को।
5	किसी व्यक्ति को पूर्व में आवंटन की गयी भूमि को उसने विक्रय कर दिया है तो क्या उसे पुनः भूमि आवंटन की जा सकती है?	नहीं।
6	क्या किसी कृषि पर्यवेक्षक को भूमि आवंटन की जा सकती है।	नहीं
7	किसी अजा/जजा के व्यक्ति को आवंटित भूमि किन्हीं कारणों से खारिज होकर सिवायचक दर्ज हो गयी हो तो क्या उक्त भूमि पुनः आवंटन की जा सकती है।	हाँ, की जा सकती है लेकिन उन्हीं वर्ग के व्यक्तियों को जो कि अजा/जजा के सदस्य हो।
8	आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल के अनुसार भूमि आवंटित कर दी, किन्तु नक्शे व मौके पर जमाबन्दी के अनुसार क्षेत्रफल कम है तो क्या करना होगा।	उक्त स्थिति में नक्शे व मौके के अनुसार भूमि आवंटी को सुपुर्द करनी चाहिये।

9	यदि कोई व्यक्ति छल, कपट के माध्यम से भूमि आवंटन करवाने में सफल हो जाता है तो उसके विरूद्ध क्या करना पड़ता है।	यदि कोई व्यक्ति छल, कपट से भूमि आवंटन करवाने में सफल हो जाता है तो उसके विरूद्ध तहसीलदार राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त करवाने हेतु कलक्टर को अपील प्रस्तुत करेगा।
10	आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा अतिक्रमी को उसके कब्जे वाले भूमि का नियमन किया गया। नियमन वाली भूमि जमाबन्दी में खातेदार या गैर खातेदार इनमें से क्या दर्ज होगी।	ऐसे मामलों में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 (2) के तहत गैर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये।

6. न्यायिक दृष्टान्त

- कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय।
- किसी आवंटन को तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। आरआरडी 1993 पृष्ठ 596 बृजराज बनाम राजस्व मंडल प्रकरण संख्या 3621/1982 निर्णय दिनांक 19.03.1993.
- किसी अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आरआरडी 1994 पृष्ठ 487
- किसी अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को हटाये बिना आवंटन नहीं किया जा सकता है। आरआरडी 2001 पृष्ठ 437
- अतिक्रमी के कब्जे की भूमि अधिवासित भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। रहीम खाँ बनाम नूर मोहम्मद आरआरडी 1987 पृष्ठ 54
- किसी भूमि पर किसी अतिचारी का अतिक्रमण हो तो भी अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन की जा सकती है। आरआरडी 2007 पृष्ठ 161. शिवचरण बनाम मनमोहन व अन्य। प्रकरण संख्या 425/2004 निर्णय दिनांक 12.05.2006

- यदि चरागाह भूमि कलक्टर द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी गयी हो तो इस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किया जा सकता है। सत्तार व अन्य बनाम बृजलाल एवं अन्य। प्रकरण संख्या 11660/1999 दिनांक 12.05.2006

  आरआरडी 2007 पृष्ठ 102
  आरएलडब्ल्यू 2005 (2) एचसी 105
  एआइआर 1998 एससी 2276
  आरबीजे 2004 पृष्ठ 327, 535
  आरएलआर 2006 (2) पृष्ठ 268
  एआइआर 2002 एससी 2004
  आरआरडी 1993 पृष्ठ 44,232
  आरबीजे 1995 पृष्ठ 780
  आरआरडी 1997 पृष्ठ 412
  आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पृष्ठ 278

❑❑❑

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/593/2020/उदयपुर

1. मृतक कूका जरिये वारिसानः—
    - 1/1. श्रीमती जमनी बाई पति कूका गायरी निवासी बड़ी तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
    - 1/2. श्री शान्तिलाल पिता कूका गायरी निवासी बड़ी तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
    - 1/3. श्रीमती लोगरबाई पिता कूका गायरी निवासी बड़ी तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर पत्नी श्री नाथू गायरी निवासी सुन्दरवास जिला उदयपुर
    - 1/4. श्रीमती धापु बाई पिता कूका गायरी निवासी बड़ी तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर पत्नी श्री भंवरलाल गायरी निवासी बड़गांव जिला उदयपुर।
2. लालू पिता मानाजी गाडरी निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर।
2. राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
3. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास,उदयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट्स।

(2) श्री शंकरलाल जाट, राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

(3) श्री जे0के0 पन्त, अभिभाषक रेस्पो. सं. 3

निर्णय

दिनांक : 15.05.2024

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर की अपील संख्या 184/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), गिर्वा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादपत्र में अंकित कृषि भूमि को वादीगण की खातेदारी एवं आधिपत्य की घोषित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत कैम्प तहसील बड़गांव में प्रस्तुत होने पर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वाद विधि विरूद्ध होने से/साबित नहीं होने से इसी स्तर पर वादी का वाद खारिज किया गया जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट्स ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2019 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत् रखा गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2019 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपजिला कलक्टर, गिर्वा में अपीलांट की ओर से स्वयं साक्ष्य में उपस्थित हुआ तथा अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय पेश किया किन्तु इसका बिना अवलोकन किये आक्षेपित निर्णय प्रदान किया जो कि न्याय की गरिमा के खिलाफ है। यदि किसी व्यक्ति

का आधिपत्य सरकारी भूमि पर 30 वर्षों से भी अधिक पुराना है तो प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर मालिकाना हक प्रदान किया जाने का विधि में प्रावधान है क्योंकि धारा 27 कानून मियाद अधिनियम के आधार पर अपीलांट से कब्जा लिये जाने की मियाद समाप्त हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि विधिवत् सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांट के खाते में अंकित करायी जाकर रेस्पो0 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करायी जाये कि रेस्पो. अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जावें तथा रेस्पो. को आदेश प्रदान किया जाए कि वह उक्त भूमि अपीलांट के खाते में अंकित करायी जाए तथा अपीलांट को रेस्पो0 बेदखल नहीं करें।

5. प्रत्युत्तर में योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद लोक अदालत में अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10–07–2017 से साबित नहीं होने के कारण सही खारिज किया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 23–10–2019 से सारहीन होने से खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7. विद्वान सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), गिर्वा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 में अंकित किया है कि वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

8. विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2019 में अंकित किया कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2019 यथावत् रखी जाती है।

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान अपीलार्थी/वादी ने

विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), गिर्वा में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का पिछले 50 वर्षों से लगातार बिना किसी दखल के स्वतन्त्रतापूर्वक कब्जा चला आ रहा है जिससे वादीगण प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर उक्त भूमि के विधिक खातेदार काश्तकार हो गये है। अतः उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य को घोषित फरमायी जावें। वाद के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ी सम्वत् 2064 से 2067 पेश की गई है जिसमें आराजी नं. 1774/3146 रकबा 1.5600 है. किस्म पहाड़ तथा आराजी नं. 1777 रकबा 0.1500 किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिज काश्त दर्ज है। वादीगण का वाद मुख्यतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है। राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 में प्रतिकूल कब्जे (कब्जा मुखालफाना) (Adverse passession) के आधार पर खातेदारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी आधार पर विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा ने वादी का वाद खारिज किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23–10–2019 में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादीगण के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों के अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधिसम्मत् होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की है जो पूर्णतया विधिसम्मत् है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)	**(राजेश्वर सिंह)**
सदस्य	**अध्यक्ष**

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6727/2019/सिरोही

1. सरकार **.....अपीलार्थीगण**

बनाम

2. मनोहर टेहलनानी व अन्य **.....प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः

(1) श्री शंकरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उपराजकीय अभिभाषक।

(2) श्री जी.एस. चारण, अधिवक्ता, रेस्पोण्डेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 21.12.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प सिरोही द्वारा अपील सं0 09/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 एवं 25.07.2018 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया स्वयंविवेकीय निर्णय में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त करने की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा संख्या 377 में से रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा संख्या 378 में से 5

बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 378/1 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 22004.78 वर्गमीटर भूमि का खातेदार शंकरलाल पुत्र दाना जी भील द्वारा जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन) नियम 2007 के तहत आवेदन पेश कर आराजी को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर सिरोही ने अपने आदेश दिनांक 05–04–2010 के द्वारा विवादित आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात् पट्टाधारी शंकरलाल द्वारा उक्त भूमि का रेस्पो. के पक्ष में जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया किन्तु रेस्पों. क्रम 01 द्वारा उक्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन किया जाने से तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर सिरोही के यहां पेश कर कथन किया कि भूमि का आवासीय उपयोग हेतु रूपांतरण किया गया किन्तु रेस्पो. द्वारा नियमों के विरूद्ध भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। इसलिए रेस्पो. क्रम 01 द्वारा क्रय की गई आराजी को राजकीय बिलानाम घोषित किए जाने का आदेश पारित किया जावे। जिला कलक्टर द्वारा विधिवत् आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी का खातेदार के पक्ष में आवासीय रूपांतरण किया गया था, किन्तु उसके द्वारा रेस्पो. को आराजी का विक्रय करने के पश्चात् उसने आवासीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग में करना प्रारंभ कर दिया, जबकि आराजी का आवासीय रूपांतरण होने के कारण उसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु वर्तमान प्रकरण में रूपांतरण नियमों की रेस्पो. द्वारा पालना नहीं की जा रही है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि खातेदार शंकरलाल भील जो की अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है उसने रेस्पो. जो की सवर्ण जाति का व्यक्ति है के पक्ष में आराजी का विक्रय किया है इस कारण उक्त विक्रय पत्र धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विपरीत होने से जिला कलक्टर ने विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज करने का विधिवत् आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प सिरोही द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 29—06—2018 व 25—07—2018 को निरस्त फरमाए जाकर विद्वान जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20—04—2018 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—06—2018 एवं 25—07—2018 के विरूद्ध दिनांक 14—11—2019 को मण्डल के समक्ष अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कोई संतोषजनक एवं पर्याप्त कारण नहीं बताए है, जबकि विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण बताने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 बी का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि आदेश पारित करने से पूर्व ही विवादित भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन हो चुका था इस कारण उक्त भूमि कृषि प्रयोजन के रूप में परिभाषित नहीं थी। उक्त भूमि आबादी दर्ज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में बेचान होना साबित नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि बेचान धारा 42 बी से बाधित होता है तो उसपर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए सहायक कलक्टर सक्षम है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय जिला कलक्टर सिराही द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश को विधिसम्मत रूप से त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की थी जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त आराजी पर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ नहीं की गई है यदि भविष्य में उक्त आराजी पर व्यावसायिक गतिविधि की जावेगी तो उसका नियमानुसार शुल्क जमा कराने को रेस्पो0 तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—06—2018 एवं 25—07—2018 बहाल रखा जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर सिरोही ने अपने आदेश

दिनांक 05–04–2010 के द्वारा विवादित आराजी के सम्बंध में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 की अधीन अकृषिक प्रयोजन (आवासीय) संपरिवर्तन किए जाने के आदेश शर्तों के आधार पर प्रदान किए गए। तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपने आदेश दिनांक 20–04–2018 के द्वारा शर्तों की पालना नहीं किए जाने के आधार पर विवादित आराजी का किया गया संपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया। अप्रार्थी/रेस्पो. ने परीक्षण न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–04–2018 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–06–2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 25–07–2018 के द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार जरिये तहसीलदार के द्वारा मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। **चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भूमि रूपांतरण का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 75 व 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील का प्रावधान होता है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो. ने जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष पोषणीय नहीं थी फिर भी राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की गई है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सरकार जरिए तहसीलदार के द्वारा मण्डल के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है। इस प्रकार सरकार द्वारा मण्डल के समक्ष की गई अपील भी विधि विरूद्ध पेश की गई है जो मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं है, क्योंकि भूमि रूपांतरण के मामलों में धारा 75 व 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन अपील किए जाने का प्रावधान है तथा मण्डल के समक्ष निगरानी का प्रावधान है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अपीलें विधि**

विरूद्ध पेश की गई है जो अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं है। संपरिवर्तन/रूपांतरण के मामलों की अपील धारा 75 व 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन किए जाने का प्रावधान है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय 29—06—2018 एवं 25—07—2018 क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किए जाते हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—04—2018 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4837/2020/जयपुर

1. कालूराम पुत्र बिरधाराम जाति जाट निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. रामपाल पुत्र बिरधाराम जाति जाट निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री बिरधाराम आयु 51 वर्ष जाति जाट निवासी गाम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक) जरिये कायममुकामः—
   3/1 लाली पुत्री स्व0 बिरधाराम
   3/2 लच्छी पुत्री स्व0 बिरधाराम
4. छीतरमल पुत्र बिरधाराम जाति जाट निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर। **.....अपीलार्थीगण**

बनाम

1. नन्छूराम पुत्र श्री बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. चन्द्र प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1756 तेलीपाडा चौड़ा रास्ता जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर। **.....रेस्पोडेन्ट**

खण्डपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः

श्री विजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।

श्री सीपी पाराशर, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.05.2024

1. उपरोक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील सं. 1069/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02–11–2020 के विरूद्ध धारा 224 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित करते समय इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादी ने राजीनामें में वाद विड्रो की कोई परमिशन नहीं मांगी थी। परंतु रेस्पो. संख्या 2 के हिस्से को अवश्य अलग किया था। परंतु शेष प्रतिवादीगणें का भी बंटवारा होना शेष था। उक्त बंटवारं बाबत् माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं करके अहम कानूनी भूल की है। जिससे की वाद में अधूरी कार्यवाही सम्पन्न हुई है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष यदि राजीनामा अधूरा प्रस्तुत हुआ था तो उन्हें इसकी जांच करके लौटा देना चाहिए था या निरस्त कर देना चाहिए था। परंतु उनके आदेश दिनांक 02–11–2020 को देखने से स्पष्ट होता है कि ना तो उन्होंने राजीनामें का वाद एवं अपील के आधार पर अध्ययन किया है और न ही कोई परिपूर्ण अथवा परिपक्व आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी का वाद छः खसरा नम्बरों के लिए था जो कि खसरा नम्बर 370, 384, 392, 406, 407, 409 कुल किता 6 कुल रकबा 5.28 हैक्टेयर थे। जबकि राजीनामा केवल खसरा नम्बर 384 के लिए ही था। इस प्रकार जब वादी के वाद में राजीनामा जिस खसरा नम्बर के लिये किया गया है तो उसके अतिरिक्त अन्य शेष नम्बरों के बारे में भी उन्हें आदेश प्रदान करना आवश्यक था। चूंकि वादी एक बार इन खसरा नम्बरों के लिये वाद न्यायालय में पेश कर चुका है और यदि खसरा नम्बर 384 के अलावा वादी पुनः शेष खसरा नम्बरों के लिए वाद पेश करता है तो वह कानूनन ऐसा करने से प्रतिबंधित है। इसलिए वादी अथवा चंद्र प्रकाश के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को बंटवारें के सम्बंध में कोई समाधान नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए

अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय को या तो राजीनामा अस्वीकार करना चाहिए था अथवा खसरा नम्बर 384 के अलावा अन्य खसरा नम्बरों के लिए वाद को कुरेजात पेश या कुरेजात पर आपत्ति के लिए विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करना चाहिए था। परंतु दोनों ही बाते अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में अनुपस्थिति है। अतः निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02–11–2020 मय राजीनामा निरस्त किये जाकर सभी खसरा नम्बरों के सभी पक्षों के बंटवारे के आदेश हेतु उचित आदेश फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2000 आरआरडी पेज 72–73 एवं राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स 18 से 21 पेश किया।

4. इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनामा पेश किया गया। उक्त राजीनामें को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 02–11–2020 को तस्दीक किया गया। उक्त लिखित राजीनामें के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02–11–2020 के द्वारा लिखित राजीनामे अनुसार अपील का निस्तारण किया गया था। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। बरूए राजीनामा अपील का निस्तारण किया गया है, बरूए राजीनामा किये गये निर्णय कि अपील पोषणीय नहीं है। राजीनामें पर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। उक्त राजीनामा विधिक था, विधिक होने के आधार पर ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02–11–2020 का निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

5. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। वादी/रेस्पो0 क्रम 01 नन्छूराम ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम नीदड तहसील आमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 370, 384, 392, 406, 407, 409 कुल 07 किता की कुल रकबा 6. 70 है0 भूमि के सम्बंध में पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक

12—09—2017 के द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रारंभिक डिक्री पारित की। तत्पश्चात् दिनांक 08—12—2017 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08—12—2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 04/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 02—11—2020 को अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत लिखित राजीनामा पेश किया गया। उक्त राजीनामें को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 02—11—2020 को ही तस्दीक किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02—11—2020 से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण कर दिया।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—11—2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01/अपीलाण्ट कालूराम व अन्य द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गई है। मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलाण्टगण ने मुख्य रूप से कथन किया है कि ''प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित करते समय इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वादी ने राजीनामें में वाद विड्रो की कोई परमीशन नहीं मांगी थी। रेस्पों. संख्या 02 के हिस्से को अवश्य अलग किया था, परंतु शेष प्रतिवादीगणों का भी बंटवारा होना शेष था। उक्त बंटवारे बाबत् माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं करके कानूनी भूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—11—2020 अपूर्ण होने से निरस्तनीय है।'' हम अपीलाण्ट के उक्त कथन से सहमत है कि वादी ने राजीनामें में वाद विड्रो की कोई अनुमति नहीं मांगी थी। इस सम्बंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश में वाद विड्रो की किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाण्टगण द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि ''प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में केवल खसरा संख्या 384 के सम्बंध में राजीनामा हुआ था लेकिन शेष खसरा नम्बर 370, 392, 406, 407, 409 का पक्षकारान के मध्य विभाजन होना शेष है।'' अपीलाण्टगण के उक्त कथन के सम्बंध में हमने पक्षकारान द्वारा

प्रस्तुत लिखित राजीनामें का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामे अनुसार उनके द्वारा विवादित आराजी के खसरा संख्या 384 रकबा 2.99 है. के सम्बंध में लिखित राजीनामा पेश कर आपसी सहमति से विभाजन किये जाने का कथन किया है जिसके अनुसार खसरा संख्या 384 रकबा 1.38 है. रेस्पो. क्रम 02 चन्द्रप्रकाश को तथा खसरा संख्या 384/1 रकबा 1.61 है. भूमि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पो. क्रम 01 व 03 लगायत 05 को राजीनामें अनुसार दिये जाने का उल्लेख किया गया है तथा शेष भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो. क्रम 01 व 03 लगायत 05 की शामलाती दर्ज रहने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 384 रकबा 2.99 है. भूमि का विभाजन आपसी सहमति के आधार पर कर लिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामें के आधार पर खसरा संख्या 384 का राजीनामे अनुसार विभाजन हो चुका है शेष भूमि राजीनामें अनुसार अपीलाण्टगण व रेस्पो. क्रम 01 के शामलाती खाते में रहने का भी उल्लेख किया गया है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–11–2020 के विरूद्ध अपील पेश की है, प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बरूए राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर डिक्री पारित की है जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। राजीनामें के आधार पर पारित की गई डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त राजीनामा पक्षकारान द्वारा लिखित में किया गया है जिसपर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 384 के अलावा अन्य भूमियां भी है जिनका पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं हुआ है और उक्त शेष भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 1.27 है., खसरा संख्या 379 रकबा 1.12 है., खसरा संख्या 392 रकबा 0.08 है., खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 है., खसरा संख्या 407 रकबा 0.34 है., खसरा संख्या 409 रकबा 0.30 है. कुल किता 05 रकबा 3.71 है. जिसका पक्षकारान के मध्य विभाजन होना है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामें अनुसार शेष भूमि अपीलाण्टगण व रेस्पो. क्रम 01 के शामलाती खाते में दर्ज रहने का उल्लेख किया गया है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08–12–2017 को निरस्त कर दिया गया है। **ऐसी स्थिति में हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षण**

न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित समझते हैं कि वे शेष रही भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 1.27 है., खसरा संख्या 379 रकबा 1.12 है., खसरा संख्या 392 रकबा 0.08 है., खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 है., खसरा संख्या 407 रकबा 0.34 है., खसरा संख्या 409 रकबा 0.30 है. कुल किता 05 रकबा 3.71 है. को अपीलाण्ट क्रम 01 कालूराम, अपीलाण्ट क्रम 02 रामपाल, अपीलाण्ट क्रम 03 प्रभाती जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान लालीदेवी एवं लच्छीदेवी व अपीलाण्ट क्रम 04 छीतरमल तथा रेस्पों. क्रम 01 नन्छूराम के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें। इस सम्बंध में अपीलाण्टगण व रेस्पो. क्रम 01 को भी निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर के समक्ष उक्त निर्णय की प्रति के साथ शेष रहे खसरा नम्बरान खसरा संख्या 370 रकबा 1.27 है., खसरा संख्या 379 रकबा 1.12 है., खसरा संख्या 392 रकबा 0.08 है., खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 है., खसरा संख्या 407 रकबा 0.34 है., खसरा संख्या 409 रकबा 0.30 है. कुल किता 05 रकबा 3.71 है. के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित होवें।

6. परिणामतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट बरूए राजीनामा के विरूद्ध पेश किये जाने से पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है। अपीलाण्टगण एवं रेस्पो. क्रम 01 को निर्देशित किया जाता है कि वे पैरा संख्या 05 में किये गये विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर के समक्ष खसरा संख्या 384 के अलावा शेष भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 1.27 है., खसरा संख्या 379 रकबा 1.12 है., खसरा संख्या 392 रकबा 0.08 है., खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 है., खसरा संख्या 407 रकबा 0.34 है., खसरा संख्या 409 रकबा 0.30 है. कुल किता 05 रकबा 3.71 है. के सम्बंध में विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु चाराजोही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2023 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि)

राजस्व न्यायिक प्रकरण : त्वरित निस्तारण हेतु सुझाव

अरुण कुमार पुरोहित
आईएएस

राजस्थान राज्य में भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन के साथ, राजस्व संबंधी मामलों में निपटारे के लिए अलग राजस्व अदालतें स्थापित की गईं। इस अवधारणा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अशिक्षित कृषक वर्ग को अपने भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सिविल अदालतों की अत्यंत जटिल एवं समय साध्य न्यायिक प्रक्रिया से छुटकारा दिलाना रहा है लेकिन धीरे-धीरे राजस्व अदालतों की प्रक्रिया को भी विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का सहारा लेकर इसे जटिल बना दिया गया। इसके अलावा राजस्व न्यायिक कार्यों के निष्पादन में पीठासीन अधिकारियों के अनुभव और संसाधनों की कमी के कारण आज किसानों को भूमि बंटवारे के साधारण मामले में भी दस से पंद्रह साल और उससे भी अधिक समय तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार राजस्व न्यायालयों को सिविल न्यायालयों से अलग करने के बावजूद वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मामलों को सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में देने की सिफारिशें भी की जाती रही हैं।

राजस्व न्यायालयों के उद्देश्य

भूमि सुधार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने, किसानों के अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करने तथा विवादों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 256 के तहत राजस्व कानून से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में करने पर रोक लगा दी गई है।

राजस्व न्यायालयों के प्रकार

वर्तमान में राजस्व न्यायालयों की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत ट्रायल कोर्ट, जिसमें तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी, सहायक कलेक्टर और अपीलीय न्यायालय के रूप में

जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजस्व अपील प्राधिकारी, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शामिल हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पुनरीक्षण या अधीक्षण न्यायालय के रूप में गठित किया गया है। इन न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य विषयवार उपनिवेशन, बन्दोबस्त जागीर आदि न्यायालयों का भी गठन किया गया है।

राजस्व न्यायालयों के मुख्य विवाद विषय

वर्तमान में राज्य की विभिन्न अदालतों में खातेदारी भूमि के बंटवारे, सीमा विवाद, रास्ता सुखाचार, विरासत के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा और म्यूटेशन से संबंधित लाखों विवाद लंबित हैं।

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली

राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों के निस्तारण के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के साथ-साथ इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम और राजस्व न्यायालय मैनुअल में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत मुकदमा दायर करने से लेकर निर्णय और डिक्री पारित करने और उसके निष्पादन तक की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से विहित किया गया है।

राजस्व न्यायालयों के कार्य में व्यावहारिक कठिनाइयाँ

- राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों को अपने कम न्यायिक कार्य अनुभव और अदालती कार्यों के लिए सीमित समयावधि उपलब्धता के कारण न्यायिक कार्यों के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिवक्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
- वर्तमान में राजस्व न्यायालयों के अत्यधिक विकेन्द्रीकरण के कारण उपखण्ड/तहसील स्तर पर न तो पर्याप्त अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है और न ही विशेषज्ञ अधिवक्ता ही पैरवी के लिये पहुँच पा रहे हैं।
- उपखण्ड एवं तहसील स्तर की अदालतों में लॉ लाइब्रेरी कंप्यूटर, फर्नीचर, इंटरनेट नेटवर्क जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण भी पीठासीन अधिकारियों को न्यायिक कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- वर्तमान में राजस्व न्यायिक कार्यवाही के निष्पादन में बड़ी कठिनाई समन/नोटिस की तामील में उत्पन्न होती है। पहले इस कार्य के लिए तहसील कार्यालयों में सुतार सवार होते थे, जो अब नई भर्ती के अभाव में नगण्य संख्या में रह गए हैं।
- यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

की जाने वाली तामीली को स्वीकार कर लिया गया है परंतु राजस्व मामले अशिक्षित ग्रामीण इलाकों के किसानों से संबंधित होने के कारण इसे राजस्व न्यायालयों में व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं है।

राजस्व न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु सुझाव

- **आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना**–राजस्व न्यायालयों में डिजिटल लॉ लाइब्रेरी, कम्प्यूटर और संबद्ध उपकरण, इंटरनेट नेटवर्किंग, मुद्रित प्रपत्र/रजिस्टर, स्टेशनरी आदि आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता।
- **पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए लक्ष्य के अनुसार निस्तारण**–पीठासीन अधिकारियों को उनके निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मामलों को निपटाने की बाध्यता लागू की जाना। कानून–व्यवस्था और चुनाव से जुड़े काम के अलावा सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं आदि की मॉनिटरिंग का जिम्मा ब्लॉक और जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को ही सौंपा जाना।
- **अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण**–राजस्व अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को न्यायिक कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार कर सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हों।
- **कमीशन प्रणाली को सक्रियता से क्रियान्वित करना**– राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की रिक्तियों के फलस्वरूप बंटवारा/सीमा निर्धारण आदि कार्यों के लिए लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कानूनी पेशे से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों का एक कमीशन पैनल बनाना। इसके साथ ही अदालतों में गवाहों के परीक्षण और मौका–मुआयना के लिए भी एक कमीशन पैनल का गठन करना उचित होगा।
- **तामीली प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना**–वर्तमान में राजस्व न्यायालयों में तामीली की अत्यंत कमजोर प्रणाली के कारण मामले अनावश्यक रूप से लंबित हो गये हैं। तामील कुनिंदा (सुतार सवार) की नई भर्ती के अभाव में जिस तरह कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काम होम गार्ड से कराया जा रहा है। इसी प्रकार तहसील कार्यालयों में अतिरिक्त होम गार्ड नियुक्त करके नोटिसों की तामील समय पर पूरी की जा सकेगी।
- **बार की भूमिका एवं सहयोग**–राजस्व न्यायालयों में मुकदमों के त्वरित निस्तारण में बार की भूमिका महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बार एवं बेंच एक–दूसरे के पहलू हैं, बिना आपसी समन्वय के न्यायिक कार्यवाही को गति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए

राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलक्टर स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में बार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान पर चर्चा की जाए।

इस प्रकार राजस्व न्यायालयों में राजस्व न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की समय-समय पर शासन, राजस्व मंडल एवं जिला स्तर पर समीक्षा की जाती है तथा उनके निराकरण हेतु समय पर सुधारात्मक निर्णय लिये जाते हैं तथा यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो यह संभव है कि किसान को अपनी जोत से संबंधित सामान्य विवादों के निपटारे में अनावश्यक समय, श्रम एवं धन खर्च नहीं करना पड़ेगा तथा वह अन्नदाता के रूप में अपनी भागीदारी का भली-भाँति निर्वहन कर सकेगा।

□□□

(राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2023 के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि)

राजस्व न्यायिक प्रकरण : त्वरित निस्तारण हेतु सुझाव

रिछपाल सिंह बुरड़क
आरएएस

राजस्व न्यायिक प्रकरणों में त्वरित निस्तारण हेतु निम्न सुझावों पर कार्यवाही कर सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है–

1. **तामील कुनिन्दों की नियुक्ति–**नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों को उनके विरुद्ध पेश प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील में समुचित तामील होना आवश्यक है जिस हेतु राजस्व न्यायालयों में दायर न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु शीघ्र तामील होनी आवश्यक है जिसके लिए पर्याप्त संख्या में तहसील कार्यालयों में तामील कुनिन्दों की नियुक्ति आवश्यक है।

2. **पीठासीन अधिकारियों का समुचित प्रशिक्षण–** राजस्व न्यायालय में दायर प्रकरणों को त्वरित निस्तारित करने हेतु राजस्थान एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का समुचित गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। वादपत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को विधि के तथ्यात्मक एवं विधिक बिंदुओं का अपेक्षित ज्ञान होने पर वादपत्र दर्ज होने से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक त्वरित रूप से कार्यवाही कर वादपत्र का शीघ्र निस्तारण किया जा सकता है। प्रकरण में एक पक्ष द्वारा विलम्ब कारित करने के लिए बार-बार स्थगन चाहे जाते हैं या विभिन्न प्रकार के प्रार्थना-पत्र पेश किए जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति पर रोक एवं नियंत्रण पाने के लिए यह आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी को सम्बन्धित अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का अच्छा ज्ञान एवं समझ हो। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल 1956 से विनियमित होती है जिसका समुचित ज्ञान राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं रीडर को होना आवश्यक है ताकि गुणात्मक, स्पष्ट एवं अच्छे निर्णय लिखे जा सकें।

3. **राजस्व न्यायालयों के रीडर का समुचित प्रशिक्षण**–राजस्व न्यायालयों में नियुक्त रीडर का समुचित प्रशिक्षण होना भी आवश्यक है ताकि दैनिक न्यायालय प्रक्रिया में ऑर्डर शीट सही–सही संधारित की जा सके एवं प्रकरण में अगली स्टेज की कार्यवाही हो सके।

4. **पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमित न्यायालय बैठक**–पीठासीन अधिकारी को प्रतिदिन माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशों के क्रम में नियमित बैठक की जानी आवश्यक है ताकि प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही हो सके।

5. अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाने पर शीघ्र भिजवाया जाना चाहिए।

6. प्रकरण में समुचित कारण होने पर ही पेशी स्थगन दिया जाना चाहिए, इस हेतु आदेश 17 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो।

7. समन/नोटिस की तामील हेतु स्वयं पीठासीन अधिकारी प्रत्येक पत्रावली का अवलोकन कर वादी/अपीलांट अधिवक्ता को तलबाना पेश करने हेतु पाबंद करें ताकि शीघ्र तामील हो सके।

8. **अंतर्वर्ती आदेश (Interlocutory Orders)**–धारा 10,, 11, 144, 151, 152 एवं आदेश 6 नियम 17, आदेश 7 नियम 11 आदेश 8 नियम 1, आदेश 9 नियम 2, आदेश 9 नियम 7, आदेश 14 नियम 5, आदेश 22 नियम 3, आदेश 22 नियम 4, आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 39 नियम 7 सीपीसी आदि के प्रार्थना–पत्र का विधिवत् रूप से शीघ्र निस्तारण किया जावे ताकि प्रकरण अगली स्टेज पर नियत किया जा सके।

9. न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति हो ताकि न्यायालय की पत्रावलियाँ सही रूप से संधारित हो सके।

10. **राजस्व विचारण न्यायालयों में मुख्यतया निम्न प्रकार के दावे पक्षकारों के मध्य पेश होते हैं जिनमें विधिक प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाकर इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सकता है–**

    1. **सह-खातेदारों के मध्य बंटवारा**–इस प्रकार के प्रकरणों में सह–खातेदारों के मध्य बंटवारा का दावा पेश होने पर शीघ्र तामील करवाई जाकर

बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स इनके मध्य बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों को सूचित कर तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर विचारण न्यायालय में पेश कर सभी पक्षकारों को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं करने की स्थिति में बार-बार बंटवारा प्रस्तावों की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश होती है या अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः विधिवत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार करवाये जाने चाहिए।

2. **घोषणा, बेदखली से सम्बन्धित वाद**–इस प्रकार के प्रकरणों में दावा पेश होने पर शीघ्र तामील प्रतिवादीगणों को कराकर जवाबदाता प्राप्त होने पर एवं जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश होने पर उसका जवाब वादी से लेकर, तनकीयात कायम कर विधिवत् साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए। पक्षकारों द्वारा पेश मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्रों की पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ करवाया जाना आवश्यक है, पेश दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कर पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 एवं 177 के प्रकरणों में अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना-पत्र का विरोध किया जाने पर उक्त प्रकरणों को दावा मानकर दावे की तरह उनका विचारण करना चाहिए।

4. नामान्तकरण अपील जिसमें खातेदार की पुत्रियों द्वारा अपना नाम विरासत में जोड़ने से सम्बन्धित पेश किए जाने पर प्रथम दृष्टया ही प्रकरण स्वीकार कर नामान्तकरण खारिज कर तहसीलदार को मृत खातेदार के वारिसान की जाँच हेतु प्रकरण पुनः प्रेषित कर देना चाहिए।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अंतर्गत पेश

प्रार्थना-पत्रों में सामान्यतया एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए, फिर भी अति आवश्यक होने पर पत्रावली का पूर्ण अध्ययन कर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर परीक्षण कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए एवं एकपक्षीय आदेश जारी करते समय आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

11. राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाकर अस्पष्ट एवं वांछित कारण अंकित करते हुए पारित किए जाने चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से निरर्थक प्रतिप्रेषण/लौटा-फेरी नहीं हो।

12. अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को राजस्व रिकॉर्ड के संधारण का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा समयबद्ध निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि राजस्व रिकॉर्ड का संधारण सही-सही त्रुटिविहीन रूप से किया जावे तो अनावश्यक रूप से राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के प्रकरण राजस्व न्यायालयों में दायर नहीं हों।

13. रिकॉर्ड दुरुस्ती के प्रकरणों में तहसीलदार सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं अभिलेख निरीक्षक से तथ्यात्मक टिप्पणी पुराने रिकॉर्ड एवं वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर प्राप्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में शीघ्र पेश हों ताकि इस प्रकार के प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण किया जा सकें।

14. अधीनस्थ अधिकारियों यथा तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों को मौका रिपोर्ट तैयार करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ताकि विधिसम्मत मौका रिपोर्ट तैयार होकर न्यायालय में पेश हो सके ताकि बार-बार उस पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं हो। कोई भी मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस देकर उनको सूचना करके ही निर्धारित दिनांक एवं समय पर मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में आदेश 26 नियम 09 एवं आदेश 39 नियम 07 सीपीसी के तहत मंगवाई जाने वाली कमिश्नर रिपोर्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के तहत उभयपक्षों की

उपस्थिति में तैयार की जाने वाली मौका रिपोर्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जो स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार कर विचारण न्यायालय में पेश करना मुख्य हैं। उक्त मौका रिपोर्ट विधिसम्मत रूप से तैयार नहीं होने एवं उनमें कमी होने के कारण प्रकरणों में अनावश्यक देरी होती है एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इन कारणों से प्रकरण प्रतिप्रेषित होते हैं जिससे अनावश्यक समय नष्ट होता है।

□□□

पत्रिका विवरण

1. नाम - राविरा त्रैमासिक अंक-129
2. आकार - राविरा 6.2 × 9.2
3. मुद्रित प्रतियाँ - 8200
4. प्रयुक्त कागज - (क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम
(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम
(ग) साधारण कागज (मेपलिथो)
80 से 90 जी.एस.एम
5. प्रकाशक - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक - राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज - 4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ - 8 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ - 128 पृष्ठ

(राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2023 के तहत अधिवक्ता श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि)

राजस्व न्यायिक प्रकरण : त्वरित निस्तारण हेतु सुझाव

प्रवीण कुमार चौधरी
एडवोकेट (डीग)

जब कोई व्यक्ति राजस्व न्यायालय में अपना वाद पत्र लाने की सोचता है तो उसके जहन में यह सवाल आता है कि मुकदमेबाजी से क्या होगा? अगर मैं दावा करूंगा तो मेरे नाती-पोतों के जीवनकाल में मुकदमें का फैसला आयेगा और आस-पास के व्यक्तियों से यह सुनता है कि मेरा मुकदमा 20 साल से चल रहा है, किसी का 30 साल से चल रहा है, इसी असमंजस की स्थिति में वह मानसिक वेदना झेलता है, क्योंकि जब समाज में किसी व्यक्ति का विवाद किसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है, तो वह सर्वप्रथम गाँव की पंच पंचायत से अपना विवाद सुलझाने का प्रयास करता है और जब प्रतिवादी पक्ष दबंग व गुण्डा प्रकृति का होता है, तब वह **भारतीय कानून पर विश्वास करके ओझ भरे शब्दों में कहता है कि अब तुम्हें मैं कोर्ट में देखूँगा और वह अपनी जवानी में दावा पेश करता है और उसके बुढ़ापे तक भी मुकदमे का फैसला नहीं आता है तब उसे नीरसता प्राप्त होती है और वह स्वयं को कोसता है कि काश में दावा पेश नहीं करता।** मुकदमों में देरी के निम्न कारण हो सकते हैं-

1. **पीठासीन अधिकारी की राजकीय कार्यों में अधिक व्यस्तता**-राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अधिकांश समय राजकार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण निर्धारित समय पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है। पीठासीन अधिकारी के कोर्ट में नहीं बैठने पर पक्षकार को केवल तारीख ही मिलती है। इस समस्या के सन्दर्भ में फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म ''दामिनी'' का यह डायलॉग सार्थक उतरता है कि ''तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला लॉर्ड'' का कथन पक्षकार के जहन में आता है और वह पक्षकार न्याय की उम्मीद में आता है, लेकिन तारीख लेकर चला जाता है।

    इस समस्या के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि पीठासीन अधिकारी को राजकार्यों की व्यस्तता से मुक्त किया जाए और अलग से राजस्व

न्यायालयों में ऐसे पीठासीन अधिकारी पृथक् से लगाएँ जाएँ जो केवल मुकदमों की ही सुनवाई करेंगे। उन अधिकारियों पर सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति, जन समस्याओं का भार नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से एक एस.डी.एम. जो कि राजस्व मुकदमों की सुनवाई करता है उस पर सरकार का अत्यधिक भार रहता है, आये दिन मंत्री या अन्य सरकार के प्रभावशाली अधिकारीगण आते हैं, उनकी अगुवाई, प्रोटोकॉल में जाना पड़ता है, आज की स्थिति में स्कूल, चिकित्सालय जन समस्याएँ व अन्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पीठासीन अधिकारी को फील्ड में जाना पड़ता है, जिसके कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है जिसके कारण मुकदमों में देरी होती है।

2. **पीठासीन अधिकारी की राजस्व मुकदमों में सुनवाई करने में रुचि नहीं होना–** सामान्य रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी को जब किसी उपखण्ड में उपखण्ड अधिकारी लगाया जाता है तब उस उपखण्ड अधिकारी की सरकार के आदेशों की क्रियान्विति करने में, जन समस्याओं का निस्तारण करने में, अन्य महकमों का निरीक्षण करने में अधिक रुचि होती है और राजस्व न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई करने में रुचि नहीं होती है और मुकदमों की सुनवाई करने की प्रक्रिया को सीखने की ललक नहीं होती है, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी कोर्ट की सुनवाई को टालने की कोशिश करते हैं और कोर्ट की सुनवाई करने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। इस कारण मुकदमों में देरी होती है और तारीखें बढ़ती रहती हैं।

   (i) **इस समस्या के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों में से ऐसे अधिकारियों का न्यायिक कार्य के लिये चयन किया जाये, जिनकी न्यायिक कार्य करने में रुचि हो और प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। केवल रुचि के आधार पर ही अलग बोर्ड गठित करके न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी ही राजस्व मुकदमों की सुनवाई के लिये उपखण्ड स्तर पर लगाये जावें।**

   (ii) जिन प्रशासनिक अधिकारियों की न्यायिक कार्य करने में रुचि हो ऐसे अधिकारियों को सम्बन्धित कानूनों का प्रशिक्षण अलग से दिलाया जावे।

   (iii) राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति वकील कोटे से की

जावे और राजस्व न्यायालयों में अनुभवी वकीलों की परीक्षा लेकर उन्हें बतौर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जावे।

3. **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों की पालना कराना एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में कोर्ट मैन्युअल्स की पालना कराना**–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में दायर किये गये राजस्व मुकदमों में दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अनदेखी की जाती है। पत्रावलियां कई-कई साल तक जवाब, साक्ष्य, बहस में चलती हैं जिसके कारण मुकदमों का अतिशीघ्र निस्तारण नहीं होता है।

इस संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि राजस्व मुकदमों दीवानी प्रक्रिया संहिता, कोर्ट मैन्युअल्स की हरसम्भव पालना कराई जाए, जिससे कि पक्षकार आदेशिका के मुताबिक अपनी प्रक्रिया विधि के अनुसार निर्धारित समय में कर सकें तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता का दायरा राजस्व मुकदमों में दीवानी मुकदमों की तरह से बढ़ाया जावे।

4. **राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आदेशों की पालना तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर से समय पर होना**–सामान्य रूप से जब किसी बंटवारे के दावे में प्राथमिकी डिक्री पारित होती है तो वह कुरे के लिए तहसील कार्यालय में जाती है और तहसील कार्यालय में तहसीलदार, पटवारी हल्का की उदासीनता के कारण कई-कई सालों तक कुरे प्रस्ताव राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण मुकदमों में देरी होती है।

   (i) उपरोक्त के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि अगर राजस्व न्यायालय से विभाजन के वाद में प्राथमिकी डिक्री कुरे प्रस्ताव के लिए तहसील कार्यालय जाती है, तो तहसील कार्यालय से एक माह के अन्दर कुरे प्रस्ताव बनकर राजस्व न्यायालयों को प्राप्त होने चाहिये, जिससे कि अनावश्यक देरी ना हो।

   (ii) जब राजस्व न्यायालय को विभाजन के दावे में कुरे प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो वह तहसीलदार द्वारा मार्क करके पटवारी हल्का को भेज दी जाती है और केवल पटवारी ही कुरे बनाकर न्यायालय को भेज देता है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर राजस्थान के नियम एवं कानूनों के अनुसार कुरे प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार को जाकर स्वयं तैयार करने चाहिए और

इस नियम की पालना नहीं होने से विभाजन की पत्रावलियाँ अपीलीय न्यायालयों से रिमांड होकर आती हैं। इस वजह से भी न्याय प्राप्त करने में पक्षकार को देरी होती है।

5. **काश्तकारी अधिनियम, 1955 में गैरखातेदारी वाले मामले, धारा 177, 183 आदि धाराओं के मामलों का निस्तारण निर्धारित समय अवधि में कराया जाना–** ऐसे मामले जिनमें कृषक गैरखातेदार है और ऐसी भूमियाँ जो कस्टोडियम व नहरी क्षेत्र की नहीं हों और ऐसे विवाद जो सैटलमेन्ट के द्वारा एक खातेदार को गैरखातेदार दर्ज किया है, तो उसका निस्तारण हाल, साविक रिकॉर्ड के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने पर उसका निस्तारण तुरंत कर दिया जाता है, तो न्याय अतिशीघ्र होगा।

    (i) उपरोक्त के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि जब कोई कृषक सेटलमेन्ट से पूर्व खातेदार था और सेटलमेन्ट के वाद या राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैरखातेदार दर्ज हो गया है, तो ऐसे मामलों में रिकॉर्ड के आधार पर ही उसे खातेदारी दे देनी चाहिए और ऐसे मामलों का निर्धारित समय एक माह कर देना चाहिए।

    (ii) भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 व 76 के अन्तर्गत होने वाली अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश होने पर ही ऐसी अपीलों में अन्तिम बहस सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की तलबी में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। तहसीलदार आदि के यहाँ से उनकी व्यस्तता के कारण रिकॉर्ड समय पर नहीं पहुंचने से न्याय में विलम्ब होता है।

6. **राजस्व न्यायालयों में स्टाफ का कम होना–** राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में संबंधित लिपिकों का अभाव है। एक पीठासीन अधिकारी के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ ना होना भी न्याय में देरी होने का एक कारण है, इस समस्या से अकेला पीठासीन अधिकारी मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता है।

    (i) उपरोक्त संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि राजस्व न्यायालयों में स्टेनोग्राफरों की नियुक्तियाँ की जावें, जिससे कि एक राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी निर्णय को अतिशीघ्र स्टेनोग्राफर द्वारा लिखाकर पक्षकारों को सुना सके।

    (ii) राजस्व न्यायालयों में अधिकांश स्थानों पर केवल एक या दो बाबूओं के

भरोसे अदालतें चल रही हैं। एक ही बाबू पत्रावलियों का रखरखाव करता है वही बयान लेता है, वही तारीखें देता है, इस समस्या से एक अकेला बाबू तीन व्यक्तियों का कार्य सुगमतापूर्वक नहीं कर सकता है। स्टाफ की कमी की वजह से समय पर साक्ष्य अभिलिखित करने की कार्यवाही समय पर पूर्ण ना होने से पक्षकारों के गवाह वापस जाते हैं।

7. **मुकदमों में तामील दावा पेश होने के वाद रजिस्टर्ड ए.डी. से कराना, प्रतिवादी के वाट्अप पर कराना** – सामान्य रूप से जब राजस्व न्यायालय में दावा पेश होता है, तो न्यायालय सर्वप्रथम प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करता है और सम्मनों की तामील कई साल तक नहीं होने के बाद फिर न्यायालय रजिस्टर्ड डाक व अखबार साये से तामील कराता है, इस प्रक्रिया में करीब 4–5 साल मुकदमा लम्बित हो जाता है।

   (i) उपरोक्त तथ्य के समर्थन में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि मुकदमे को देरी से बचाने के लिए दावा पेश होने के बाद ही जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रतिवादी पर तामील कराई जावे और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुसार डाक की तामील प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे, जिससे कि मुकदमे में गति मिलेगी।

   (ii) राजस्व मण्डल, अजमेर राजस्थान द्वारा ऐसे नियम प्रतिपादित किये जावें कि दावा में प्रतिवादी के वाट्सअप नम्बर पर सम्मन की तामील कराई जावे। क्योंकि राजस्व मुकदमों के अधिकांश पक्षकार एक ही परिवार या आस-पास के सदस्य होते हैं और विरोधी पक्षकार के फोन नम्बर वादी पक्षकार की जानकारी में रहते हैं। कई बार एक चालक किस्म का प्रतिवादी सम्मनों को अनुचित साधनों का प्रयोग करके वापस करा देता है। मुकदमे में सालों साल तामील नहीं होने देता है। इस प्रक्रिया से मुकदमे को तुरन्त गति मिलेगी और आगामी प्रक्रियाओं में मुकदमा चलेगा।

8. **राजस्व न्यायालय द्वारा दावा पेश होने पर एडमिशन स्टेज पर सुनवाई करना–** जब कोई दावा न्यायालय में पेश किया जाता है, तो मुकदमे की मैरिट को सामान्य रूप से दावा दायरी के समय एडमिशन स्टेज पर देखना चाहिये और अगर कोई मामला ग्राम पंचायत/नरेगा से सम्बन्धित आता है, तो ऐसे मुकदमों में तत्काल मुकदमा से बाहर हटकर सरपंच/नरेगा के अधिकारियों की मध्यस्थता करके उन मामलों का निपटारा

तुरन्त मौके पर जाकर करवाने से मुकदमों का तुरन्त फैसला होगा। राजस्व न्यायालयों में काफी हद तक ग्राम पंचायत/नरेगा के मुकदमे आते हैं।

(i) उपरोक्त के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि जब मुकदमा ग्राम पंचायत और नरेगा के कार्यों के विरुद्ध है और वह एडमिशन स्टेज पर खारिज किया जाता है, तो ऐसे मुकदमों की विषयवस्तु के निस्तारण के लिए पृथक् से एक पाँच सदस्यीय कमेटी हर उपखण्ड स्तर पर बनानी चाहिए, जिससे कि ग्राम पंचायत और नरेगा से पीड़ित व्यक्ति के हुए विवाद का निस्तारण सात दिवस के अन्दर किया जाना संभव हो सके। इस प्रक्रिया से आमजन में राजस्व न्यायालयों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और पीड़ित पक्षकार को त्वरित न्याय मिलेगा।

□□□

सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के तहत राज्य स्तर पर चयनित निर्णय

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवरमल वर्मा, आईएएस)

अपील संख्याः–96/2021 (90-ए रा.भू. राजस्व अधि. 1956) (RCMS No. 2021/105)

1. दानप्रकाश पुत्र स्व. किशनलाल जाति जाटव (रैगर) निवासी मिर्जापुर व अन्य

.........अपीलान्ट

बनाम

नगर परिषद गंगापुर सिटी, तहसील–गंगापुरसिटी जिला–सवाई माधोपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं नगर परिषद आयुक्त गंगापुरसिटी दिनांक 16.08.2021 बाबत् किये जाने वाले कार्यवाही धारा 90 ए राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत आराजी खसरा नम्बर 170/0.55 है. वाकै ग्राम हिंगोटिया, तहसील–गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री दूलीचन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 10.10.2022

उक्त अपील प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् गंगापुरसिटी के राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 0.55 हैक्टेयर वाकै ग्राम हिंगोटिया, तहसील–गंगापुरसिटी, जिला–सवाईमाधोपुर भूमि की 90–ए कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेजों/कथनों एवं संबंधित तहसीलदार

की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण किये जाने के बाद आवेदित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2021 के द्वारा आदेश पारित कर उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने अदालत हाजा में इस आशय की अपील पेश की है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी का आदेश दिनांक 16.08.2021 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। प्राधिकृत अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत कार्यवाही के वक्त अपीलान्ट खातेदारों के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही की जा सकती है। उन्हें स्वयं को स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर भूमि को आबादी में घोषित कर नगर परिषद् में निहित करने के कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण उक्त सभी कार्यवाही एव-ईनीसीओ-वोईड एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि को धारा 90-ए के तहत समर्पण करने एवं आबादी में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलान्ट नंबर 4 और 5 नाबालिग हैं, जिन्हें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है व अपीलान्ट संख्या 2 व 3 ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ़ महिलाएँ हैं, जिन्हें उपरोक्त कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं है। अपीलान्ट नंबर 6 व 7 अपने ससुराल में रहती हैं, वे कभी भी आवेदन पत्र देने के लिए नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई तथा अपीलान्ट नंबर 1 अपने कार्य से अधिकतर बाहर रहता है व उसके द्वारा भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, जबकि सभी कार्यवाही अपीलान्टान के नाम से फर्जी तौर पर की गई है जो कि काबिले खारिज है। विवादित भूखण्ड अपीलान्टान की खातेदार काश्तकारी की भूमि है, जिस पर पूर्वजों के समय से लेकर वर्तमान तक अपीलान्टान का कब्जा है व उसे अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे हैं। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन, वय व मुन्तकिल नहीं किया है और न ही जरिये रजिस्टर्ड वयनामा, इकरारनामा, वसीयतनामा तथा पावर ऑफ अटर्नी से किसी और के लिए दिया है, और न ही किसी अन्य का कब्जा कराया है। इसलिए विवादित भूमि पर धारा 90-ए के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त कार्यवाही से अपीलान्टान के खातेदार अधिकार समाप्त हो जाने के कारण कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु उक्त अपील पेश की गई है। उपरोक्त सभी कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर एकतरफा तौर पर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर की गई है जो कि अवैधानिक है क्योंकि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर तहसीलदार

जी को सहमति पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही तहसीलदार जी को सहमति पत्र जारी करने का कोई अधिकार है और न ही तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है। सभी कार्यवाहियाँ अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि को हड़पने के लिए साजिश के तहत फर्जी तरीके से की गई है, इसके समर्पण आदेश से पूर्व ही भू-माफियाओं से उक्त खसरा नंबर के पट्टे जारी कराने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हुए हैं। सभी कार्यवाहियाँ अपीलान्टान की बैक पर उनसे छुपा कर की गई हैं जिसका पता अपीलान्ट्स को समय रहते नहीं चल सका, इसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 19.10.2021 को भू माफिया रोशनलाल मीणा निवासी हिंगोटिया के माध्यम से अपीलान्ट्स को हुयी जब यह अवगत कराया गया कि विवादित भूमि में धारा 90-ए के तहत कार्यवाही की गई है। जिस पर दिनांक 20.10.2021 को अपीलान्ट संख्या 1 के द्वारा नगर परिषद में जानकारी की गई, तब उक्त कार्यवाही के बारे में पता चलने पर आदेश नकल हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश की नकल दिनांक 20.10.2021 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दरमियाद अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी आदेश दिनांक 16.08.2021 को अपास्त किया जावे एवं अपीलान्ट्स की भूमि को उनके राजस्व रिकॉर्ड में पुन: दर्ज करने के आदेश दिये जावें। अपीलान्ट्स की ओर से अपील पेश होने पर मियाद सम्बन्धी बिन्दु को रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी से अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी का आदेश दिनांक 16.08.2021 आदेश खिलाफ क़ानून रूयेदाद मिसिल होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि धारा 90ए राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही केवल अपीलान्ट खातेदारों के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही की जा सकती है, उन्हें स्वयं को स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही कर भूमि को आबादी में घोषित कर

नगर परिषद में निहित करने के लिये कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरीके से भी कार्यवाही एव-इनीशियो-वॉइड एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्टान ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्टान द्वारा नगर परिषद गंगापुरसिटी में अपने खातेदारी के खसरा नम्बर 170 रकबा 0.55 है. वाकै ग्राम हिंगोटिया, तहसील-गंगापुर के लिये धारा 90-ए के तहत समर्पण करने एवं उसे आबादी में परिवर्तित करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र कभी भी नहीं दिया गया। इसके अलावा अपीलान्ट नम्बर 4 आकाश की उम्र 16 साल एवं अपीलान्ट नम्बर 5 कपिल की उम्र 12 साल है जो कि नाबालिक बच्चे हैं जिन्हें प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नहीं है तथा अपीलान्ट नं. 2 व 3 हरप्यारी एवं राधा अनपढ़ ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की घरेलू महिलाएँ हैं, जिन्हें उपरोक्त कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं है। इसी तरह अपीलान्ट नम्बर 6 व 7 अपनी ससुराल में रहती हैं, तथा वे कभी भी प्रार्थना पत्र देने के लिये नहीं आई हैं। अपीलान्ट नम्बर 1 दानप्रकाश अपने कार्य से अधिकतर बाहर ही रहता है एवं उसने इस भूखण्ड के लिये धारा 90ए के तहत समर्पण एवं आबादी में परिवर्तन के लिये कोई प्रार्थना पत्र आज तक नहीं दिया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त सभी कार्यवाही अपीलान्टान के नाम से फर्जी तौर पर की गई है जो कि काबिले खारिज हैं। विवादित भूमि अपीलान्टान की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है, जिस पर पूर्वजों के समय से लेकर वर्तमान तक अपीलान्टान का कब्जा है व इसे अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। अपीलान्टान ने उक्त भूमि को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार में रहन वय व मुन्तिकिल नहीं किया है और ना ही जरिये रजिस्टर्ड बयनामा, इकरारनामा, वसीयतनामा अथवा पॉवर ऑफ अटॉर्नी से कब्जा किसी और के लिये ही दिया है और ना ही किसी अन्य का कब्जा कराया है। अत: विवादित भूखण्ड पर धारा 90ए के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त सभी कार्यवाहियाँ अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अवैध व शून्य प्रभाव लिये होने के कारण काबिले खारिजी है। अपीलान्टान के उक्त आदेश से पीड़ित होने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त सभी कार्यवाहियाँ अपीलान्टान की बैक पर इकतरफा में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर की गई है जो कि अवैधानिक है। अपीलान्टान की खातेदारी की भूमि पर तहसीलदार को सहमति पत्र जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और ना ही तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार प्राधिकृत अधिकारी को धारा 90ए की कार्यवाही करने का अधिकार है। उक्त सभी

कार्यवाहियाँ रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्टान की खातेदारी की भूमि को हड़पने के लिये साजिश के तहत व फर्जी तरीके से की गई है। उक्त समर्पण आदेश से पूर्व ही भू–माफियाओं से उक्त खसरा नम्बर के पट्टे जारी करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा रखे हैं। अपीलाधीन आदेश की आड़ में नगर परिषद विवादित भूमि पर अपीलान्टान की बैक पर पट्टे जारी करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्टान की भूमि को अनाधिकृत तरीके से हड़पने की साजिश के तहत अपीलान्टान आदेश पारित किया गया है जो हर सूरत में निरस्त योग्य है। चूंकि उक्त सभी कार्यवाहियाँ अपीलान्टान की बैक पर उनसे छुपाकर की गई है, जिसका पता अपीलान्टान को समय रहते नहीं चल सका। अपीलान्टान को उक्त कार्यवाही का पता दिनांक 19.10.2021 को तब चला जब भू–माफिया रोशनलाल मीना निवासी हिंगोटिया के द्वारा अपीलान्ट दानप्रकाश को बताया कि धारा 90ए के तहत इस भूमि पर आदेश नगर परिषद के द्वारा कर दिये हैं। इस पर दिनांक 20.10.2021 को अपीलान्ट के नगर परिषद जाकर जानकारी की जाने पर पता चला कि धारा 90ए के तहत अपीलान्टान की भूमि पर कार्यवाही की गई है। इस आदेश की नकल हेतु दिनांक 20.10.2021 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसकी नकल तैयार होकर दिनांक 20.10.2021 को प्राप्त हुई। तब उसे पढ़कर असल जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट द्वारा जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्टान अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा नगर परिषद कार्यालय में जिन 12 व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया व जिनके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किये गये हैं वे सभी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य हैं इनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय नियम विरुद्ध पारित किया गया है। नगर परिषद द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह भी बिना किसी तारीख के करते हुए तहसीलदार की ओर से दी गई सहमति दिनांक 30.07.2021 व 04.08.2021 के आधार पर की गई है, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि के खातेदारान द्वारा धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सहमति ही दी गई है। अपीलाधीन आदेश भी पूर्व मुद्रित प्रारूप में जारी किया गया है, जो कि स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में स्थित भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के अपीलान्ट्स अनुसूचित जाति के खातेदार हैं तथा जिनके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा धारा 90ए के तहत जो कार्यवाही की गई है वह गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई है जो कि नियम विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट्स ने आरआरडी 1983, पेज 159 तथा आरआरडी 1983 पेज 491 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुये तर्क दिया है कि इन नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि यदि गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रकार का कोई निर्णय/डिक्री पारित की गई है, तो इसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में स्थित भूमि का गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति में पक्ष में न तो डिक्री की जा सकती है और न ही इस आधार पर वह नामान्तरण ही खोला जा सकता है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में विवादित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी में स्थित है, जिसे गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यवाही करते प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए के तहत अकृषिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो कि उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में निरस्तनीय है।

अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश नगर परिषद आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी गंगापुरसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.8.2021 को अपास्त किया जावे एवं अपीलान्टान की भूमि को उनके राजस्व रिकॉर्ड में पुनः दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 16.8.2021 विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए इस आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय श्री किशनलाल द्वारा अपने जीवन काल में विवादित भूमि को आवेदनकर्त्ता तथा अन्य व्यक्तियों को अकृषिक प्रयोजनार्थ जरिये

इकरारनामा व बयनामा के माध्यम से विक्रय कर दिये जाने के कारण विवादित भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। इस भूमि पर आवेदनकर्त्ता सहित अन्य व्यक्तियों के मकानात बने हुए हैं। नगर परिषद में विवादित भूमि के क्रेतागण द्वारा धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया है कि बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने पर इस तरह की भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी पूर्ण रूप से सक्षम है। यदि किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र भी प्राप्त नहीं होता है, तो भी संयुक्त शासन सचिव प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (313) नं. वि.वि./3/2021 दिनांक 15.1.2021 से नियमानुसार सूओमोटो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है जबकि उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नं. 170 के क्रेतागण द्वारा 90ए की कार्यवाही किये जाने हेतु नगर परिषद में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्रेतागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तहसीलदार गंगापुर सिटी से सहमति प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट का यह कहना सरासर गलत है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही बिना नियम कानून के फर्जी हुई है क्योंकि विवादित भूमि के क्रेतागण की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नगर परिषद् गंगापुरसिटी द्वारा इस संबंध में विधिवत लोक सूचना क्रमांक 1079 दिनांक 24.5.2021 का दिनांक 26 मई, 2021 के अखबार में प्रकाशन कराया गया कि ''..... अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा नम्बर 170 रकबा 0.55 हैक्टेयर ग्राम-हिंगोटिया, तहसील-गंगापुरसिटी, जिला-सवाईमाधोपुर में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग के अधिकार/हित राज. भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है। अत: उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताएँ कि क्यों न उक्त भूमि में उनके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य

सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके। इसके बाद तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट क्रमांक 1455 दिनांक 30.7.2021 के द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों का निर्वापित करने की सिफारिश प्राप्त होने पर पुनः लोक सूचना क्रमांक 2851 दिनांक 03.08.2021 जारी की गई जिसका स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 04.08.2021 के अंक में प्रकाशन हुआ। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों का निर्वासन पर कोई आक्षेप है, तो वह नोटिस प्रकाशन के 7 दिन के भीतर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। इसलिए वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि बिना किसी सूचना के अपीलाधीन आदेश पारित किया है गलत है। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के द्वारा उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी के समक्ष एक मुकदमा संख्या 25/2021 (प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा) राधादेवी बनाम राजूलाल दायर किया गया था जो कि निर्णय दिनांक 26.7.2021 से खारिज किया गया था। इस निर्णय की छायाप्रति अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली में संलग्न है। इस निर्णय के अन्तिम पैरा में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि ''.......वादग्रस्त भूमि का मौके पर भूखण्डों के रूप में बेचान हो चुका है एवं भूमि पर वर्तमान में काश्त नहीं होती है। इस संबंध में न्यायालय एसडीओ गंगापुरसिटी द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में भी तहसीलदार गंगापुरसिटी ने अंकित किया है कि मौके पर उक्त खसरा नम्बर में छितराई हुई आकृति में पुख्ता मकान बने हुए है, बाउण्ड्रीशुदा कई प्लॉट बने हुए है, आवागमन हेतु उक्त खसरा नम्बर में एक रास्ता बना हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर प्रार्थीगण भूमि पर कब्जे में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि का खातेदार द्वारा पूर्व में ही बेचान कर दिया गया था तथा उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजनार्थ कार्य में ली जा रही है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बाद परीक्षण विवादित आराजी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयुपर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (313) न. वि. वि./3/2011 दिनांक 15.1.2021 के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण कोई हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश नहीं रहती है। विवादित भूमि का नगर परिषद द्वारा ले-आउट प्लान भी अनुमोदित कर दिया गया है तथा पट्टे भी जारी कर दिये गये

हैं। इसलिए अपीलाधीन आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि के खातेदार किशनलाल द्वारा उसके जीवनकाल में किये गये विक्रय पत्र व इकरारनामों आदि की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गईं। इनके अनुसार विवादित भूमि को वर्ष 1997 में ही किशनलाल द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया था। जिन व्यक्तियों को उक्त भूमि का विक्रय किशनलाल द्वारा किया गया था, उनसे आवेदनकर्त्ताओं द्वारा उक्त भूमि आवासीय भूखण्ड के रूप में क्रय की गई है। अत: विवादित भूमि से अपीलान्ट्स का कोई वास्ता नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा ही है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 15.01.2021 जिसका कि अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली में हवाला दिया हुआ है के अनुसार कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए तहत स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही किये जाने के प्राधिकृत अधिकारी की सक्षमता है चूंकि उक्त प्रकरण में क्रेतागण की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत लोक सूचना जारी करने व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। जहाँ तक वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर आरआरडी 1983 पेज 159 व आरआरडी 1983 पेज 419 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरें कृषि भूमि के प्रकरण पर लागू होने के कारण उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि विवादित भूमि जिसके सम्बन्ध में धारा 90ए की कार्यवाही की गई है पर आबादी बसे होने तथा मौके पर खातेदारान का कब्जा नहीं होने की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से भली-भांति हो रही है। अकृषिक प्रयोजनार्थ कार्य में ली जा रही भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अत: उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट निर्णय दिनांक 16.08.2021 यथावत रखा जावे।

रिब्युटल में पुन: वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व तथ्यों के विपरीत बहस की गई है। खातेदार द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा यदि कोई विक्रय भी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में कर दिया जाता है तो भी इस तरह का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

धारा 42 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नियम विरुद्ध है। उक्त प्रावधान के तहत किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय किया जाना प्रतिबन्धित है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के बाद ही गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय किया जा सकता है परन्तु उक्त प्रकरण में न तो खातेदार द्वारा विवादित भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराया गया है और न ही इस तरह का कोई आवेदन ही पेश किया गया है। इसलिए बिना खातेदार के आवेदन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 90ए के तहत की गई कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है, अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषणगण की बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2021 के विरुद्ध दिनांक 11.11.2021 को मियादवार अपील पेश किये जाने पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 15.11.2021 को मियाद सम्बन्धी बिन्दु सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। अत: प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टान की ओर से अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पेश किया गया है जिसमें अपीलाधीन निर्णयों की जानकारी 19.10.2021 को होने व निर्णय की नकल दिनांक 20.10.2021 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दरमियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। मियाद सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब ही पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। इसके अलावा भी मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर उदार रुख रखा जाना चाहिए तथा न्यायालय को प्रकरणों को मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision appeal or reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skillful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large.

Would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants."

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be taken in condoning the delay in filing the appeal".

अत: उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2021 में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके समक्ष विवादित भूमि के क्रेतागण से जरिये इकरारनामा/विक्रय पत्र के क्रेतागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र जिसमें विवादित भूमि के खातेदार किशनलाल द्वारा अपने जीवन काल में प्लाटिंग करते हुए विक्रय किये जाने का उल्लेख किया गया है। इन प्रार्थना पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया था कि खातेदार स्वर्गीय श्री किशनलाल के वारिसान द्वारा अवैध रूप से उक्त भूमि का विक्रय किया जा रहा है। उक्त भूमि पर भूखण्ड मालिकों के कब्जे चले आ रहे हैं व कुछ भूखण्डों की चारदीवारी बनी हुई है तथा पुख्ता मकानात का निर्माण भी हो रखा है। इस आधार पर 90ए की कार्यवाही की जावे। क्रेतागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए पत्रावली में सम्बन्धित शाखा प्रभारी द्वारा इस आशय की टिप्पणी की गई कि संयुक्त शासन सचिव प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 3 (313) विधि/3/2011, दिनांक 15.01.2021 के तहत सूओमोटो की कार्यवाही की जा सकती है। इस आधार पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार से सहमति लिये जाने व लोक सूचना जारी किये जाने की टिप्पणी किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा पत्र क्रमांक 1079, दिनांक 24.05.2021 के द्वारा लोक सूचना जारी की गई जिसमें विवादित खसरा नंबर का उल्लेख करते हुए यह लिखा गया कि उक्त

भूमि का दिनांक 16.06.1999 से पूर्व की कालावधि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है/लिया गया है। इसलिए उक्त भूमि या इसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क की उपधारा 8 के अधीन पर्यवासित किये जाने के दोषी हैं। इस आधार पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किये जाने व सूचना के प्रकाशन की तारीख के 7 दिन के भीतर-भीतर उक्त भूमि में अधिकारों व हितों का पर्यवासित कर दिये जाने के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गई थी। उक्त लोक सूचना का प्रकाशन दिनांक 26.05.2021 के दैनिक समाचार-पत्र प्रात:काल में करवाया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र क्रमांक 1078, दिनांक 24.05.2021 के द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सहमति/रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। इसके बाद पुन: पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके पत्र क्रमांक 1455, दिनांक 30.07.2021 के द्वारा आयुक्त व प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद गंगापुर सिटी को जो रिपोर्ट भिजवाई गई, उसमें विवादित भूमि किसी निर्वादित प्रवर्ग में नहीं होने, भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश/व्यादेश प्रवर्तन में नहीं होने तथा गैर अकृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का अनुज्ञा प्रदान करने व भूमि पर अभिवृत्ति से अधिकारों का निर्वासित करने की सिफारिश की गई तथा पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 राधादेवी बनाम रामूलाल में प्रस्तुत स्थगन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 की प्रति भी संलग्न कर प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुन: विवादित भूमि के सम्बन्ध में लोक सूचना क्रमांक 2851, दिनांक 03.08.2021 को जारी की गई। इस लोक सूचना का प्रकाशन भी दिनांक 04.08.2021 के दैनिक समाचार पत्र प्रात:काल में प्रकाशन करवाया गया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस प्रकाशन के 7 दिवस में आक्षेप प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया। नियत समयावधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने पर प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 को पारित किया गया है अर्थात् समस्त प्रक्रिया की पालना करने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

जहाँ तक वकील अपीलान्ट्स का यह तर्क कि विवादित भूमि के खातेदारान द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु कोई

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वरन् दीगर व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किये जाने से की गई कार्यवाही नियम विरुद्ध है तो उक्त तर्क इसलिए सारहीन हो जाता है, क्योंकि नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 15.01.2021 के अनुसार कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने पर मास्टर प्लान में अनुज्ञेय उपयोग के अनुसार सर्वे करवाकर भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए (8) व 90ए (5) के तहत स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से उक्त कार्यवाही की जा सकती है। इस परिपत्र से स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी के उक्त तथ्य संज्ञान में आने पर स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए किसी प्रकार की आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि उक्त प्रकरण में तो वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विवादित भूमि के खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरिये इकरारनामा आवासीय भूखण्ड के रूप में वर्ष 1997 में विक्रय कर दिया गया है, जिसका उल्लेख प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों में आवेदनकर्त्ताओं द्वारा किया गया है। इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व विधिवत लोक सूचना जारी कर हितबद्ध पक्षकारान से आपत्ति भी मांगी गई है। परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई। इसी प्रकार विवादित भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 व उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 25/2021 में प्रस्तुत स्थगन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 से हो रही है जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत 15 किता विक्रय पत्र की छाया प्रतियों के अनुसार इस भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान हो चुका है इनके खण्डन में प्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर भूखण्डों के रूप में भूमि की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर भूखण्डों के रूप में भूमि का बेचान होने व काश्त नहीं होने से उल्लेख करते हुए तहसीलदार गंगापुर सिटी की मौका रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें मौके पर उक्त खसरा नंबर में छितराई हुई आकृति में पुख्ता मकान, बाउन्ड्रीशुदा प्लाट, आवागमन हेतु एक रास्ता तथा इसके आसपास आबादी बसी हुयी होने के आधार पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नहीं होना माना गया है। अत: विवादित खसरा नंबर के वर्तमान में

कृषि प्रयोजनार्थ कार्य में नहीं आकर अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में आने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत की गई है। वह उचित है, क्योंकि आवेदनकर्त्ताओं द्वारा उक्त भूमि को जरिये इकरारनामा विवादित भूमि के खातेदार स्वर्गीय किशनलाल/क्रेतागण से भूखण्ड के रूप में क्रय करना बताया है तथा नगरीय क्षेत्र में जो भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में ली जा रही है उसके सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करने हेतु आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पूर्ण सक्षम है।

वकील अपीलान्ट्स की ओर से बहस में वर्णित नजीर आरआरडी 1983 पेज 159 (एचसी) व 1983 आरआरडी पेज 491 (लार्जर बैंच) में उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधान के विपरीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की खातेदारी में स्थित भूमि को गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की खातेदारी में स्थित भूमि को गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का विक्रय नहीं किये जा सकने तथा ऐसी भूमि को खातेदारी में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश/डिक्री अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए होने के कारण नामांतकरण नहीं खोले जा सकने का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं परन्तु उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में आवासीय भूखण्ड के रूप में जरिये इकरारनामा विक्रय किया गया है तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि जिसको अकृषि प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार जरिये इकरारनामा/विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया गया हो तथा भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लाई जा रही है तो ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी परिपत्र 11.02.2020 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व व बाद में खातेदार द्वारा आवासीय भूखण्ड के रूप में कोई विक्रय किया गया है तो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए की कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण सक्षमता है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार किशनलाल द्वारा 1997 व इसके बाद विवादित भूमि को जरिये इकरारनामा/विक्रय पत्र आवासीय भूखण्ड के रूप में विक्रय किया गया है। इन भूखण्डों को आवेदनकर्त्ताओं द्वारा क्रय किया गया है,

जिसकी पुष्टि वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत इकरारनामों व विक्रय पत्र की प्रतियों से हो रही है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीरों में वर्णित प्रकरणों के तथ्य उक्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर प्राधिकृत अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

ह0/–

(सांवरमल वर्मा)

संभागीय आयुक्त, भरतपुर

सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के तहत

संभाग स्तर पर चयनित निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 41/2018

श्री राधेश्याम पुत्र श्री नाथूराम जाति-रेगर निवासी-कुम्हारवाड़ा, आबू पर्वत तहसील-आबू रोड, जिला-सिरोही

........अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड़

..........रेस्पोडेन्ट

राजस्थान अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः-

1. श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 13.04.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2018 के विरुद्ध दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामील होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा मौजा देलवाड़ा पटवार हल्का देलवाड़ा तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 523/128 रकबा 0.04 बीघा पर अपीलार्थी का कृषि भूमि का उपयोग व्यावसायिक/वाणिज्यिक को अवैध मानकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामील करवाया जिसे अपीलांट पर तामील मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट

को हाजिर बताते हुए निर्माण को भौतिक रूप से ध्वस्त करने एवं रुपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। यह है कि अपीलांट की मालिकी एवं स्वामित्व की कृषि आराजी खसरा नम्बर 523/128 रकबा 0.04 बीघा के 50वें भाग से भी कम भूमि पर धारा 66 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भू–सुधार करने एवं उस पर कृषि कार्य हेतु निर्माण कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार की कानूनन रोक नहीं है। यह है कि अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कोई व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया है एवं उक्त भूमि पर एक कमरा कृषक के आवासीय भवन के लिए 10 × 10 वर्गफीट का बनाया गया है जो व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधि में नहीं आता है एवं अपीलांट द्वारा पशु प्रजनन के रूप में एक रेबिट हाउस खोला हुआ है, जिसके लिए स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है एवं न ही उसे गैर कृषि प्रयोजन में माना गया है। अत: अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलांट के पूर्व रसाधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को कृषि से गैर कृषि में संपरिवर्तित करने के लिए दिनांक 09.10.2001 को नगरपालिका आबू पर्वत में एक आवेदन किया हुआ है जिसकी रसीद नम्बर 7408/75 है एवं इसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई थी। यह है कि अपीलांट की उक्त भूमि पर पड़ौसी खातेदार श्री प्रेमसिंह व अन्य सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने पर अपीलांट ने श्रीमान् सहायक कलक्टर आबू पर्वत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर आबू पर्वत ने वाद सुनवाई दिनांक 31.01.2014 को यह आदेश पारित किया गया कि उक्त भूमि पर प्रेमसिंह का अवैध कब्जा/निर्माण है जिसे हटाने के आदेश दिए थे एवं अधीनस्थ न्यायालय को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का देलवाड़ा की रिपोर्ट को सही मानकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अत: श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा बिना पूर्वानुमति के निर्माण कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। पटवारी हल्का देलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामीलशुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है। अत: अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली-भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरित करवाए व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग को अवैध मानकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तामील कुनिन्दा द्वारा तामीलशुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट ने स्वयं के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की है। अत: अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का देलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा देलवाड़ा पटवार हल्का देलवाड़ा के खसरा संख्या 523/128 रकबा 0.04 बीघा पर अपीलांट ने बिना पूर्वानुमति से अवैध निर्माण कर कृषि भूमि का व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 66 के अनुसार भूमिधारियों को भूमि के क्षेत्रफल का 1/50वाँ भाग में उपरोक्त परिभाषित सुधार का अधिकार प्रदत्त है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि पर किस प्रकार का व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है एवं कितने क्षेत्रफल पर किया जा रहा है एवं न ही पटवारी हल्का देलवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इस कथन को स्पष्ट किया गया है। अत: ऐसी स्थिति में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किया गया कथन कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर एक कमरा कृषक के आवासीय भवन के लिए 10 × 10 वर्गफीट का बनाया गया है जिसमें पशु प्रजनन के रूप में एक रेबिट हाउस खोला हुआ है, मानने योग्य प्रतीत होता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। अत: धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। अत: धारा 90ए के तहत कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के संबंध में है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कितने क्षेत्रफल पर किया जा रहा है एवं क्या व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, स्पष्ट नहीं होने से उक्त निर्माण पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए सपठित धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होना प्रतीत होता है। यह है कि अपीलांट अधिवक्ता का

कथन है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर उक्त निर्माण कुक्कुट पालन हेतु करवाया था जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने भी यह सिद्ध नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा उक्त निर्माण कार्य गैर कृषि प्रयोजनार्थ किया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (2) के तहत कृषि में उद्यान कार्य, पशुपालन दुग्धशाला और कुक्कुट पालन तथा वन विकास को सम्मिलित मानकर परिभाषित किया गया है। अत: उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में साक्ष्यों को नहीं देखा गया है।

अत: ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर किए गए निर्माण कार्य की जांच कर एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

ह0/–

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के तहत
जिला स्तर पर चयनित निर्णय)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नवलगढ़, जिला-झुंझुनूं

(पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर, आर.ए.एस.)

पूर्व मुकदमा नम्बर 150/1998
मुकदमा नम्बर 248/2016
जी.सी.एम.एस. नं. 2021/155

दायर दिनांक : 02.10.1998

1. धूड़ाराम पुत्र गुलाराम, जाति-माली, निवासी-मोहनवाली ढाणी तन चिराना, तहसील-नवलगढ़, जिला-झुंझुनूं, राजस्थान व अन्य

– वादीगण

बनाम

1. भूदरमल पुत्र हरदेवा, जाति-माली, चिराना, तहसील-नवलगढ़, जिला-झुन्झुनूं, राजस्थान व अन्य

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :-श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति.:-श्री सुरेश कुमार सीगड़

दावा : इश्तकरार हक, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा
अ. धारा 88, 53, 188, राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय

दिनांक : 11.01.2023

वाद-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:-वादी द्वारा वाद पत्र कदर पेश किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567 रकबा 0.05, 1.07 हैक्टर ग्राम चिराना की तन में स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर भी ग्राम चिराना की तन में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम की खातेदारी के कदीमी कब्जाशुदा भूमि है। उपरोक्त भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 2 का भी इस जमीन में हिस्सा 1/

8 है। भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है।

प्रतिवादीगण नम्बर बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है जिसने वादीगण के पिता को बहला-फुसलाकर एक गलत विक्रय पत्र अपने हक में खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन का अपने हक में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय नवलगढ़ में दिनांक 14.10.1996 को तकमील करवाकर तस्दीक करवा लिया है। प्रतिवादी नम्बर 3 जो वादीगण का सगा भाई है, यह भी प्रतिवादी नम्बर 1 से मिला हुआ है जिन्होंने मिलकर यह फर्जी विक्रय-पत्र तस्दीक करवाया है। प्रतिवादी संख्या 2 को कोई रकम अदा नहीं की तथा उसे बहका कर धोखे में डालकर यह गलत विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 को तस्दीक करवा लिया है। उपरोक्त भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है अभी तक उपरोक्त जमीन का प्रतिवादी नम्बर 2 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो सम्पत्ति पैतृक संयुक्त व अविभाजित सम्पत्ति है। वादीगण अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 को प्रतिवादी नम्बर 3 व 1 ने धोखे में डालकर उपरोक्त गलत विक्रय पत्र तकमील व तस्दीक करवाया है। विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 वादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ बेअसर है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 3 व 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे में डालकर बिना कुछ रकम दिये, यह फर्जी विक्रय पत्र तकमील करवा कर तस्दीक करवा लिया है ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत इश्तकरारहक का पेश करना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि है जो संयुक्त अविभाजित है जिस पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से 1/8 पर शांतिपूर्वक काबिज हैं परन्तु प्रतिवादी नम्बर 03 व प्रतिवादी नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे से यह विक्रय-पत्र तस्दीक करवाया है। ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत बंटवारा जमीन का भी पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 1 इस नाजायज विक्रय-पत्र दिनांक 1.10.1998 की आड़ में से उपरोक्त भूमि का नाजायज रूप से कब्जा करने को आमादा है दिनांक 01.10.1998 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने उसके परिवार वाले उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से हमलावर होकर वादीगण व उनके परिवार के सदस्यों के साथ संगीन मारपीट भी कर चुके हैं। इनके खिलाफ थाना उदयपुरवाटी में अन्तर्गत धारा 147, 451, 323 आई.पी.सी. का मुकदमा भी दर्ज है जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 कानून को हाथ में लेकर इस

जमीन पर जबरन कब्जा करने को आमादा हैं। यदि प्रतिवादी नम्बर 1 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा। वादीगण को व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में फंसना होगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी। वादीगण की जमीन डेमेज व वेस्ट होगी। ऐसी हालत में वादीगण के लिये दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया।

वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र में अनुतोष चाहा है कि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थित का बंटवारा किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा अलग किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे व बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1998 जो प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में तस्दीक कराया है जो वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ बेअसर घोषित फरमाया जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के भूमि खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर, वाके ग्राम चिराना के किसी भी हिस्से नाजायज कब्जा नहीं करे प्रतिवादी नम्बर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे में किसी प्रकार का कोई दखल न तो स्वयं करे अथवा न अपने किसी संबंधी, प्रतिनिधि नौकर-चाकर आदि से करवावे। अन्य कोई सिद्धि जो वादी के हक में हो वह भी दिलवायी जावे तथा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने वाला अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़, प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगायत 6 की ओर से वकील श्री जयसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 07 बावजूद सम्यक् तामील के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर बिन्दुवार जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि वाद की धारा 1 स्वीकार है तथा वाद पत्र की धारा 2 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा

नम्बर 4566, 4567 वाके ग्राम चिराना में होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598, 4612 ग्राम चिराना में स्थित होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 ग्राम चिराना में स्थित होना स्वीकार है। यह जमीन कदीमी पैतृक जमीन है, यह सही है। यह भी सही है कि जमीनें वादीगण प्रतिवादी नम्बर 3 मुलाराम (चारों भाईयों) के पिता गुलाराम नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4587 रकबा 1.07 हैक्टर जमीन में से 0.20 हैक्टर जमीन को प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के द्वारा बेच दी तथा कब्जा भूदरमल को संभला दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर नामान्तकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया जो सही है, विधि के अनुसार है। इस प्रकार *जमीन खसरा नम्बर 4567* रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल है, इस प्रकार भूदरमल का कब्जा काश्त है, भूदरमल ने खरीफ की फसल बो रखी है इस जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन से भूदरमल के अलावा अन्य किसी का कोई लेना-देना नहीं है जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर तथा 4566 में से पाँचवाँ हिस्सा वादी नम्बर 1 धूड़ाराम के हिस्से में आया था जिस पर धूड़ाराम का कब्जाकाश्त था जिससे प्रतिवादी संख्या 1 भूदरमल ने खरीदी है जिसका विक्रय-पत्र भी कानूनन भूदरमल के नाम हो चुका है। चूंकि जमीन में गुलाराम के चारों पुत्रों का बराबर-बराबर हक हकूक व हिस्सा था तथा गुलाराम स्वयं के नाम जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था क्योंकि चारों भाई (वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3) तथा उनका पिता गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 के पाँच हिस्से बना रखे थे तथा पाँचों का हक हकूक व हिस्सा था। पाँचों में चार भाई तथा उनका पिता गुलाराम है। पाँचों ने अपना-अपना हिस्सा अलग-अलग बांट रखा था। भूदरमल प्रतिवादी नम्बर 1 से 0.20 हैक्टर जमीन खरीदी वह धूड़ाराम के हिस्से की थी जिस पर धूड़ाराम का हक हकूक व कब्जाकाश्त था तथा जमीन का राजस्व रिकॉर्ड गुलाराम (पिता) के नाम था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने 0.20 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 में से धूड़ाराम के हिस्से की खरीदी थी व रजिस्ट्री गुलाराम से धूड़ाराम ने बनवा कर दी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने बाकायदा रुपये देकर जमीन को खरीदा है व राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम मौजूद है। खसरा नम्बर 4567, 4566 पर चारों भाई (धूड़ा, नानू, मूला, छोटू) व पिता गुला का कब्जा था जिसमें धूड़ाराम के हक व हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीद ली है, अब धूड़ाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक हकूक व कब्जा नहीं

रहा है। मूलाराम अपने हक-हकूक की पांचवें हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से मूलाराम ने कुछ जमीन बेची है, नानूराम अपने हक व हिस्से की पांचवें हिस्से की जमीन पर काबिज है जिसमें से कुछ जमीन नानूराम ने बेची है। गुलाराम अपने हक हिस्से की पांचवें हिस्से की जमीन पर काबिज है जिसमें से कुछ जमीन गुलाराम ने बेची है तथा छोटूराम अपने हक हकूक के पांचवें हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार मोटे रूप से जवाबदेहन्दा को इतनी ही जानकारी है। जवाबदेहन्दा के द्वारा खरीदी गई जमीन के बाबत वादीगण ने गलत दावा व आधारहीन दावा पेश किया है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567 4566 पर गुलाराम के चारों पुत्रों व पिता का कब्जा था जिसमें से धूड़ाराम ने जवाबदेहन्दा को 0.20 हैक्टर जमीन बेच दी व अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी शेष तीनों भाई व पिता गुलाराम का हिस्सा चल रहा है व कब्जा है तथा कुछ हिस्सा बेचा भी है जिसकी विस्तृत जानकारी जवाबदेहन्दा को नहीं है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 की जमीन वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की पैतृक जमीन है जिस पर चारों भाई व पिता गुला का कब्जाकाश्त है। जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 में गुलाराम, मूलाराम, छोटूराम नानूराम, धूड़ाराम का पैतृक जमीन होने से हक हकूक व कब्जा काश्त है, गुलाराम जीवित है, पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का उसकी जमीन में कोई हक हकूक कानूनन नहीं होता है, हिन्दू कानून के अनुसार पैतृक जमीन में पुत्र का जन्म लेते ही हक हो जाता है, पुत्री का पिता के मरने के बाद हक बनता है। इसलिए खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नहीं बनता है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम की पुत्रियाँ हैं तथा गुलाराम जीवित है, इसलिए वादीगण द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम की पुत्रियाँ हैं तथा गुलाराम जीवित है इसलिए वादीगण द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का हक व हिस्सा है, निराधार है, मनगढ़ंत है कानूनन नहीं बनता है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का नाम वादीगण ने गलत दर्ज किया है। जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567 पर तीनों भाई मूलाराम, छोटू नानू व पिता का भूदरमल का कब्जाकाश्त है। इस प्रकार वादीगण ने गलत व आधारहीन दावा पेश किया है।

प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने सही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में जवाबदेहन्दा के नाम दर्ज है, विक्रय पत्र जितनी जमीन का जवाबदेहन्दा ने खरीदी है उतनी पर जवाबदेहन्दागण का कब्जा है। वादीगण ने सभी बातें गलत लिखी हैं जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है, जमीन जो जवाबदेहन्दा ने खरीदी है वह धूड़ाराम के कब्जे व हक की थी

जिसका रिकॉर्ड गुलाराम के नाम था गुलाराम धूड़ाराम ने रुपये लेकर जमीन जवाबदेहन्दा को राजी रजा बेची है, धूड़ा राम गुलाराम की अब नीयत खराब हो गई है तथा जवाबदेहन्दा की जमीन हड़पना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, विक्रय पत्र सही करवाया गया है, जवाबदेहन्दा ने प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम को व धूड़ाराम को रकम अदा करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, धोखे में डालने का प्रश्न ही नहीं उठता गुलाराम व धूड़ाराम को घर खर्चे के लिये रुपयों की आवश्यकता थी इसलिये जवाबदेहन्दा ने रुपये देकर जमीन खरीदी है, बाकी बातें निराधार व बिना कानून के दर्ज की है जिनका कानून में कोई औचित्य नहीं है। जमीनें पिछले काफी अर्से से पहले ही बंटी हुई है इसलिए अविभाजित होने का प्रश्न ही नहीं है पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार है। वादीगण का काबिज होना स्वीकार नहीं है। जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 पर धूड़ाराम वादी का कोई कब्जा नहीं है क्योंकि उसने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 को बेच दी प्रतिवादी नम्बर 2 बहुत चालाक व प्रतिवादी नम्बर 1 को करवाई है उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की चाराजोही सिविल कोर्ट में करनी चाहिये थी, राजस्व न्यायालय को इसे कानूनन तस्दीकशुदा विक्रय पत्र के बाबत कोई सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, विक्रय पत्र सही है बेअसर होने का प्रश्न ही नहीं है बाकी बातें बेग लिखी है। वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के विरुद्ध यह दावा करने का अधिकार नहीं है।

विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 सही हुआ है तथा क्रय की जमीन पर जवाबदेहन्दा का कब्जा है व राजस्व रिकॉर्ड जवाबदेहन्दा के नाम बन चुका है। कब्जा बाकायदा भौतिक रूप से जवाबदेहन्दा का है, वादीगण हमेशा झूठे मुकदमें बनाकर रिपोर्ट करते रहे हैं जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है। अन्य बातें इस दावे में वाहियात की है। जवाबदेहन्दा ने जब रुपये देकर जमीन खरीदी है तथा कब्जाकाश्त है बाजरा बो रखा है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मेरे नाम से दर्ज है इन परिस्थितियों में वादीगण को क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है बल्कि अपार क्षति जवाबदेहन्दा को है, व्यर्थ का मुकदमा वादीगण ने जवाबदेहन्दा पर किया है, पहले तो रुपये की जरूरत थी तब जमीन बेच दी अब नीयत खराब हो गई व मुकदमा कर दिया इस तरह के मुकदमों का क्या औचित्य है।

अतिरिक्त उतर

जवाबदेहन्दा ने बाकायदा कानूनन विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है तथा कब्जा प्राप्त किया है व राजस्व रिकॉर्ड जवाबदेहन्दा के नाम मौजूद है जवाबदेहन्दा ने अपने हक हकूक व

कब्जे की जमीन पर खरीफ की फसल बो रखी है। जवाबदेहन्दा काउण्टर क्लेम करता है कि वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जवाबदेहन्दा को क्रय शुदा भूमि पर काबिज रहने दें। विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के विरुद्ध किसी प्रकार की सिद्धि यह न्यायालय नहीं दे सकता बल्कि सिविल न्यायालय ही दे सकता है। काउण्टर क्लेम को सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम प्रतिवादी नम्बर 02 की पुत्रियाँ है तथा कानूनन पिता के जीवित रहते पुत्रियों का हक नहीं हो सकता। गुलाराम, धूड़ाराम, छोटूराम, नानूराम पर जमीन खसरा नम्बर 4567 ग्राम चिराना के बाबत् धारा 420, 120बी, 467, 406, 471 आईपीसी का मुकदमा ए.सी.जे.एम. कोर्ट नवलगढ़ में चल रहा है तथा इसी कारण से जवाबदेहन्दा पर झूठा मुकदमा किया गया है। अत: जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगायत 6 की ओर जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमश: 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थित होना स्वीकार है तथा इसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम नम्बर 2 गुलाराम के नाम होना भी स्वीकार है मगर यह स्वीकार नहीं है कि जमीनों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8 हो बल्कि भूमि खसरा नम्बर 4566/0.05, 4567/1.07 के दो भाग सम्वत् 2040 में किये गये थे जिसमें पूर्वी भाग जो सड़क चिराना ग्राम में जाती है उसके पश्चिमी में सटकर है उसके चार भाग किये गये थे उत्तर की तरफ का 1/4 हिस्सा गुलाराम का, मूलाराम के सहारे दक्षिण में 1/4 हिस्सा धूड़ाराम का रखा गया था। मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन मनीष कुमार नरोत्तम लाल, रामदयाल, हरिश कुमार, रामेश्वर लाल को विक्रय कर दी बाकी शेष हिस्सा गुलाराम ने अपने पास रखा था। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 प्रतिवादी नम्बर 2 से अलग रहने लग गये थे तथा प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने भूमि खसरा नम्बर 4567 में से 0.25 हैक्टर जमीन प्रतिवादिनी नम्बर 4 लगायत 6 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान में दे दी जिसका नामान्तकरण भी इनके नाम भरा जा चुका है व संतोष कुमार को 25 × 25 वर्ग गज जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 को बेच दी तथा म्होरी देवी, संतरा देवी व नरेन्द्र सिंह को 0.12 हैक्टर जमीन भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी तथा भूमि खसरा नम्बर 4598 जमीन के चार हिस्से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम के कर दिये। मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन गजानंद को विक्रय कर दी थी जिसको पुन: वादी

धूड़ाराम ने गजानन्द से क्रय कर ली गई।

प्रतिवादी नम्बर 2 काफी वृद्ध है तथा उसकी उम्र करीब 82 वर्ष हो गई है तथा उसे सुनाई भी बिल्कुल ही नहीं देता है तथा उसकी आँखों की रोशनी करीब 5-6 साल से खत्म हो गई है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 की तहसील नवलगढ़ से फव्वारों के लिए कर्जा दिलाने में मदद की थी व उसे फव्वारों के लिए तहसील नवलगढ़ से कर्जा भी दिलवाया था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 का काफी विश्वास करने लग गया था। इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 को यह कहा कि तुम्हें जो फव्वारों का लोन दिलवाया है उसके कागजों में कुछ कमी रह गई है इसलिए तुम्हें नवलगढ़ चलकर हस्ताक्षर करने है तो प्रतिवादी नम्बर 2 उसी झूठी बातों में आकर नवलगढ़ तहसील में आया गया। वहां पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने फव्वारों की लॉन की बाबत बात कहकर कुछ कागजों पर अंगूठा निशानी करवा लिया उस वक्त प्रतिवादी नम्बर 2 की न तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने यह बताया कि तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं व न ही कोई विक्रय की राशि ही अदा की व न ही पटवार हल्का ने प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम प्रतिवादी नम्बर 2 की खातेदारी की जमीन का नामान्तरकरण भरा तब ही इस बारे में बताया विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे में डालकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने हक में करवाया है जो प्रतिवादी नम्बर 2 के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है।

विवादित भूमि का विभाजन जवाब दावे की धारा 2 के अनुसार मौके पर किया हुआ है वादी घुड़ाराम की स्त्री केशरी, छोटूराम की स्त्री म्होरी देवी तथा नानूराम की स्त्री संतरा देवी के नाम प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4612 तादादी 0.51 हैक्टर जमीन का विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 को करवा दिया है जिन पर उनका कब्जा है तथा भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर भूमि का दान पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने श्रीमती ज्ञाना देवी श्रीमती सुवा देवी एवं श्रीमती शांति देवी जो कि प्रतिवादी नम्बर 2 की पुत्रियाँ हैं उनके दिनांक 29.08.1998 के करवा दिया। वादीगण किस जमीन का बंटवारा करवाना चाहते हैं। वादीगण अपने-अपने हिस्से में आई जमीन पर काबिज हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 2 के जीवनकाल में वादीगण को बंटवारा का दावा करने को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम की ओर से जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि भूमि

खसरा नम्बर 4566, 4567 वाके ग्राम चिराना में होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 ग्राम चिराणा में स्थित होना स्वीकार है। उक्त जमीन कदीमी पैतृक जमीन है, यह सही है कि जमीनें वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम (चारों भाईयों) के पिता गुलाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर जमीन में से 0.20 हैक्टर जमीन को प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के द्वारा बेच दी तथा कब्जा भूदरमल को संभला दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया जो सही है विधि के अनुसार है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल है, इस पर भूदरमल का कब्जाकाश्त है, भूदरमल ने खरीफ की फसल जोत रखी है, इस जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन से भूदरमल के अलावा अन्य किसी को कोई लेना-देना नहीं है, जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, 4566 में से पांचवा हिस्सा वादी संख्या 1 धूड़ाराम के हिस्से में आया था जिस पर धूड़ाराम का कब्जा काश्त था जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीदी जिसका विक्रय पत्र भी कानूनन भूदरमल के नाम हो चुका है। चूंकि जमीन में गुलाराम के चारों पुत्रों का बराबर-बराबर हक हकूक व हिस्सा था तथा गुलाराम स्वयं के नाम जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था क्योंकि चारों भाईयों वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 तथा उनका पिता गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 के पांच हिस्से बना रखे थे तथा पांचों का हक हकूक व हिस्सा था पांचों में चार भाई तथा उनका पिता गुलाराम है। पांचों ने अपना-अपना हिस्सा अलग-अलग बाँट रखा था। भूदरमल प्रतिवादी नम्बर 1 ने 0.20 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 में से धूड़ाराम के हिस्से की खरीदी थी व रजिस्ट्री गुलाराम से धूड़ाराम ने बनवा दी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने बाकायदा रुपये देकर जमीन खरीदी है व राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम मौजूद है। खसरा नम्बर 4567, 4566 पर चारों भाई (धूड़ा, नानू, मूला, छोटू) व पिता गुला का कब्जा था जिसमें से धूड़ाराम के हक हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीद ली है, अब धूड़ाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक हकूक व कब्जा नहीं रहा है, मूलाराम अपने हक हकूक की पांचवें हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से गूलाराम ने कुछ जमीन बेची है, नानूराम अपने हक व हिस्से की पांचवें हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से कुछ जमीन नानूराम ने बेची है तथा छोटूराम अपने हक हकूक के पांचवें हिस्से पर

काबिज है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के द्वारा खरीदी गई जमीन के बाबत वादीगण ने गलत दावा व आधारहीन दावा पेश किया है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 पर गुलाराम के चारों पुत्रों व पिता का कब्जा था, जिसमें से धूड़ाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को 0.20 हैक्टर जमीन बेच दी व अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी शेष तीनों भाई व पिता गुल्लाराम का हिस्सा चल रहा है व कब्जा है तथा कुछ हिस्सा बेचा भी है किसी विस्तृत जानकारी प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को नहीं है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 की जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 की पैतृक जमीन है, जिस पर चारों भाई व पिता गुला का कब्जाकाश्त है। खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 में गुलाराम, मुलाराम, छोटूराम, नानूराम, धूड़ाराम का पैतृक जमीन होने से हक हकूक व कब्जा काश्त है गुलाराम जीवित है, पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का उसकी जमीन में कोई हक हकूक कानूनन नहीं होता है, हिन्दू कानून के अनुसार, पैतृक जमीन में पुत्र का जन्म लेते ही हक हो जाता है, पुत्री का पिता के मरने के बाद हक बनता है। इसलिये खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नहीं बनता है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम की पुत्रियाँ हैं तथा गुलाराम जीवित है इसलिये वादीगण द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का हक व हिस्सा है, निराधार है, मनगढ़ंत है कानूनन नहीं बनता है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का नाम वादीगण ने गलत दर्ज किया है। जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567 पर तीनों भाई मूलाराम, छोटू नानू व पिता तथा भूदरमल का कब्जाकाश्त है।

जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नहीं बनता है, न ही कब्जाकाश्त है यह तथ्य वादीगण द्वारा महज जवाबदेहन्दा को उसके हिस्से की जमीन से महरूम करने के लिये मनगढ़न्त दर्ज किया है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 अपने ससुराल रहती है तथा वहीं पर इनकी जमीन है। इन जमीनों में वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक रहा है जिसमें से वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 ने कुछ जमीनें बेची हैं।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 भूदरमल ने सही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जिसका राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम दर्ज है, विक्रय पत्र में जितनी जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 ने खरीदी है उतनी पर प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का कब्जा है, वादीगण ने सभी बातें गलत लिखी हैं जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है जमीन जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीदी

है व धूड़ाराम के कब्जे व हक की थी जिसका रिकॉर्ड गुलाराम के नाम था, गुलाराम, धूड़ाराम ने रुपये लेकर जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को राजीरजा बेची है धूड़ाराम, गुलाराम की अब नीयत खराब हो गई है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल की जमीन हड़पना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, विक्रय पत्र सही करवाया गया है, प्रतिवादी नम्बर भूदरमल ने प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम को व धूड़ाराम को रकम अदा करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, धोखे में डालने का प्रश्न ही नहीं है।

जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4612 ग्राम चिराना में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक रहा है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का इस जमीनों में कानूनन कोई हक नहीं बनता है क्योंकि पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक नहीं होता। विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकार है अविभाजित व संयुक्त होने का प्रश्न ही नहीं है, जमीनों का आपसी बंटवारा पिता गुलाराम चारों पुत्र धूड़ाराम, नानूराम, छोटूराम मूलाराम में सम्वत् 2040 में ही हो गया था पाँच हिस्से बराबर-बराबर करके अलग-अलग सम्वत् 2040 से ही वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 काबिज थे। आपसी बंटवारों के बाबत अलग-अलग हक व हिस्से के मुताबिक नक्शा भी जवाब दावे के साथ पेश है जो जवाब दावे का हिस्सा रहेगा। वादी नम्बर 1 धूड़ाराम का जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि धूड़ाराम के हिस्से की 0.20 हैक्टर जमीन धूड़ाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को बेच कर विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 से करवा दिया है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज है, खसरा नम्बर 4598, 4612 में वादीगण नम्बर 2 से करवा दिया है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज है खसरा नम्बर 4598, 4612 में वादीगण व प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक व हिस्सा है तथा कुछ कुछ जमीनें बेची है जिनके बारे में विस्तृत जानकारी अतिरिक्त उत्तर में दी गई है। जवाबदेहन्दागण प्रतिवादी नम्बर 3 का प्रतिवादी नम्बर 1 को जमीन बेचने में कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं था, वादी धूड़ाराम के कहने के मुताबिक ही प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम चलता है, धूड़ाराम जवाबदेहन्दा से दुश्मनी रखता है तथा जवाबदेहन्दा को उसके हक की जमीन से वंचित करना चाहता है जिसके लिये गुला राम का नाजायज दुरुपयोग धूड़ाराम करता है, धूड़ाराम ने अपने हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 4567 की बेच दी और अब गुलाराम से साज करके जवाबदेहन्दा के हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है। धूड़ाराम की नीयत खराब हो गई है तथा वह मूलाराम को निकलाना चाहता है तथा इस काम में गुलाराम, धूड़ाराम के कहने में है जिसका धूड़ाराम व

गुलाराम को कोई अधिकार नहीं है यही कारण है कि धूड़ाराम ने गुलाराम द्वारा वादग्रस्त जमीनों के विक्रय-पत्र प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा धूड़ाराम की पत्नी केशरी देवी, नानूराम की पत्नी संतरा, छोटू की पत्नी महाली देवी के नाम गलत रूप से व दिखावा मात्र करने के लिये तथा जवाबदेहन्दा को उसके हक की जमीनों से वंचित करने के लिये तथाकथित रूप से करवाये हैं जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है तथा पैतृक सम्पत्ति होने एवं पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों का हक होने एवं काबिज काश्त होने आदि के कारणों से जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है विक्रय पत्र जो प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मोहरी देवी, सन्तरा देवी केशरी देवी के नाम तथाकथित रूप से गुलाराम ने करवाये हैं वे एबिनिसियों वोईड है तथा इनकी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है, पूरा जवाब अतिरिक्त उत्तर में दिया गया है, पति के हक की जमीनें पत्नियों के नाम करवाना मात्र दिखावा होता है तथा नाटक है एक अनर्गल लाभ प्राप्त करने की कुचेष्टा है। इस तरह का नाटक व दिखावा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 तथा प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 एवं मु. केशरी देवी, मु. सन्तरा देवी, मु. महरी देवी ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 के बाबत किया है जो कितना हास्यास्पद है तथा इस तरह के कृत्य से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की नीयत कितनी खराब है तथा वे जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु कहाँ तक जा सकते हैं।

धूड़ाराम ने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 को बेच दी तथा रकम लेकर गुलाराम से रजिस्ट्री करवा दी व कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दे दिया दूसरी तरफ यह गलत दावा नीयत खराब होने से कर रहे हैं जो कि चलने के काबिल नहीं है, धोखा मात्र है तथा जवाबदेहन्दा को हैरान, परेशान व उसके हक से वंचित करने के लिये किया गया है वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 के मध्य सम्वत् 2040 में ही जमीनों का बंटवारा हो गया था जिसका विवरण अतिरिक्त उतर में दिया गया है। वादी धूड़ाराम को खसरा नम्बर 4567, 4566 की जमीन के बाबत् विभाजन का दावा करने का हक ही प्राप्त नहीं है क्योंकि धूड़ाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक व हिस्सा ही नहीं है। जब हक ही नहीं है तो विभाजन का दावा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है।

विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 को सही हुआ है तथा क्रय की गई जमीन पर प्रतिवादी नम्बर भूदरमल का कब्जा है व राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम बन चुका है कब्जा बाकायदा भौतिक रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का है, वादीगण हमेशा

झूंठे मुकदमे बनाकर रिपोर्ट करते रहे हैं जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने जब जमीन खरीदी है तथा कब्जाकाश्त है बाजरा बो रखा है तथा राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है तो इस परिस्थिति में वादीगण को क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है बल्कि अपार क्षति जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को है, व्यर्थ का मुकदमा वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 पर किया गया है।

वादीगण इस दावे से किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं धारा 10 (क) में वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 के लिये बंटवारा चाहा है जबकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 प्रतिवादी नम्बर 2 की पुत्रियां हैं, पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक पिता की जमीन में नहीं होता इसलिए बंटवारे का दावा कानूनन खारिज होने योग्य है। धारा 10 (ख) में विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 सही तस्दीक करवाया गया है क्योंकि धूड़ाराम वादी ने अपने हक व हिस्से की जमीन प्रतिफल प्राप्त करके गुलाराम से कानूनन विक्रय पत्र तस्दीक करवा के कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दे दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया व प्रतिवादी नम्बर 1 आज भी धूड़ाराम के हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 0.20 हैक्टर पर दिनांक 14.10.1996 से काबिज है, उसकी फसल खड़ी है उपयोग उपभोग में लेता है। इस कारण इस बाबत वादीगण का कोई सिद्धि कानूनन प्राप्त कर नहीं सकते हैं।

स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त नहीं कर सकते है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का जब किसी प्रकार का हक हकूक व कब्जा ही कानूनन व तथ्यात्मक रूप से नहीं है तो स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार ही नहीं है। वादी धूड़ाराम का खसरा नम्बर 4567 4566 पर कोई कब्जा नहीं है, हक हकूक नहीं है तो वादी धूड़ाराम स्थाई निषेधाज्ञा से किसी को पाबन्द नहीं करवा सकता है।

अतिरिक्त उत्तर एवं काउण्टर क्लेम

भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर वाके ग्राम चिराना में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 की पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण व प्रतिवादी गण नम्बर 3 चारों सगे भाई हैं तथा चारों प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के पुत्र हैं। सम्वत् 2040 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 के बीच इस जमीनों का आपसी बंटवारा हो गया था जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 ने प्रत्येक ने 1/5, 1/5 हिस्से की जमीनों पर अलग–

अलग कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 पांचों का उपरोक्त जमीनों में पैतृक जमीन होने से कानूनन हक हकूक व कब्जा काश्त है तथा प्रत्येक पांचवें हिस्से का हक रखता था उसी मुताबिक पांचवे-पांचवे हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 सम्वत् 2040 में काबिज हो गये थे तथा खातेदार हो गये चूंकि जमीन प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम चली आ रही है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 2 वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 का पिता है वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की नीयत खराब हो गई है तथा वे प्रतिवादी नम्बर 3 जवाबदेहन्दा को उसके हक हकूक से वंचित करना चाहते हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने सम्वत् 2040 में बंटवारा किया था उसका नक्शा अलग हिस्से के अनुसार जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम के साथ पेश है जिसे जवाब दावा व काउण्टर क्लेम का हिस्सा माना जावे। नक्शे के साथ हालात नक्शा का भी हवाला दिया गया है उसे भी जवाब दावा काउण्टर क्लेम का भाग माना जावे। नक्शे में याची नम्बर एक की पांचवे हिस्से की जमीनें बताई गई है तथा वादी नम्बर 2 की पांचवे हिस्से की जमीनें बताई गई है, वादी नम्बर 3 की पांचवे हिस्से की जमीनें बताई गई हैं, प्रतिवादी नम्बर 2 की पांचवे हिस्से की जमीनें बताई गई है तथा प्रतिवादी नम्बर 3 की पांचवे हिस्से की जमीनें बताई गई है। इसी प्रकार हक हकूक था एवं इसी प्रकार बंटवारा किया था तथा बंटवारे के वक्त कोई विवाद भी नहीं था लेकिन अब 1998 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की नीयत खराब हो गई तथा चारों (वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 2) ने नाजायज साज कर ली एवं जवाबदेहन्दा को हैरान परेशान करके उसके हक की व कब्जे काश्त की जमीनें हड़पने की बदनीयत बना रखी है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जवाबदेहन्दा अपने हक की घोषणा करवाने हेतु तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने सम्वत् 2040 में जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना का भाई बंटवारा कर लिया था उसके मुताबिक चारों भाई व पिता के प्रत्येक के पांचवा हिस्सा की जमीन आई थी, बंटवारा निम्न प्रकार से हुआ है-

(क) खसरा नम्बर 4567, 4566 रकबा क्रमशः 1.07, 0.05 हैक्टर कुल रकबा 1.12 हैक्टर का विभाजन चारों भाई व पिता में हुआ था जिसे नक्शे अनेक्सर- में दिखाया गया है उसके मुताबिक वादी संख्या 1 धूड़ाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 का हिस्सा 0.20 हैक्टर आई थी जिसे नक्शे में बताया गया है जिसको धूड़ाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को बेच दी

व अपने पिता गुलाराम से रजिस्ट्री करवा दी एवं कब्जा दे दिया, आज धूड़ाराम के हक की इस 0.20 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त है व राजस्व रिकॉर्ड नाम है। वादी नम्बर 2 छोटूराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 का हिस्सा 0.22 हैक्टर आया है जो दो जगह हिस्से में छोटूराम की बताई है वह आई, यह 0.16 हैक्टर जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वी दिशा में सटकर है तथा 0.06 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4566 के पूर्व में आई है जो चिराना कस्बे में जाने वाले रास्ते पर है। छोटूराम ने अपने हिस्से की 0.06 हैक्टर जमीन में एम, एन स्थान पर दो दुकानें बना रखी है। वादी नम्बर 3 नानूराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 में कुल 0.21 हैक्टर आई है जिसमें 0.11 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 के पूर्वी तरफ चिराना कस्बे के रास्ते पर नानूराम के हिस्से में 0.10 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में बताई गई है जिसमें स्थल एल पर 11½ × 22 जमीन नानूराम ने नरेन्द्र सिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत को बेच दी तथा अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी। इस जगह पर नरेन्द्र सिंह ने दो मंजिली दुकान व मकान बना रखी है। ओ.पी. स्थान पर नानूराम स्वयं ने 2 दुकानें बना रखी है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 में कुल 0.22 हैक्टर जमीन आई है जिसमें सीकर उदयपुरवाटी सड़क पर 0.08 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शा अनेक्शर-1 में बताई गई है तथा इसी सड़क पर 0.07 हैक्टर जमीन और आई है जो नक्शे में बताई गई है तथा चिराना कस्बे में जाने वाले रास्ते पर 0.07 हैक्टर जमीन प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के हिस्से में आई थी जिसे नक्शा अनेक्सर-1 में बताई है जिसमें से गुलाराम ने खसरा नम्बर 4567 के एकदम दक्षिणी पूर्वी तरफ की जमीन गजानन्द शर्मा पुत्र को बेच दी जिस पर गजानन्द शर्मा ने मकान व दुकान बना रखी है एवं इस गजानन्द के उत्तरी तरफ की जमीन जो गुला राम के हिस्से की थी उसको गुलाराम ने मोहनलाल कुमावत पुत्र को बेच दी जो मोहन कुमावत की खाली जमीन पड़ी है। नक्शे में स्पष्ट बताया गया है, गुलाराम ने अपने हिस्से की जमीन जो नक्शे में इ.एफ.जी. एच.आई. जे. के. से दिखाई गई है वह विभिन्न लोगों को बेच दी जो नक्शे में बताया गया है, ई स्थान पर 20 × 23 फुट की जमीन गुलाराम ने उस्मान लुहार को बेच दी जिस पर दुकान बनी हुई है। ''एफ'' स्थान पर 11 × 41½ फुट जमीन गुलाराम ने मूलाराम पुत्र हणमान कुमावत को बेच दी जिस पर चार दुकानें, एक पेड़काला बना हुआ है ''जी'' स्थान पर 10 × 23 फुट जमीन की गुलाराम ने बसेसर जांगिड़ पुत्र डेडाराम को बेच दी जो खाली पड़ी है। ''एच'' स्थान पर 11 × 23 फुट जमीन खाली है जिसको गुलाराम ने अपने हिस्से

में से नानू पुत्र हरदेवा व नानू पुत्र सुरजा माली को बेच दी ''आई'' स्थान पर 10 × 23 फुट खाली जमीन है जो गुलाराम ने अपने हिस्से में से महेन्द्र सिंह पुत्र खेमसिंह शेखावत को बेची तथा महेन्द्र सिंह ने भूदरमल सैनी पुत्र हरदेवाराम सैनी को बेच दी जिस पर भूदरमल सैनी का कब्जा है, ''जे'' पर 10 × 23 फुट जमीन जो गुलाराम के हक की थी उसे गुलाराम ने कन्हैयालाल महाजन को बेच दी, इस स्थान पर पुख्ता दुकान बनी हुई है, ''के'' स्थान पर 3 दुकानें हैं जिनमें 2 दुकानें पूर्वी तरफ एवं एक दुकान उत्तरी तरफ खुलती है जो रामेश्वर सैनी खारियों मोदी की ढाणी व नाथूलाल स्वामी किरोडी की दुकाने हैं जो गुलाराम ने अपने हक की जमीन में से बेची है। गुलाराम के हिस्से की 0.07 हैक्टर जमीन सीकर उदयपुरवाटी सड़क पर आई है उसमें से गुलाराम ने सड़क पर क, ख, ग व स्थान की जमीनें बेच दी हैं जिनमें ''क'' के स्थान पर 10 × 23 फुट जमीन जिसकी चिणाई सड़क के लेवल के ऊपर तक की हुई है जिसको गुलाराम ने सन्तोष कुमार पुत्र रामसिंह कुमावत को बेच दी, ख, ग व स्थान पर 23 × 40 फुट जमीन जिसकी चिणाई सड़क के लेवल से ऊपर तक की हुई है जिसको गुलाराम ने गणपत पुत्र सुखाराम माली को बेची थी।

प्रतिवादी नम्बर 03 मूलाराम जवाबदेहन्दा की खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर जमीन है जिस पर पुख्ता मकान बनाया हुआ है जिसे मूलाराम जवाबदेहन्दा ने वादीगण से उनका हिस्सा खरीद लिया है, इस पर सम्पूर्ण पर अब मूलाराम का कब्जा व हक हकूक है। खसरा नम्बर 4567 के पश्चिमी तरफ की जमीन 0.13 हैक्टर जमीन जो सीकर उदयपुरवाटी सड़क पर है जो नक्शा अनेक्सर नम्बर 1 में दिखाई गई है यह भी जवाबदेहन्दा के हिस्से में आई है एवं खसरा नम्बर 4567 रकबा 0.09 हैक्टर जमीन जो खसरा नम्बर 4567 के उत्तरी-पूर्वी कोने पर मूलाराम के हिस्से में आई है जो नक्शा अनेक्शर-1 में बताया गया है जिसमें इ.एफ.जी.एच.आई.जे.के.डी.सी.बी.ए. स्थानों की जमीन मूलाराम ने बेच दी है। नक्शे में एक्स स्थान पर मूलाराम का आने-जाने का रास्ता है। नक्शा अनेक्सर-1 में ए स्थान पर 39 × 23 फुट जमीन मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन में से मनीष कुमार पुत्र श्यामसुन्दर महाजन को बेच दी है जिस पर दुकानें बनी हुई है। बी स्थान पर 23 × 10 फुट जमीन को मूलाराम ने नरोत्तम पुत्र कन्हैयालाल महाजन को बेच दी जिस पर दुकान बनी हुई है, ''सी'' स्थान पर 23 × 12 फुट जमीन को मूलाराम ने विनोद पुत्र दुर्गा पारीक को बेच दी जो खाली जगह पड़ी है, ''डी'' स्थान पर 23 × 8 फुट जमीन को मूलाराम ने रामदयाल, मूलचन्द सैनी को बेच दी जिस पर दुकान

बनी हुई है।

(ख) खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.60 हैक्टर ग्राम चिराना की जमीन पैतृक जमीन है, इसका आपसी बंटवारा सम्वत् 2040 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के बीच हो गया था जिसके मुताबिक प्रत्येक के हिस्से में पांचवा-पांचवा हिस्सा आया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 (चारों भाई) एवं पिता प्रतिवादी नम्बर 2 है। इस जमीन का बंटवारा किया उसका नक्शा अनेक्सर-1 है जिसको जवाब दावा व काउण्टर क्लेम का भाग समझा जावे, जिसमें सभी पांचों हिस्सों का हक व हिस्सा अलग-अलग दिखा रखा है जो निम्न प्रकार है-

वादी नम्बर 1 धूड़ाराम के हिस्से में खसरा नम्बर 4598 व 4612 कुल रकबा 0.83 हैक्टर जमीन में से 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जो पांचवे हिस्से की जमीन में से दी है। गुलाराम का इस जमीन से पांचवां हिस्सा है जिसका विभाजन सम्वत् 2040 में किया तब पांचवे हिस्से की जमीन गुलाराम की रखी थी उसके बाद गुलाराम की नीयत खराब हो गई तथा वह जवाबदेहन्दरा से दुश्मनी रखने लगा व वादीगण व गुलाराम ने नाजायज साज करके जवाबदेहन्दा को उसके हक की जमीन से वंचित करने की बदनीयत बना रखी है इसके कारण गुलाराम ने इस जमीन में पांचवे हिस्से की जमीन लेकर वादीगण को तीनों को बांट दी, इससे यह साबित है कि जवाबदेहन्दा से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 की दुश्मनी है तथा वे जवाबदेहन्दा को उसके कानूनी हक से वंचित करना चाहते हैं इसलिए यह काउण्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ। इस जमीन में धूड़ाराम वादी नम्बर 1 के हिस्से में 0.22 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में स्पष्ट की गई है जिसमें धूड़ाराम के पुख्ता मकान स्थान ''बी'' पर बने हुए है तथा स्थान ''सी'' पर धूड़ाराम के कच्चे छपरे आदि हैं।

वादी नम्बर 2 छोटूराम के हिस्से में खसरा नम्बर 4598 व 4612 में से 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 4812 में छोटूराम के हिस्से में 0.07 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में बताई गई है तथा यह जमीन खसरा नम्बर 4612 के पश्चिमी व उत्तरी तरफ की है जिसमें ''ए'' स्थान पर पुख्ता दुकान है जो रामदेव पुत्र नाथू खाती की है जिसे रामदेव ने छोटूराम से खरीदी है जो 20 × 20 फुट जगह है, छोटूराम के हिस्से में शेष जमीन खसरा नम्बर 4598 में 0.15 हैक्टर जमीन आई है जो खसरा नम्बर 4598 की पश्चिमी व दक्षिण तरफ की है छोटूराम के हिस्से की 0.22 हैक्टर जमीन के पूर्वी तरफ मिट्टी का डोला (बाड़) लगा हुआ है।

वादी नम्बर 3 नानूराम के हिस्से में खसरा नम्बर 4612 की पूर्वी तरफ की 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जिसमें से क, ख, ग, घ जमीन 0.09 हैक्टर नानूराम ने लादूराम, मातादीन पुत्र हणमान कुमावत को बेच दी जिसमें लादूराम मातादीन ने दुकाने पुख्ता बना रखी हैं जिन्हें नक्शा अनेक्सर-2 में डी.ई.एफ.जी. से दिखाई गई है स्थिति नक्शे से स्पष्ट है।

प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4612 व 4598 की कुल जमीन 0.17 हैक्टर हिस्से में आई है जिसमें खसरा नम्बर 4598 की पूर्वी तरफ की 0.08 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है तथा खसरा नम्बर 4612 की 0.09 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जो अनेक्सर-2 के नक्शे में छ, ड़, ज च से दिखाई गई है जिसमें दो दुकानें एल.एम. मूलाराम जवाबदेहन्दा ने बनाई है तथा मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन च, ड़ ज, छ में पत्थर डाल रखे हैं तथा पत्थरों का पारा बना रखा है।

वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम पंचायत चिराना का बंटवारा सम्वत् 2040 में किया था उसका हवाला काउण्टर क्लेम की धारा 3 (क) 3 (ख) में दिया गया है जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 खातेदार काश्तकार है, काबिज है तथा उसी प्रकार काउण्टर क्लेम के माध्यम से बंटवारा की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना में कोई कानूनन हक हकूक नहीं बनता है तथा न ही प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 को गलत रूप से पक्षकार बनाया है जो कि दावे में नुक्श है इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 के अलावा भी लोगों का कब्जा है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वे इस दावे के आवश्यक पक्षकार है जिनके बिना इस दावे का निस्तारण सही रूप से नहीं हो सकता। जिन लोगों का उपरोक्त खसरा नम्बर की जमीनों पर कब्जा है उनमें रामदेव पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी-चिराना मातादीन, लादूराम पुत्रान हणमान जाति कुमावत निवासी चिराना गणपत पुत्र सुखाराम जाति माली, संतोष कुमार पुत्र रामरिख जाति कुम्हार निवासी चिराना उस्मान लुहार, मूलाराम पुत्र हणमान जाति कुम्हार निवासी चिराना, बसेसर पुत्र डेडाराम खाती निवासी चिराना, नानूराम पुत्र हरदेवाराम माली निवासी चिराना, नानूराम पुत्र सुरजा माली निवासी चिराना, कन्हैयालाल महाजन निवासी चिराना, रामेश्वरलाल सैनी निवासी खारियो मोदी की ढाणी, नाथूलाल स्वामी

निवासी किरोड़ी रामदयाल पुत्र मूलचन्द सैनी निवासी चिराना, विनोद पुत्र दुर्गादत्त पारीक निवासी चिराना, नरोत्तम पुत्र कन्हैयालाल महाजन निवासी चिराना, मनीष कुमार पुत्र श्यामसुन्दर महाजन निवासी चिराना, नरेन्द्र सिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत निवासी चिराना, गजानन्द शर्मा निवारी चिराना, मोहन कुमावत निवासी चिराना है, जिनको इस दावे में पक्षकार बनाना आवश्यक था जो नहीं बनाया गया, इसलिए आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने अपनी पुत्रियों तथा जवाबदेहन्दा की व वादीगण की बहिनें मु. ज्ञाना देवी, शांति देवी के नाम दिनांक 29.8.1998 को एक तथाकथित दान-पत्र करवाया है, जो कि कानूनन अवैध है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है यह तथाकथित दान-पत्र नल एण्ड बोईड है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों पर बेअसर है क्योंकि जमीन खसरा नम्बर 4567 पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन में गुलाराम के पुत्रों का पांचवा-पांचवा हिस्सा निहित है जिसको खुर्द-बुर्द करने व हस्तान्तरण करने का गुलाराम को अधिकार नहीं है। गुलाराम स्वअर्जित सम्पत्ति को ही दान में दे सकता है, इस जमीन को नहीं यह तथाकथित दान-पत्र गुलाराम ने जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु गलत व दिखावे के लिए नाटकीय रूप से किया है जबकि ऐसा वास्तव में किया नहीं गया है, महज जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु यह तथाकथित दान-पत्र करवाया गया है। गुलाराम अपने पुत्रों (वादीगण) को नाजायज लाभ देने के लिए तथा जवाबदेहन्दा को बर्बाद करने के लिये यह तथाकथित दान-पत्र करवाये हैं जो केवल दिखावा मात्र है तथा गुलाराम को यह दान पत्र करवाने का कानूनन अधिकार नहीं था क्योंकि हिन्दू कानून से पैतृक जमीन में उसके पुत्रों का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है व पिता के बराबर के हकदार हो जाता है, इस कारण से गुलाराम को जवाहदेहन्दा के हक की जमीन का दान-पत्र करवाने को अधिकार नहीं होने से तथाकथित दान-पत्र दिनांक 29.8.1998 अब-इनिसियों बोईड है तथा जवाबदेह के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है, यह घोषणा करवाने हेतु यह काउण्टर क्लेम पेश है। वादीगण ने गुलाराम से साज करके तथाकथित दान पत्र दिनांक 29.8.1998 गलत रूप से तस्दीक करवाया है तथा जवाब देहन्दा को उसके हक से वंचित करना चाहते हैं इसलिये वादीगण नहीं बोल रहे हैं, दान पत्र की गई जमीन पर दानग्रहिता प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का आज तक कोई कब्जा नहीं है इसलिए दान पत्र की कानूनन कोई अहमियत नहीं है तथाकथित दान पत्र करवाने से पूर्व गुलाराम ने एक विक्रय पत्र

दिनांक 14.10.1996 को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम तस्दीक करवाया है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है उसमें चतुर्थ सीमा बताई है वह ही दान पत्र में बताई गई है इसलिए भी दान पत्र बिना कानून के व बिना अधिकार के तथा बेची गई जमीन का व बिना कब्जे की जमीन का करवाया गया है जो अब-इनिसियों बोईड होने से कानूनन कोई महत्त्व नहीं रखता। वादीगण ने दावा दिनांक 7.10.1998 को पेश किया है उसमें दान-पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने एक विक्रय-पत्र दिनांक 3.12.1998 को मु. महरी देवी पत्नी छोटूराम, मु. सन्तरा देवी पत्नी नानूराम के नाम करवाया है जो कि अब-इनिसियों वोईड है, नल एण्ड वोईड है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है क्योंकि जमीन खसरा नम्बर 4567 ग्राम चिराना का विक्रय पत्र करवाया है वह जमीन पैतृक जमीन है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक है तथा कब्जा काश्त है, जवाबदेहन्दा गुलाराम का पुत्र है तथा हिन्दू कानून में पुत्र का पैतृक जमीन में जन्म होते ही हक बन जाता है। इस प्रकार जवाबदेहन्दा के हक हकूक, कब्जे काश्त की पैतृक जमीन का विक्रय-पत्र तस्दीक करवाने की वजह से अब-इनिसियों बोईड है जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है। वादीगण नम्बर 2 व 3 की पत्नियों के नाम तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 करवाया गया है जो वादी नम्बर 2, 3 के पिता द्वारा करवाया गया है यह केवल मात्र नाटक है, दिखावा है, जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने की सोची-समझी साजिश है जिसकी वजह से जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता, मु. सन्तरा, मु. महरी का इस जमीन पर कब्जा ही नहीं है इसलिये तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 नल एण्ड वोईड है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने एक विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 को तस्दीक करवाया है जो अब-इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है, नल एण्ड बोईड है, यह तथाकथित विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 कसरा नम्बर 4612 का करवाया गया है जिसमें जवाबदेहन्दा का पैतृक जमीन होने के कारण जन्म लेते ही हक हकूक बन जाता है क्योंकि जवाबदेहन्दा गुलाराम का बेटा है। हिन्दू कानून से पुत्र को पैतृक जमीन में जन्म से ही हक बन जाता है, गुलाराम व वादीगण मिले हुये हैं, साज कर रखी है जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करना चाहते हैं। इस कारण से कथाकथित विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 गलत व दिखावटी बनवाया गया है जो जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है, अब-इनिसियों वोईड है। खसरा नम्बर 4612 पैतृक जमीन है जिसके समस्त रकबे का स्थानान्तरण

गुलाराम ने वादीगण से मिलकर उनकी पुत्रवधुओं को नाम कर दिया है तथा नानूराम ने अपने हिस्से का कुछ रकबा पहले ही लादूराम, मातादीन को बेच दिया था इसी कारण नानूराम की पत्नी के नाम कम रकबे की रजिस्ट्री करवाई गई है। वादीगण व गुलाराम जवाबदेहन्दा से रंजिश रखते हैं व जवाबदेहन्दा उसके हक की जमीन छुड़वाना चाहते हैं। इसी कारण तथाकथित विक्रय-पत्र करवाये गये हैं जिनका गुलाराम को अधिकार नहीं था, विक्रय-पत्र दिखावटी है, अब-इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकार के विरुद्ध बेअसर है।

जवाबदेहन्दा खसरा नम्बर 4467, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवें हिस्से का खातेदार काश्तकार है काबिज है, काश्त करता है, लगान देता है पैतृक सम्पत्ति होने से खातेदार की घोषणा करवाने का अधिकारी है, अलग से विभाजन करवाने का अधिकारी है क्योंकि जवाबदेहन्दा अपने हक हकूक की जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवे हिस्से पर काबिज है तथा सम्वत् 2040 से अलग विभाजित जमीन पर काबिज है, काम में लेता है उपयोग उपभोग में लेता है।

जवाबदेहन्दा, वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मु. सन्तरा देवी पत्नी नानूराम, मोहरी पत्नी छोटूराम, मु. केशरी पत्नी धूड़ाराम मालीयान निवासी चिराना को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे जवाबदेहन्दा को खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 चिराना के पांचवे हिस्से की जमीन की काश्त करने, काबिज रहने एवं उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी पैदा नहीं करें न अन्य किसी से करवाये। खसरा नम्बर 4566 में पुख्ता मकान है उस पर जवाबदेहन्दा अकेला काबिज है, हकदार है उस पर भी जवाबदेहन्दा के कब्जे कास्त व हक हकूक में व उपयोग उपभोग में वादीगण आदि से दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

तथाकथित दान-पत्र दिनांक 29.08.1998 तथाकथित विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 नल एण्ड वोईड है, अब-इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकार के विरुद्ध बेअसर है। इस आशय की घोषणा कर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मु. सन्तरा, मु. केशरी मु. महाली को पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी नम्बर 3 ने जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद खारिज एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 3 जवाबदेहन्दा डिक्री किया जावे तथा घोषणा की जावे कि जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 3 जमीन खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवें हिस्से का

खातेदार काश्तकार है, काबिज है, इसी प्रकार विभाजन की डिक्री जारी की जावे, खसरा नम्बर 4566 ग्राम चिराना का अकेला जवाबदेहन्दा खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जवाबदेहन्दा को जमीन खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवें हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही अन्य किसी से करवाये। खसरा नम्बर 4566 के उपयोग उपभोग में जवाबदेहन्दा को हस्तक्षेप नहीं करे। तथाकथित दान-पत्र दिनांक 29.08.1998 अब-इनिसियों वौंड है, जवाबदेहन्दा के अधिकार के विरुद्ध बेअसर है तथा कथाकथित विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है तथा तथाकथित विक्रय-पत्र दिनांक 31.12.1998 जवाबदेहन्दा के अधिकारों के बेअसर है, अब-इनिसियों बोईड है। इस आशय की घोषणा कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। अन्य सिद्धि जो जवाबदेहन्दा के पक्ष में हो जो चाही जाने से रह गई हो वह भी दिलवाई जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कामय की गई:-

1. **तनकी नम्बर 01:-**आया ग्राम चिराना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमश: 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 है। अत: विधिवत विभाजन कर खाते अलग-अलग कायम किये जा सकते हैं।

भा. स. वादीगण

2. **तनकी नम्बर 02:-**आया प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 14.10.1996 को कराया गया विक्रय पत्र वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ बे-असर है।

भा. स. वादीगण

3. **तनकी नम्बर 03:-**आया प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है कि ग्राम चिराना में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा. स. वादीगण

4. **तनकी नम्बर 04:**—आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ अत: दावा चलने योग्य नहीं है।

भा. स. वादीगण

5. **तनकी नम्बर 05:**—आया दावा मियाद बाहर है।

भा. स. वादीगण

6. **तनकी नम्बर 06:**—आया भूमि खसरा नम्बर 4567 तादादी 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।

भा. स. वादीगण नं. 1

7. **तनकी नम्बर 07:**—आया दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

भा. स. वादीगण नं. 1

8. **तनकी नम्बर 08:**—आया प्रतिवादी नम्बर 3 काउण्टर क्लेम के अनुसार ग्राम चिराना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 4566 वाके ग्राम चिराना का प्रतिवादी नम्बर 3 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन कर खाता अलग कायम किया जा सकता है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण को पाबन्द किया जा सकता है कि भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 को पांचवें हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा. स. वादीगण नं. 3

9. **तनकी नम्बर 09:**—आया दान-पत्र दिनांक 29.8.1998 तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 प्रतिवादी नम्बर 3 के अधिकारों पर बे-असर है।

भा. स. वादीगण

10. अनुतोष।

तनकीयात कायम होने शहादत ली गई। शहादत वादी में, वादीगण ने अपने वाद की ताईद में वादी स्वयं धूड़ाराम पीडब्ल्यू.-1, खेताराम पीडब्ल्यू-2, भागीरथ पीडब्ल्यू-3 के मुख्य

परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये तथा वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054, प्रदर्श-2 जमाबंदी भूमि खसरा नम्बर 4598 व 4612, प्रदर्श-3 एफ.आई. आर दिनांक 10.01.1998, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रदर्श-4 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी नम्बर 01 स्वयं भूदरमल डीडब्ल्यू-1, डीडब्ल्यू-2 चौथूराम, डीडब्ल्यू-3 राजकिशोर, डीडब्ल्यू-4 महेश के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जवाब एवं काउण्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेजात डी-1 लगायत डी-20 तक प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वार लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने प्रतिवादी नम्बर 2 को जो वादीगण का पिता है, उसको बहला-फुसलाकर एक विक्रय पत्र खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर दिनांक 14.10.1996 को विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ में तस्दीक करवा लिया। प्रतिवादी नम्बर 3 वादीगण का सगा भाई है जो प्रतिवादी नम्बर 1 से मिला हुआ है व प्रतिवादी नम्बर 2 को कोई रकम अदा नहीं की, फ्रोड द्वारा व धोखे में रखकर बिना प्रतिफल अदा किये दिनांक 14.10.1996 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया, जबकि उपरोक्त आराजियात पैतृक, संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है जो वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के खिलाफ बेअसर है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, धोखे में डालकर विक्रय-पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा तस्दीक करवाया है, ऐसी हालत में विधिवत बंटवारा जमीन का करवाना आवश्यक हुआ तथा नाजायज रूप से कब्जा नहीं करे इसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 01.10.1998 को धमकी देने के रोज वादकारण पैदा हुआ। वादीगण ने न्यायालय से सहायता इस कदर चाही है कि खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4567

रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर व खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक खातेदारी की घोषणा की जावे तथा खाता विभाजन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे। विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 को बेअसर घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 यानि चारों भाइयों के पिता गुलाराम के नाम से दर्ज है तथा कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को संभला दिया तथा धूड़ाराम ने अपने हिस्से की भूमि 0.20 हैक्टर विक्रय कर दी, परन्तु पिता गुलाराम के नाम से खातेदारी होने के कारण से पिता ने रजिस्ट्री करवा दी जमीन पैतृक है, जिसमें चारों भाई व पिता शामलाती रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, पिता जीवित है, पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नहीं है, हिन्दू कानून के तहत पुत्रों का ही हक हिस्सा है पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्रियों का हक बनता है, विक्रय पत्र सही करवाया है, अतिरिक्त उत्तर में कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से काबिज रहने दे, प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा जवाब दावा दिया गया जो जिसमें भी उक्त आराजियात को पैतृक मानी है तथा दावा गलत आधारहीन पेश किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक नहीं बनता है। दावे के दौरान प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम का देहान्त हो चुका, चूंकि वाद में उसके सभी वारिसान रिकॉर्ड पर होने के कारण से वारिस को रिकॉर्ड पर लेने की आवश्यकता नहीं थी, गुलाराम का 1/8 हिस्सा उसके सभी वारिसान को प्राप्त होगा इस प्रकार से सभी वारिसान प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा हो गया।

वादीगण ने अपने वाद की लाईन में अपनी शहादत में धूड़ाराम पीडब्ल्यू-1, खेताराम पीडब्ल्यू.-2, भागीरथ पीडब्ल्यू-3 को प्रस्तुत किया, वादीगण ने दस्तावेजी प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054, प्रदर्श-2 जमाबंदी भूमि खसरा नम्बर 4598 व 4612, प्रदर्श-3 एफआईआर दिनांक 10.01.1998, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रदर्श-4 प्रस्तुत किये तथा जिरह में पीडब्ल्यू-1 से मूलाराम जो प्रतिवादी नम्बर 3 व प्रतिवादी नम्बर 2 को अपने साथ ले जाकर रजिस्ट्री करवाई हो मुझे नहीं पता तथा प्रतिवादी नम्बर 3 ने जिरह में कथन करता है मूलाराम यानि प्रतिवादी नम्बर 03 ने प्रतिवादी नम्बर 1 से शुरू से ही मिला हुआ था, यह भी कहना गलत है कि भूदरमल प्रतिवादी नम्बर 1 को कब्जा दे दिया हो, जबकि अपने जवाब दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 यह कथन करता है कि धूड़ाराम के हिस्से की भूमि गुलाराम ने उसकी सहमति से भूमि विक्रय की, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 में न तो धूड़ाराम के हस्ताक्षर है, सहमति

बाबत न ही मूलाराम के हस्ताक्षर है तथा जिरह में यह कथन भी किया है कि मेरे पिता कोई रुपयों की आवश्यकता नहीं थी न ही कोई जमीन विक्रय की।

पीडब्ल्यू-2 खेताराम ने अपनी जिरह में कहा कि यह सही है कि मूलाराम के हिस्से में आई भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की थी तथा पैतृक भूमि है जमीन पर कब्जा धूड़ाराम छोटूराम नानूराम का ही है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू-3 भागीरथ ने अपनी जिरह में कहा है कि गुलाराम के तीन पुत्रियाँ है, भाईयों के अलावा। गुलाराम ने जमीन विक्रय की हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि भूदरमल का कब्जा सड़क की ओर हो। यह सही है कि गुलाराम के पुत्रों में जमीन का विवाद है, रजिस्ट्री का मैंने सुना है मैंने कब्जा नहीं देखा। शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल डीडब्ल्यू-1, डीडब्ल्यू-2, चौथूराम, डीडब्ल्यू-3, राजकिशोर, डीडब्ल्यू-4 महेश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

डीडब्ल्यू-1 भूदरमल जिरह में यह स्वीकार करता है कि वादग्रस्त भूमि में मेरे को पाबन्द कर रखा है, मौके पर कमिश्नर गया तब पत्थर पड़े हुये थे, दौराने दावा 2019 में मैंने निर्माण किया है, खसरा नम्बर 4567, 4566, 4612, 4598 संयुक्त खातेदारी की भूमि है, परन्तु बंटी हुई है, विधिवत बंटवारा नहीं है, प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का उक्त भूमि में हिस्सा है, प्रदर्श-14 दिनांक 25.01.2003 न्यायालय के स्थगन के बावजूद रूपान्तरण करवाया, शपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 2 में ए से बी सही है तथा सी से डी धूड़ाराम का ही कब्जा है, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 उस पर धूड़ाराम के हस्ताक्षर नहीं है, न ही विक्रय पत्र में उसकी सहमति प्रदर्श-16 पर सहमति व हस्ताक्षर नहीं है, खातेदारी गुलाराम के नाम से है, पटवारी ने जांच रिपोर्ट मौके पर जाकर की थी मेरे भी हस्ताक्षर करवाये थे पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अवैध कब्जा माना हो मेरे को पता नहीं।

डीडब्ल्यू-2 चौथूराम, डीडब्ल्यू-3 राजकिशोर, डीडब्ल्यू-4 महेश कुमार ने अपने शपथ-पत्र में खसरा नम्बर 1566, 1567 का कथन किया है, तथाकथित विक्रय पत्र खसरा नम्बर 1567 की भूमि में से होने का कथन किया है, जबकि वादीगण का 1566, 1567 की भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा विक्रय पत्र 1567 की भूमि में से किया हो तो वादी को इस संबंध में न तो कोई विवाद है, ना ही वादी की भूमि है।

प्रतिवादी नम्बर 1 अपने जवाब में स्वर्गीय गुलाराम द्वारा विक्रय-पत्र धूड़ाराम के हिस्से में से करवाने का कथन किया है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 में उसकी सहमति

अथवा हस्ताक्षर नहीं है तथा जिरह में गुलाराम के हिस्से की भूमि धूड़ाराम को गुलाराम ने विक्रय की, इस प्रकार मूलाराम का कोई हिस्सा नहीं है, न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकीयात को वादीगण ने पूर्ण रूप से साबित किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 तनकीयात को साबित करने में असफल है, प्रतिवादी नम्बर 3 ने कोई शहादत पेश नहीं की इसलिए उसका जवाब दावा नहीं पढ़ा जावेगा, इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 की ओर से कोई शहादत पेश नहीं हुई परन्तु वाद को पूर्ण रूप से ताईद करते है तथा वादीगण ने भी इनको हिस्सा माना है, इस कारण वाद के दौरान गुलाराम के फौत होने पर उसके वारिसान का सभी का 1/7 प्रत्येक का हिस्सा है।

अन्तर्गत धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पैतृक सम्पत्ति में सभी उत्तराधिकारियों का बराबर-बराबर हक हिस्सा होता है तथा दिनांक 09.09.2005 हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में पुत्रियाँ पैतृक सम्पत्ति में कोपार्सनरी वो ही अधिकार रखती है जो एक पुत्र रखता है इसलिए कोपार्सनरी अधिकार होने के कारण से बराबर-बराबर हिस्से की अधिकारिणी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त विनिता बनाम राकेश शर्मा वृहत पीठ 11.08.2020 को सीजेसीवी पेज 479, पार्ट-2, 2020 में हैल्ड किया है जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मिताक्षरा प्रवृत्ति से पुत्रियों का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ही अधिकार पैदा हो जाता है, इसलिए वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का 1/7-1/7 प्रत्येक खातेदार काश्तकार है तथा उक्त अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे।

विक्रय-पत्र दिनांक 14.10,1996 के अधिकारों के विरुद्ध जो छल व कपट से तस्दीक करवाया है उसको बेअसर घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2000 अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं. 99/1998 को वादीगण के पक्ष में संपुष्ट किया तथा राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ पर भी अनावेदक नंबर एक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर वाद आदेश दिनांक 6.12.2000 को यथावत रखा है। अत: वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण की लिखित बहस का जवाब में वादीगण की बहस का खण्डन एवं विरोध प्रकट करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि वादी ने लिखित बहस की धारा 1 में वाद-पत्र की पुनरावृत्ति करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को बहला-फुसलाकर करवाने का आरोप लगाया है, जबकि विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 को

विधिपूर्वक नियमानुसार रिकॉर्डेड खातेदार गुल्लाराम पुत्र रामूराम माली द्वारा करवाया हुआ है, जो जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर का करवाया गया है, जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल पुत्र हरदेवा माली के नाम से नियमानुसार सही करवाया है। उक्त गुल्लाराम पुत्र रामूराम जमीन खसरा नम्बर 4567 का बाकायदा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार तथा भौतिक रूप से काबिज काश्त तत्कालीन तिथि 14.10.1996 को बाकायदा रहा है। वादी अपने दावे में कथन करता है कि उक्त जमीन में गुल्लाराम पुत्र रामूराम सहित वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5, 6 का 1/8, 1/8 हिस्सा रहा जो वादीगण की स्वीकारोक्ति है, जिससे वादीगण मुकर नहीं सकते है, जो वादीगण के विरुद्ध एस्टोपल है, जो वादीगण के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत मान्य है। इस विक्रय पत्र में प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने 0.20 हैक्टर जमीन का विक्रय-पत्र सही रूप से अपने अधिकार के तहत विधि द्वारा स्थापित आथोरिटी के समक्ष लेखबद्ध करवाके पंजीबद्ध करवाया हुआ है, जिसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से नहीं है। अलबत्ता वादीगण ने अपना दावा बहला-फुसलाकर प्रतिवादी नम्बर 3 जो वादीगण का सगा भाई है, जिसको प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल से मिला हुआ बताकर प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम को कोई रकम अदा नहीं करने एवं फ्रोड द्वारा व धोखे में रखकर बिना प्रतिफल अदा किये करने का कथन किया है जबकि इस तरह से विक्रय-पत्र तस्दीक होने का राजस्व न्यायालयों में प्रश्नगत कानूनन नहीं किया जा सकता है, जिसके लिये प्रोपर मंच सिविल न्यायालय है तथा इस तरह के कथन करने के विरुद्ध जब तक विक्रय-पत्र सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय किसी तरह की रिलीफ स्वीकार करने में सक्षम नहीं होने के कारण वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है, द्वितीय वादीगण ने जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमशः 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 कुल रकबा 2.05 हैक्टर ग्राम चिराना की जमीन का है, जिसमें वादीगण ने दावे से प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम 1/8 हिस्से का खातेदार माना है, जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक व हिस्से में 0.25 हैक्टर से ज्यादा जमीन हिस्से में आती है जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक व हिस्से में 0.25 हैक्टर से ज्यादा जमीन हिस्से में आती है जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को 0.20 हैक्टर का करवाया है, जो उसके हिस्से से कम है इसलिए विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 विधि अनुसार तथा तथ्य के अनुसार सही करवाया हुआ है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक व पांति में

जितनी जमीन आती है, उससे भी कम रकबे का करवाया हुआ है, इसलिए विक्रय पत्र प्रश्नगत करने का कोई कारण न तो कानूनन बनता है तथा न ही तथ्यात्मक रूप से बनता है, लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निहायत ही गैर कानूनी रूप से तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा वादीगण के वाद-पत्र में लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने अपने हक से ज्यादा का विक्रय पत्र नहीं करवाया है। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 विधि अनुसार सही है जो न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वादीगण द्वारा यह कथन कि वादीगण के हक पर विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 बेअसर है, यह तथ्य निहायत ही गैर कानूनी और कानून के विपरीत होने के कारण वादीगण की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करता है, इसलिये वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

नोटः– जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के अनुसार 0.20 हैक्टर का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल पुत्र हरदेवाराम के नाम से बाकायदा बना हुआ है तथा इस विक्रय-पत्र दिनांक 14.10.1996 के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 1 जवाबदेहन्दा भूदरमल मौके पर भौतिक रूप से काबिज है, काश्त करता है, उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक कर रहा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में चार भाई वादीगण + प्रतिवादी नंबर 3, तीन बहिनें प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 एवं पिता प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम, कुल 8 हिस्से का दावा वादीगण लेकर आये हैं। वादीगण ने अपने दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम का आठवां हिस्सा भी माना है, जिसके मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक में 0.25 हैक्टर से ज्यादा जमीन पांति में आती है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम 0.20 हैक्टर का ही बनाया है इसलिये वादीगण का वाद अपने आप में व्यर्थ का वाद है, जिसका कोई औचित्य कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

नोटः– वादीगण द्वारा तथाकथित दावा न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात वादी नम्बर 1 धूड़ाराम पुत्र गुल्लाराम ने वादग्रस्त जमीन में से जमीन को विक्रय किया है, जिसके बाबत वादी धूड़ाराम को न तो माननीय न्यायालय को सूचित किया है तथा न ही किसी

तरह का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके सही स्थिति न्यायालय के सामने रखने की पेशकश ही की है, लिहाजा वादी धूड़ाराम द्वारा न्यायालय के सामने तथ्यों को छुपाया है, न्यायालय के सामने सही तथ्य नहीं लिखे हैं, इस तरह वादी विथ क्लीन हैण्ड कोर्ट में नहीं आया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से जाहिर होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को सिविल न्यायालय में ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जबकि 26 वर्ष पूर्व विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध हुआ है, जिसको किसी ने भी आज दिन तक सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है। लिहाजा कानून की मान्यता है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 अन्तिम हो चुका है, जिसको प्रश्नगत करने की मियाद भी निकल चुकी है, इसलिये इस विक्रय के आधार पर बना राजस्व रिकॉर्ड सही है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज के बारे में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत यह है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 सही है, सही होने की कानून में उपधारणा है, इस कारण से उसके आधार पर बना राजस्व रिकॉर्ड भी कानूनन सही होने की उप-धारणा मानी जायेगी।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम को अपना 1/8 हिस्से के अनुसार बेचने का हक रहा है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने हिस्से से कम जमीन का बेचान किया है जिसका रिकॉर्ड सही बना हुआ है। इस तरह से विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 से वादीगण अपने हक से वंचित कानूनन नहीं हो रहे हैं, इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व्यर्थ का वाद है और खारिज होने योग्य है। जमीन मौके पर बंटी हुई है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल अपनी खरीदशुदा जमीन पर मौके पर काबिज है तथा जमीन बंटी हुई है, जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का काउण्टर क्लेम भी है तथा प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम ने अपना जवाब दावा बाकायदा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने जवाब दावा व काउण्टर क्लेम की ताईद की गई है जिसको साबित करने के लिये जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-डी 1 से प्रदर्श-डी. 20 पेश किये है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने अपने मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू-1 से डीडब्ल्यू 3 तक साक्ष्य करवाई है साक्ष्य के विवेचन में प्रतिवादी नम्बर 1 जवाबदेहन्दा भूदरमल का कथन बाकायदा साबित किया गया है तथा जिरह वादीगण द्वारा किसी तरह का खण्डन जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के कथन का नहीं हुआ है, लिहाजा वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 का काउण्टर

क्लेम स्वीकार होने योग्य है। वादीगण ने जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को हैरान व परेशान करने के लिये गैर कानूनी रूप से दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य से जवाबदेहन्दा का काउण्टर क्लेम मंजूर होने योग्य है। इस तरह वादीगण की रिलीफ व्यर्थ की रिलीफ है वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी व्यर्थ किया हुआ है।

वादी की लिखित बहस की धारा 2 में अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे में कथन किया है, जो दावे के अन्तिम निर्णय की स्टेज पर कोई मायने नहीं रखने के कारण धारा 2 व्यर्थ की लिखी गई है। इस धारा में वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम की मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा होना दर्ज किया है जबकि सत्य स्थिति यह है कि गुल्लाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक में से जमीन बेची इसके पश्चात् उसकी मृत्यु पर जितनी जमीन गुल्लाराम प्रतिवादी नम्बर 2 के शेष रही उसमें से 1/7, 1/7 हिस्से होने में जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर भूदरमल को कोई ऐतराज नहीं है, इस तरह वादी द्वारा प्रासंगिक बातें अपने लिखित बहस में लिखी है, जिसका वादी के हक से कोई सरोकार नहीं है।

वादी की लिखित बहस में पेश नम्बर 3 में साक्ष्य वादी के बाबत बताया है जबकि दावे का कथन वादीगण द्वारा किया गया उसके अनुसार वादी का वाद व्यर्थ का वाद है। इस कारण से वादी के मौखिक साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं होने से कोई अहमियत नहीं रखती है। वादीगण द्वारा जमाबंदी 2 पेश हुई जिनमें रिकॉर्ड के बाबत दर्ज है, जिसका कोई विवाद नहीं है, मामला कृषि भूमि से संबंधित है, इसलिये एफ.आई.आर. का राजस्व वाद के निर्णय में कोई रोल नहीं होता है, विक्रय-पत्र वादीगण ने पेश किया है, जिसके बाबत ऊपर विस्तार से जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल द्वारा विवेचना की जा चुकी है। इस तरह वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य चाहे वह दस्तावेजी हो या मौखिक हो, वह वादीगण की कानून व तथ्य के अनुसार कोई मदद नहीं कर रही है। इस तरह दोनों पक्षों की साक्ष्य से वादीगण अपनी भार वाली उनकी को कतई साबित करने में विफल रहा है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने अपने द्वारा जो तनकीयात कायम हुई उसको बखूबी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के वाचन से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि पिता का अपने पुत्रों के साथ बराबर का हक निहित है, जिसके मुताबिक पिता गुल्लाराम प्रतिवादी नम्बर 1 ने विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम से दिनांक 14.10.1996 को करवाया है, वह कानूनसम्मत होने के कारण उसके विपरीत कोई तथ्य और कानून नहीं होने से

वादी का वाद खारिज होने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 09.09.2005 में संशोधन से भी जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक हकूक पर तथा विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 पर कोई विपरीत असर नहीं है। लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य व कानून वादीगण के कथन को ताईद नहीं करने के कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। भारत का कोई भी कानून वादी के कथन पर लागू नहीं होता है तथा कानून के अनुसार, वादीगण ने वाद पत्र ही व्यर्थ का पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम की पुत्रियों का उसकी जमीन में हक होने में कभी कोई ऐतराज नहीं रहा है, मौके पर जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक की जमीन का विभाजन हो रखा है, अलग खाता कायम किया हुआ है।

विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के बाबत ऊपर विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र बेअसर होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दावे के निर्णय तक ही लागू रहता है, यह कानून की स्थिति भी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई हक तय नहीं होते है, अस्थाई निषेधाज्ञा का महज दावे के निर्णय तक के लिये एक व्यवस्था है जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ सूट नहीं बढ़े, कानून व्यवस्था बनी रहे इस तरह अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे में अन्तिम बहस के समय लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल की ओर से जवाब बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद मय हर्जे-खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व बहस पर मनन करते हुए निर्णय तनकीवार निम्ननुसार है:-

1. **तनकी नम्बर 01:-** आया ग्राम चिराना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमश: 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक 1/8 है। अत: विधिवत विभाजन कर खाते अलग-अलग कायम किये जा सकते हैं।

भा.स. वादीगण

तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने वाद-पत्र के मद संख्या 10 (क) के अनुसार निम्न रिलीफ डिमाण्ड की है कि:-भूमि खसरा नम्बर 4566,

4567, 4598, 4612 रकबा 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थित का बंटवारा किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा अलग किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे व बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने वाद-पत्र में वर्णित विवादित भूमि के संबंध में पैतृकता के आधार बंटवारे की इस्तदुआ चाही है जबकि वादीगण की रिलीफ में कही पर भी पिता के जीवनकाल में अपने नोशनल शेयर की घोषणा बाबत कोई सिद्धि डिमाण्ड नहीं की गई है। बिना घोषणा के बंटवारे की सिद्धि प्रदत्त किया जाना विधि की वर्णिनाओं के विपरीत है। विभाजन सह-खातेदारों में ही हो सकता है, वादीगण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं है, इसलिए वादीगण द्वारा चाही गई बंटवारे की सहायता कानून प्रदत्त नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा हिस्से की घोषणा के बगैर विभाजन रिलीफ मांगी गई है जो कानूनन जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय नक्शा में विवादित भूमि विभिन्न व्यक्तियों को जरिये विक्रय-पत्र व दान-पत्र द्वारा दिया जाना वर्णित किया जिनका राजस्व अभिलेख प्रदर्श-1 में नामान्तकरण हो चुका है। वाद में वादीगण ने पक्षकार भी संयोजित नहीं किया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सभी रिकॉर्डेड खातेदार है। विभाजन में सभी आवश्यक पक्षकार होते हैं। इसलिए बिना घोषणा व सह-खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वादीगण द्वारा चाही गई रिलीफ विभाजन की सिद्धि जारी नहीं हो सकती। इसलिए उक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02:-** आया प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 14.10.1996 को कराया गया विक्रय पत्र वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ बे-असर है।

भा.स. वादीगण

उक्त तनकी नम्बर 02 को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूँकि वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है ना ही घोषणा की इस्तदुआ चाही गई है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वादीगण की स्थिति एक अजनबी व्यक्ति की है जिनको विक्रय पत्र को चुनौती देने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरुद्ध तय की गई है जिसके कारण उक्त तनकी नम्बर 02 भी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

3. **तनकी नम्बर 03:–** आया प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है कि ग्राम चिराना में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा. सं. वादीगण

तनकी नम्बर 03 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। ना ही वादीगण ने घोषणा की सिद्धि डिमाण्ड की है जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसलिए एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 03 वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 04:–**आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, अत: दावा चलने योग्य नहीं है।

भा. स. प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 3 पर है। वादीगण ने वाद-पत्र की मद संख्या 7 में वादकारण दिनांक 01.10.1998 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा नाजायज कब्जा जमीन पर करने के नियत से वादीगण पर हमला एवं मारपीट करने पर पैदा होना दर्ज किया है। वाद-पत्र में वादीगण ने घोषणा बंटवारा के संबंध में वादकारण पैदा होने के मुताबिक तथ्यों को दर्ज नहीं किया है। वाद-पत्र की Pith and Substance के अनुसार वाद-पत्र के लिए वाद-कारण को Disclose नहीं करता है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 4 स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए वादकारण की सीमा तक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. **तनकी नम्बर 05:–** आया दावा मियाद बाहर है।

भा. स. प्रतिवादी

उक्त तनकी नम्बर 05 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 3 पर है। प्रतिवादी नम्बर 03 के जवाब दावे के मुताबिक वादीगण का वाद मियाद में कैसे नहीं है कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है ना ही दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मियाद के बिन्दु का disclose किया है कि वादीगण का वाद मियाद बाहर कैसे है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम की तृतीय अनुसूची के विभाजन की कोई मियाद नहीं है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के बाद के लिए मियाद 3 साल है।

वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए वाद–कारण दिनांक 1.10.1998 को उत्पन्न होना दर्ज किया है तथा वादीगण ने वाद न्यायालय हाजा में दिनांक 7.10.1998 को प्रस्तुत किया है। फलस्वरूप वादीगण का वाद तृतीय अनुसूची के अनुसार अन्दर मियाद है। फलस्वरूप प्रतिवादी नम्बर 3 के विरुद्ध तय की जाती है।

6. **तनकी नम्बर 06:–** आया भूमि खसरा नम्बर 4567 तादादी 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।

भा. स. प्रतिवादी नं. 1

उक्त तनकी नम्बर 06 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने भूमि खसरा नम्बर 4567 में से रकबा 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ चाही है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी नम्बर 1 खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से रकबा 0.20 हैक्टर का क्रेता व रिकॉर्डेड खातेदार है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 अपने काउण्टर क्लेम द्वारा विभाजन की रिलीफ नहीं डिमाण्ड की है। बिना विभाजन के प्रतिवादी नम्बर 1 कौनसे हिस्से पर काबिज है साबित नहीं होता है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 का शेष सह–हिस्सेदार के साथ संयुक्त कब्जा है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने सह–हिस्सेदारों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ डिमाण्ड नहीं कर वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा डिमाण्ड की है। वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। बिना राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुए बगैर वादीगण की स्थिति एक अजनबी व्यक्ति के समान है। प्रतिवादी नम्बर 1 संयुक्त हिस्सेदार होने के नाते वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुस्तहक है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तय की जाती है।

7. **तनकी नम्बर 07:–** आया दावा न्यायालय के श्रवणादिकार में नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

भा. स. प्रतिवादी नं. 1

उक्त तनकी नम्बर 07 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 01 पर है। वादीगण ने

वाद-पत्र के माध्यम से बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को शून्य व बेअसर करने की रिलीफ चाही है। बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ विवादित भूमि कृषि भूमि होने के कारण अदालत हाजा को है तथा विक्रय-पत्र को शून्य व बेअसर करने की रिलीफ अन्य रिलीफ के आनुसांगिक है जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकार अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के विरुद्ध तय की जाती है।

8. **तनकी नम्बर 08:-** आया प्रतिवादी नम्बर 3 काउण्टर क्लेम के अनुसार ग्राम चिराना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 4566 वाके ग्राम चिराना का प्रतिवादी नम्बर 3 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन कर खाता अलग कायम किया जा सकता है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण को पाबन्दि किया जा सकता है कि भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 को पांचवे हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा. स. प्रतिवादी नं. 3

9. **तनकी नम्बर 09:-** आया दान-पत्र दिनांक 29.8.1998 तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 प्रतिवादी नम्बर 3 के अधिकारों पर बे-असर है।

भा.स. प्रतिवादी नं. 3

तनकी नम्बर 8 व 9 एक-दूसरे से सम्बन्धित है इसलिए उक्त दोनों तनकियों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 03 पर है। प्रतिवादी नम्बर 03 ने काउण्टर क्लेम के माध्यम से भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 में 1/5 हिस्से की घोषणा विभाजन व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ डिमाण्ड की है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 03 वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है इसलिए रिकॉर्डेड खातेदार होने के अभाव में प्रतिवादी नम्बर 3 किसी के विरुद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा का मुस्तहक नहीं है। जहाँ तक घोषणा व विभाजन का प्रश्न है। एक प्रतिवादी क्या अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है या कानूनन पृथक वाद प्रस्तुत कर सकता है, एक विचारणीय प्रश्न है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 06 (क) में वर्णित किया गया है कि वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के

अभिवचन के अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाईल किये जाने के पूर्व या पश्चात् किये जाने के लिये परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हैतुक के बारे में प्रोद्भूत हुवा हो उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं। उपरोक्तानुसार एक प्रतिवादी वादी के विरुद्ध ही अपना प्रतिदावा कानूनन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध कानूनन प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। कानूनन प्रतिवादी को अपने अधिकारों के लिए वादी के रूप में शेष प्रभावित पक्षकारों को प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर पृथक वाद लाने का अधिकार रखता है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 3 ने प्रतिवादी नम्बर 2 के विरुद्ध घोषणा की रिलीफ डिमाण्ड की है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 19.08.1998 व 31.12.1998 को चुनौती दी है अर्थात् प्रतिवादी ने प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 का काउण्टर क्लेम वादीगण की सीमा तक ही प्रस्तुत हो सकता है। फलस्वरूप प्रतिवादी नम्बर 3 ने विधि में वर्णित उपबंध के प्रतिकूल, प्रतिदावा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर प्रतिदावा के माध्यम से चाही गई दादरशी प्रतिवादी नम्बर 3 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिदावा विधि द्वारा वर्जित है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 8 व 9 प्रतिवादी नम्बर 3 के विरुद्ध तय की जाती है।

10. अनुतोषः–

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वाद व प्रतिवादी नम्बर 3 अपना प्रतिदावा साबित करने में असफल रहे है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 अपना काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा का साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 3 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के विरुद्ध अपनी क्रय शुदा भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

लिहाजा उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण साबित नहीं कर पाये जाने एवं प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं पाये जाने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा काउण्टर क्लेम

स्थाई निषेधाज्ञा की सीमा तक पूर्णतया साबित पाया जाने पर प्रतिवादी नम्बर 1 का काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई भूमि रकबा 0.20 हैक्टर के संबंध में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 की क्रय शुदा भूमि को कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/-

(दमयन्ती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़, जिला-झुंझुनूं)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 7 (1) राज-6/16 पार्ट/06 **जयपुर, दिनांक : 23.05.2024**

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

परिपत्र

राजस्व विभाग में वर्तमान में लागू ऑनलाईन नामान्तकरण प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं नामान्तकरणों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण करने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 169-एल में निर्हित प्रावधानों के तहत पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 05.12.2023 एवं 16.12.2023 की निरन्तरता में ऑनलाईन नामान्तकरण प्रक्रिया में निम्नानुसार बदलाव किया जाता है-

1. तहसील स्तर पर समस्त प्रकार के नामान्तकरणों के Auto Lock होने के प्रावधान को बन्द किया जाता है।
2. तहसीलदार के स्तर पर प्राप्त होने वाले नामान्तकरण की सूचना, जिसमें नामान्तकरण स्वीकार करने की समय-सीमा भी अंकित हो, का SMS संदेश तहसीलदार के मोबाइल नम्बर पर भिजवाने के प्रावधान किये गये हैं, साथ ही संबंधित आवेदक एवं पटवारी को भी SMS के माध्यम से नामान्तकरण की स्थिति से अवगत कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
3. तहसीलदार की आई.डी. पर प्राप्त होने वाले नामान्तकरणों को क्रमवार प्रदर्शित करने एवं FIFO (First in First Out) के अनुसार नामान्तकरण निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान में जांच हेतु लम्बित नामान्तकरण Timeline के साथ अलग रंग में प्रदर्शित किये जाने का भी प्रावधान कर दिया गया है। नामान्तकरण निस्तारण की FIFO प्रक्रिया में तहसीलदार एक वर्ष में कुल 5 नामान्तकरण स्किप कर आगामी नामान्तकरण को निस्तारण कर सकेगा। स्किप (जांच हेतु लम्बित) किये गये नामान्तकरण को 15 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
4. समस्त प्रकार के नामान्तकरण के Auto Lock होने के प्रावधान को बंद करने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा निर्धारित समय पर नामान्तकरण को निर्णित न करने की

स्थिति में अवधिपार नामान्तकरण **लाल रंग** में प्रदर्शित होंगे, ताकि उक्त नामान्तकरण अवधिपार होने की सूचना संबंधित तहसीलदार के ध्यान में रहे।

5. पूर्व में अपना खाता पोर्टल पर स्वीकृत नामान्तकरण के साथ में सहायक दस्तावेज नहीं देखे जा सकते थे, वर्तमान में समस्त प्रकार के स्वीकृत नामान्तकरणों को क्रमवार प्रदर्शित करने के साथ सहायक दस्तावेज देखने हेतु अपना खाता पोर्टल पर विकल्प दिया गया है।

ह0/-

(बिरदीचन्द गंगवाल)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक: प.3 (637) राज-7/2023 जयपुर, दिनांक : 10.02.2024

-:आज्ञा:-

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15797/2023 विश्म्भर दयाल व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 में राजस्व न्यायालयों/अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत् माननीय उच्च न्यायालय ने संभागीय स्तर पर एरियर रिव्यू कमेटी का गठन किये जाने के निर्देश दिये है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना में एक स्थायी एरियर रिव्यू कमेटी का गठन प्रत्येक संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाता है जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

1. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, (सदस्य)।
2. संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित राजस्व अपील प्राधिकारी (सदस्य)।
3. संभाग में प्रत्येक जिले से संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर (सदस्यगण)।

उक्त कमेटी के निम्न कार्य होंगे:-

1. उक्त समिति द्वारा वर्ष में कम से कम 04 बार बैठक (त्रैमासिक) का आयोजन किया जायेगा जिसमें तीन माह का अन्तराल होगा।
2. राजस्व न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी एवं ऐसे सुधारात्मक पद्धतियां अपनाने हेतु अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को निर्देशित करेगी जो कि प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित हो एवं अत्यधिक पुराने राजस्व प्रकरणों का निरन्तर मॉनिटरिंग करेगी।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित लम्बित पुराने प्रकरणों की सूचना जो कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह भेजी जायेगी की समीक्षा कर अग्रिम आदेश प्रसारित करेगी।
4. राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (637) राज-7/2023 दिनांक 09/2/2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्तानुसार संभागीय आयुक्त द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर बैठक कार्यवाही विवरण सहित प्रकरण निस्तारण व सुधारात्मक पद्धतियां अपनाने संबंधी प्रतिवेदन और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2023 की अनुपालना रिपोर्ट क्रमश: वर्ष के 05 अप्रैल, 05 जुलाई, 05 अक्टूबर व 05 जनवरी तारीख को राजस्व विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

उक्त एरियर रिव्यू कमेटी के द्वारा की गई अनुशंषाओं एवं समीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर की जावेगी।

ह०/-

(सुधांश पंत)

मुख्य सचिव

राजस्व समाचार

राजस्व मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 283 प्रकरण निस्तारित

अजमेर 9 मार्च/ राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्व मंडल के स्तर पर गठित विशेष बेंच के माध्यम से शनिवार को 283 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।

मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत का मण्डल परिसर में दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर राजस्व मंडल सदस्य (न्यायिक) अविनाश चौधरी व पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी की बेंच ने आपसी समझाइश योग्य चिह्नित 406 सूचीबद्ध प्रकरणों में से 283 का मौके पर ही निस्तारण किया जा सका। इस प्रकार कुल 69.70 प्रतिशत प्रकरण निस्तारित हुए। जो एक रिकॉर्ड है।

लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सदस्य

अविनाश चौधरी, अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, लोक अदालत के लिए मनोनीत श्री सुरेश सिंधी, राजस्व मंडल विभागीय समिति अध्यक्ष सुधीर शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों एवम अभिभाषकगण की मौजूदगी रही। लोक अदालत के सफल आयोजन में राजस्व मंडल के अधिकारियों, अभिभाषकगण व न्याय शाखा के अधिकारी व कार्मिकों का योगदान रहा।

लोक अदालत करवाई का सचिव जिला विधिक प्राधिकरण रामपाल जाट ने भी अवलोकन किया।

□□□

111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति

अजमेर। राजस्व मंडल अजमेर ने राजस्थान में 111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किये।

राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत सफल रहे अभ्यर्थियों में से 111 को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रशिक्षणाधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में विभागीय परीक्षा अनिवार्यतः उत्तीर्ण करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आरटीआई में 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें 43 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण, एक माह का भू प्रबंध प्रशिक्षण, 43 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण, कृषि प्रशिक्षण व 49 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण (तहसीलों में) दिया जाएगा जबकि 23 नवंबर से सात दिवस तक परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा का आयोजन होगा।

□□□

राज्य स्तरीय निबंध लेखन एवं सर्वश्रेष्ठ निर्णय के परिणाम घोषित निबंध लेखन में 11 व निर्णय लेखन में 8 प्रविष्टियों का चयन

अजमेर। राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह की नवाचारी पहल के तहत राजस्व न्यायालयों में निर्णय लेखन की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली में श्रेष्ठ अनुशासन, नियमितता एवं जन साधारण के प्रति प्रतिबद्धता जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर वर्ष 2024 में आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं सर्वश्रेष्ठ राजस्व निर्णय लेखन प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं।

निर्णय लेखन में आइएएस सांवरमल वर्मा सहित 3 प्रविष्टियां राज्य स्तरीय

राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के स्तर से विगत वर्ष 2023-24 के दौरान पारित किए गए निर्णयों में से सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन कर उनका राजस्व मंडल के स्तर पर मूल्यांकन किया गया। इनमें तीन स्तर से सर्वश्रेष्ठ निर्णय घोषित किये गए जिसमें राज्य स्तर के लिये भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा का राजस्व अपील प्राधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क व मुरलीधर प्रतिहार के निर्णय चयनित हुए। इसी प्रकार संभाग स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में सिरोही जिला कलेक्टर श्रीमती शुभम चौधरी, सलूंबर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, खैरथल-तिजारा जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला व तत्कालीन गंगानगर कलक्टर अंशदीप के निर्णय रहे। इसी प्रकार जिला स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ निर्णय में बालोतरा उपखंड अधिकारी राजेश कुमार की प्रविष्टि का चयन किया गया है।

निबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव आरती डोगरा प्रथम

पंचवर्गीय निबंध प्रतियोगिता के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्ग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव आरती डोगरा को प्रथम, गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी द्वितीय तथा खैरथल-तिजारा जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को तृतीय स्थान मिला है। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्ग से भरतपुर नगर निगम आयुक्त रिछपाल सिंह बुरडक ने प्रथम, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग से कोटा सहा. कलक्टर कार्यालय के हरिशंकर को प्रथम, जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर ग्रामीण के स. राजस्व लेखाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता को द्वितीय जबकि गिर्वा उदयपुर तहसीलदार सुरेश मेहता को तृतीय स्थान मिला।

इसी प्रकार अधिवक्ता श्रेणी में डीग के अधिवक्ता प्रवीण कुमार चौधरी प्रथम रहे। आम नागरिक श्रेणी में जयपुर के डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ को प्रथम, कोटा की प्रियंका सिंह द्वितीय जबकि जयपुर की सोनू चौहान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

* * *

सामाजिक समरसता के लिए सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत-राजेश्वर सिंह

अजमेर। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि बदलते परिवेश में सामाजिक समरसता को पुनः स्थापित करने के लिए सद्‌व्यवहार, मृदुलता, सरलता व विनम्रता व परस्पर सहयोग के गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

वे राजस्व मंडल सभागार में मंडल की राविरा शाखा में पदस्थापित जमादार बाबूलाल शर्मा के सेवानिवृत्ति समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आदर्श मानव मूल्य हमारी पुरातन संस्कृति की पहचान है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने हमारी मौलिक परंपराओं पर विपरीत प्रभाव डाला है। आपसी सौहार्द के लिए समाज के हर व्यक्ति को महती भूमिका निर्वहन करने की आवश्यकता है।

समारोह में अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, निबंधक महावीर प्रसाद, अतिरिक्त निबंधक श्रीमती प्रिया भार्गव, सहायक निदेशक (राविरा) पवन शर्मा, तहसीलदार शंकर लाल बलाई आदि ने श्री बाबूलाल शर्मा का साफा, माल्यार्पण, भागवत रहस्य धर्मग्रंथ व पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। विभागीय समिति अध्यक्ष अजय गुर्जर ने शर्मा को शॉल ओढ़ाया। कार्यकम में विभागीय समिति पूर्व अध्यक्ष सुधीर शर्मा व अन्य कार्मिकों ने भी माल्यार्पण किया। संयोजन देवेश बड़ीवाल ने किया।

मण्डल राजस्थान
निवृति समारोह स
का हार्दिक स्वागत कर
भागवत रहस्य

□□□

प्रशिक्षु आरटीएस का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यापक लोकहित में वैधानिक तरीके से कार्य करें अधिकारी- राजेश्वर सिंह

अजमेर। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि प्रशासनिक तबके को विधिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होकर निष्पक्ष एवं दृढ़तापूर्वक सेवाएं देने का संकल्प लेना चाहिए।

वे आरआरटीआई अजमेर सभागार में आरटीएस 31वें बेच के नवनियुक्त नायब तहसीलदारों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

श्रेष्ठ व्यक्तित्व को बनायें आधार

उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्य व्यवहार में श्रेष्ठ व्यक्तित्व को आधार बनाकर कार्य करें। सभी वर्गों के कार्य जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित हों उन्हें अविलंब पूरा करने के प्रयास किए जाएं। जहां अतिक्रमण हटाने का विषय हो वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से कार्य करें। कार्य संपादन में गंभीरता, अनुशासन व सहजता के संतुलन को बनाए रखें। राजस्व दायित्वों के भलीभांति निर्वहन के लिए विधि,नियम,विनियम व समय समय पर जारी परिपत्रों का अध्ययन कर अपने ज्ञान को आदिनांक रखें। मंडल अध्यक्ष ने प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों से अपेक्षा की कि वे विधिक आधार से कार्यरचना को समझें।

मंडल अध्यक्ष ने समुचित आत्मज्ञान एवं आकलन को भी कार्य निष्पादन का श्रेष्ठ आधार बताया। उन्होंने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवेश को पूरी तरह समझते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का विधिवत अध्ययन करने की भी महती जरूरत बताई। उन्होंने क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए अपने अनुभवों को साझा करने पर भी जोर दिया।

सशक्त कड़ी है आरटीएस

मंडल अध्यक्ष ने तहसीलदार संवर्ग को प्रशासनिक तबके की सशक्त एवं महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं जवाबदेही के साथ कार्य निर्वहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए सतत संवाद से सूचना तंत्र को मजबूत बनाने एवं आमजन से बेहतर व्यवहार बनाए रखने की सीख दी।

69 प्रशिक्षु आरटीएस ले रहे हैं आधारभूत प्रशिक्षण

आरंभ में आरआरटीआई निदेशक सुश्री ऋषिबाला श्रीमाली ने बताया कि संस्थान में आरटीएस के 31वें बैच के तहत 69 प्रशिक्षु आरटीएस आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने संस्थान की गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष ने अधिकारियों परिचय प्राप्त किया। तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा ने आभार जताया।

राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह अजमेर के आरआरटीआई सभागार में आरटीएस के 31वें बैच अधिकारियों को आधारभूत पाठ्यक्रम के तहत उद्बोधन देते हुए।

राजस्व मंडल में आयोजित लोक अदालत के तहत बैंच में सुनवाई करते अधिकारी।

राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह राविरा के 128वें अंक का विमोचन करते हुए।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
सेवानिवृति समारोह समिति
आपका स्वागत करती है।

राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राविरा शाखा के जमादार बाबूलाल शर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित समारोह में मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

माननीय राजस्व मंत्री श्री हेमंत जी मीणा राजस्व विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

''राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियां'' पुस्तक का विमोचन करते राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह। इस मौके पर कई सीनियर आईएएस व आरएएस अधिकारी मौजूद रहे।

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact us :
Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email : bor-rj@nic.in